

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 नवम्बर, 1973

खंड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बृहस्पतिवार, 15 नवम्बर, 1973

पृष्ठ संख्या

| | |
|--|--------|
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (4) 1 |
| अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (4) 17 |
| अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 513 पर संव्यवस्था (रूलिंग) | (4) 21 |
| कृषि मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (संख्या) पर वक्तव्य | (4) 22 |
| व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (चौधरी प्रताप सिंह दौलता द्वारा) | (4) 27 |
| हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए गए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्त विवरण (बजट अनुमान, 1972-73) (संशोधित अनुमान 1971-72), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण 1970-71, तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर खर्चा। | (4) 29 |
| हरियाणा वित्त-निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों पर चर्चा | (4) 62 |
| परिशिष्ट | i-viii |

हरियाणा विधान सभा

वृहसपतिवार, 15 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Plying of Buses of Haryana Roadways

* **439. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister of Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for plying uses from Sonapat to Faridabad and Bhadurgarh to Faridabad?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):
बल्लभगढ़—फरीदाबाद—सोनीपत तथा
बल्लभगढ़—फरीदाबाद—बहादुरगढ़ मार्गों पर बस सेवाएं क्रमशः 10 अक्टुबर, 1973 तथा 3 अक्टुबर, 1973 से आरम्भ कर दी गई हैं।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी बसे चलायी गयी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अभी तो एक-एक ही बस चलायी गयी है। एक सुबह बल्लभगढ़ से सोनीपत के लिए चलती है वही

शाम को वापिस आती है। इसी तरह से बहादुरगढ़ से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए भी चलाई गयी है।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद से दिल्ली तक जो डी.टी.यू. की बहुत बसे चलती है उनसे दिल्ली सरकार को बड़ी इन्कम होती है, क्या हरियाणा सरकार भी वहां की इन्कम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोड़वेज की बसे चलाएगी?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह): दिल्ली से फरीदाबाद रूट के लिए हमारा दिल्ली परिवहन से बहुत पुराना एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक हमें दिल्ली को कुछ किलोमीटर देने पड़ते हैं। कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत करें। हम भी चाहते हैं कि वह रूट भी शामिल होना चाहिए और उस पर हरियाणा रोड़वेज की बसे चलनी चाहिए। आपके कहने पर ही हमने सोनीपत से फरीदाबाद और फरीदाबाद से बहादूरगढ़ के लिए बसे चली दी है ताकि आने वाले को दिक्कत न हों।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जिस तरह से रात को चण्डीगढ़ से डायरेक्ट बसें दिल्ली के लिए चलती हैं, क्या इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट से भी रात की सर्विस जारी करने का विचार है?

कर्नल महा सिंह: हमने आलरेडी जारी कर रखी है। नारनौल से रात को बस चलती है, भिवानी से भी शुरू कर दी है।

भिवानी वाली रोहतक की सवारियां लेकर आती है। इसी तरह से गुड़गांव से दो-तीन बसे गुजरती है। एक फिरोजपुर झिरका से आती है और दूसरी रेवाड़ी से आती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर रास्ते में ही पड़ते हैं। जो नजदीक डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए जरूरत नहीं समझी गयी।

Expenditure incurred of Minister

***450 Chaudhri Mehar Chand:** Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) the average monthly expenditure incurred by the State Government during the period From 1st April, 1973 to 30th June, 1973 on the pay and allowances of each Minister including T.A. And D.A. free transport, free house, free electricity and other amenities; and

(b) the amount of monthly house rent, if any, given to a Minister in lieu of free residence during the period referred to in part (a) above?

Chief Minister (Chudhri Bansi Lal): (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure 'A')

(b) Nil.

STATEMENT**ANNECURE 'A'**

| Sr. | Name & Dign. of the Minister | Pay | T.A./ D.A. | Medic al Charges | Free Transp ort | Free Hous e | Free Electrici ty | Other Amenities | | |
|-----|------------------------------|----------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Water Charge s | Chowkida r/ Mali | T. Phone Charge s |
| 1 | Sh. Bansi Lal, C.M. | 2,000.00 | 676.67 | 22.91 | 1,142.66 | Nil* | 452.56 | 126.17 | Nil | 3,825.20 |
| 2 | Sh. K.L. Poswal, H.M. | 1,500.00 | 760.00 | 9.77 | 1,601.07 | Nil* | 314.26 | 53.56 | Nil | 1,975.76 |
| 3 | Sh. Bhajan Lal, A.M. | 1,500.00 | 536.67 | 57.02 | 1,638.20 | Nil* | 60.83 | 59.17 | Nil | 2,652.55 |
| 4 | Sh. Shyam Chand, D.M, | 1,500.00 | 770.00 | - | 1,410.41 | 900.00 | 58.96 | 30.53 | 291.00 | 2,417.18 |
| 5 | Sh. R.S.C. Mittal, F.M. | 1,500.00 | 420.00 | - | 2,033.90 | Nil* | 86.36 | 80.23 | Nil | 898.27 |
| 6 | Sh. Maru Singh, E.M. | 1,500.00 | 583.34 | 19.66 | 910.13 | 1,100.00 | 254.99 | 12.67 | 291.00 | 678.75 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|-------|----------|--------------|--------|-------|--------|----------|
| 7 | Sh. Harpal Singh, I.M. | 1,500.0 0 | 676.67 | - | 1,033.93 | 975.00 | 243.85 | 23.80 | 291.00 | 2,302.25 |
| 8 | Sh. Chiranji Lal, R.M. | 1,500.0 0 | 1226.25 | - | 994.18 | 1,200. 00 | 133.23 | 97.67 | 291.00 | 1,425.73 |
| 9 | Sh. Maha Singh. T. M. | 1,500.0 0 | 793.33 | 69.68 | 891.57 | 1,200. 00 | 14.33 | 33.20 | 291.00 | 1,499.40 |
| 10 | Smt. Sharda Rani, M.H.H. | 1,500.0 0 | 443.33 | 42.03 | 843.52 | 900.00 | 148.81 | 12.67 | 291.00 | 1,448.67 |
| 11 | Smt. Chandrawati, M.R.P. | 1,500.0 0 | 513.33 | 19.58 | 963.42 | Nil* | 142.97 | 49.79 | Nil | 1,229.80 |
| 12 | Smt. Parsanni Devi, M.E.T. | 1,500.0 0 | 735.00 | - | 1,136.70 | Nil* | 198.39 | 18.33 | Nil | 1,866.70 |
| 13 | Sh. Goverdhan Dass, M.C.L. | 1,500.0 0 | 793.33 | - | 898.04 | Nil* | 74.19 | 12.77 | Nil | 1,773.50 |
| 14 | Sh. Harmohinder Singh Chatha, M.I.P. | 1,500.0 0 | 771.25 | 55.61 | 969.30 | Nil* | 99.97 | 21.02 | Nil | 1,073.75 |

J.B.T. and B.A., B.Ed. Teachers

***462. Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some J.B.T. and B.A. B.Ed. teachers have been appointed in the schools on adhoc basis in Jind Sub-Division;

(b) if so, the number of such J.B.T. and B.A., B.Ed. Teachers who are serving in the said schools at present, separately; and

(c) the time by which permanent teachers will be appointed in the schools referred to in part (a) above in place of adhoc appointees.

शिक्षा मंत्री एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): (ए): जी हां।

(बी) जे.बी.टी. की संख्या 176 है तथा बी.ए.—बी.एड. की संख्या 91 है।

(सी) ज्यों ही एस.एस.एस. बोर्ड से उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे की क्या कारण है कि अभी तक एडहोक बेसिंज पर टीचर्ज लगा रखे है? जैसा कि आपने पार्ट (सी) के जवाब मे बताया है कि जब भी सबौरडिनेट सर्विसिज सिलैक्शन से कैंन्डीडेट्स मिल

जायेगें तो लगा दिये जाऐगें लेकिन स्पीकर साहब, बोर्ड ने तो बी. ए.—बी.एड. कैंडीडेट्स रिमैन्ड करके भेजे हुए है, उनको क्यो नही लगाया जाता है, उनका क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (श्री मांडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, यह गलत बात है। जितने भी एस.एस.एस. बोर्ड ने सिलैक्ट करके भेजे थे वे हमने सब लगा दिए हैं। जब और भेज देगा तो लगा दिये जायेगें।

De-Luxe Buses

*** 486. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the total number of De-Luxe buses of Haryana Roadways plying in the state together with the routes thereof; and

(b) the total number of De-Luxe buses during the year 1973-73?

शिक्षा मंत्री परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

| | | | |
|-----|--|---------------------------|-----|
| (क) | (i) हरियाणा राज्य डिल्क्स बसों की संख्या | 18 | |
| | (ii) जिस क्षेत्र मे डिलक्स बसों की सेवा उपलब्ध है। | 1. अम्बाला छावनी शिमला | — 1 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---|
| | | 2. देहली – शिमला | 1 |
| | | 3. देहली – चण्डीगढ़ | 1 |
| | | 4. देहली – जगाधरी | 1 |
| | | 5. देहली – जयपुर | 1 |
| | | 6. सिरसा – देहली | 1 |
| (ख) | साल 1973-73 में बढ़ाई गई डिलक्स बसों की संख्या | शून्य | |

High Yield Variety Programme

***495. Sh. Gauri Shankar:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Government proposes to bring more area under the High Yield variety Programme; If so, the area proposed to be covered under this programme together with the cost to be incurred thereon?

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): (हां)

| | | | |
|-----|--------------------|---------|----------|
| (ख) | क्षेत्र (हैक्टेयर) | वर्ष | |
| | | 1973-73 | 1973-74 |
| | (1) धान | 92,000 | 1,18,000 |

| | | | |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| | (2) बाजरा | 2,19,000 | 2,26,000 |
| | (3) गेँहू | 10,00,000 | 12,00,000 |
| (ग) | व्यय | 38,50,000 रूपये | |

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, जैसा मंत्री महोदय ने अपने उतर मे फरमाया है कि इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी से बढोतरी हुई है, काफी लम्बी-चौड़ी इबारत पढी। मै जानना चाहता हूं कि पिछले साल जिन एरियाज मे हाई वैरायटी का बीज बोया गया था उससे वहां कितनी पैदावार हरियाणा में बढी हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने कहा है कि पिछले साल हाई ईल्ड वैरायटी का गेँहू 25 लाख एकड़ मे बोया था। जहां तक ज्यादा पैदावार का ताल्लुक है, मै मानता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाकई की गेँहू की पैदावार कुछ कम हुई है। उसका कारण कुछ और ही है। वैरायटी या बीज का कसूर नही था दरअसल फसल पकाऊ आने के टाईम पर गर्म हवा चली जिससे ईल्ड मे काफी फर्क पडा। इस वजह से पैदावार कम हुई। हायी ईल्ड वैरायटी बीज मे नुक्स की वजह से पैदावार कम नही हुई

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि हायी ब्रिड बाजरे का बीज 1 लाख 47 हजार रूपये का आज भी गोडाउन मे पड़ा है? क्या यह हकीकत है?

चौधरी भजन लाल: यह बिल्कूल गलत बात है। हमे बाजरे का सीड जितना चाहिए था उतना हमारे पास आया भी नही। बाजरे का सारा ही सीड हमारे पास 1600 क्विंटल आया है जबकि हमारी जरूरत 6 हजार क्विंटल की थी।

श्री गौरी शंकर: स्पीकर साहब, पिछले साल से इस साल जो बाजरे का बीज दिया गया वह निकम्मा था और उससे पैदावार का नुकसान हुआ है। क्या इस बारे मे किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बाजरे का सीड कोई प्रान्तीय सरकार नही बनाती है। हम सारे का सारा सीड नैशनल सीड कार्पोरेशन के द्वारा लेते है उसके बाद हम आगे डिस्ट्रिब्यूट करते है। इस बार हमने किसानों को कहा कि बाजरे का सीड एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर न बोये। बाजरे का बीज तीन का ही बोये क्योकि हमने तीन नम्बर को ही रिकमैन्ड किया था। तीन नम्बर सीड के बारे मे किसी किस्म की कोई शिकायत नही आयी और तीन नम्बर का बीज अच्छा भी रहा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर का बीज अच्छा भी रहा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर बाजरे के सीड मे पिछले साल

काफी शिकायत रही थी इसलिये हमने किसानों को सिर्फ बाजरा ही बोने के लिए कहा। जिस के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 105 रुपये क्विंटल के भाव से जो गेहूँ प्रोग्रेसिव फार्मर से लिया उसको आगे किसानों को किस भाव पर बेच रहे हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हमने गेहूँ के सीड का भाव 160 रुपये रखा गया है। इसमें ऐसा है जब हम सीड बनाते हैं तो गेहूँ के मुकाबले की प्रोडक्शन कम होती है, फिर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं उसके हिसाब से वह मंहगा पड़ता है। हमने किसानों को 160 रुपये के भाव से बेचा है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय यह बातने की कृपा करेंगे कि पिछले साल सीड के बारे में उनके पास कोई शिकायत आयी है या नहीं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय गेहूँ के सीड की प्रान्त में कोई कमी महसूस नहीं हुई। गेहूँ का सीड किसान खुद भी बनाते हैं और सरकार ने भी काफी मात्रा में दिया है। प्रान्त में गेहूँ के सीड की कोई कमी नहीं थी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, मैंने यह सवाल नहीं पूछा था कि कमी थी। मेरा मतलब यह था कि क्या मंत्री जी

के पास सीड के खराब होने के बारे में कोई शिकायत आई है जिससे फसल अच्छी न हुई हो?

चौधरी भजन लाल: ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो बीज 160 रुपये क्विंटल से फरोख्त करते हैं वह बीज अब तक कितना स्पलाई किया जा चुका है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने जो सीड बेचा है उसके बारे में तो आगे सवाल आ रहा है उसमें बताऊंगा लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमने कोई छः हजार क्विंटल बेचा है। दूसरे गेहूँ के सीड की प्रान्त में कहीं भी कमी महसूस नहीं की जा रही है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि लोगों को हाई इल्लिंडग वैराइटीज की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार कोई विशेष सुविधाएँ देने पर विचार कर रही है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हाई इल्लिंडग वैरायटी अगर देश में न होती तो आजकल जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है, उससे देश में बहुत बुरा हाल होता। जब हरियाणा बना तो हाई इल्लिंडग वैरायटी के नीचे सिर्फ 16,000 हेक्टेयर जमीन थी और अब इसके नीचे हमने 17 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दी है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदयस यह बतलाने की कृपा करेंगे, जैसे कि उन्होंने यह बतलाया है कि एक नम्बर और दो नम्बर सीड अच्छे नहीं थे, और तीन नम्बर सीड अच्छा था, उन्होंने एक और दो नम्बर सीड क्यों खरीदा, तीन नम्बर खरीदने में उन्हें क्या दिक्कत थी?

चौधरी भजन लाल: हमने एक किंगटल भी, एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर सीड नहीं खरीदा। एक नम्बर, दो नम्बर और चार नम्बर सीड तो नेशनल सीड कार्पोरेशन ने बेचा है। हमने सिर्फ तीन नम्बर बीज बेचा है। हमने अपने किसानों को यह हिदायत दी थी कि वे सिर्फ तीन नम्बर बीज जी बोलें।

तारांकित प्रश्न संख्या 505

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि सम्बन्धित माननीय सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Loans and Grants by the Development department

***446. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for development be pleased to state the various types of loans and grants being given by the Development Department to the Public together with the terms and conditions thereof, separately?

Department Minister (Sh. Shyam Chand): A Statement is laid on the table of the House.

Statement

Loans

(i) The development Department gives loans to public through the agency of Block Development and Panchayat Officers under the provision of land Improvement Act 1883 for Minor Irrigation purposes at the rate of Rs.21 thousand per block per year to be utilized for aforesaid purposes in accordance with the terms and conditions given in Annexure-I.

(ii) The Development Department also gives loans for the construction of houses in the new abadies of model villages. These loans are payable to the loanees according to the size of their land holdings or landless residents as the case may be. The terms and condition for the grant of this type of loans given in Annexure-II.

Grants

(i) The Development Department also gives grants to the Panchyat Samitis for various Development works. These grants are given according to the provision under Section 42 and 43 of the Punjab Panchayat Samiti's Act 1961.

(ii) Discretionary grants sanctioned by the Ministers for works and schemes, the benefit of which accrues to the general public, are also disbursed through the Development Department in accordance with the policy instructions as gives in Annexure-III.

ANNEXURE I

**Terms and conditions for grant of loan by the
Development Department under the N.E.S. Minor
Irrigation Loans Scheme.**

(i) Admissibility

Purposes for which N.E.S. Loans are admissible and the extent up to which loans can be granted are as under:-

| (a) name of the items | Limit of the loan to be advanced |
|------------------------------------|---|
| 1. Minor Irrigation | |
| (i) Sinking of percolation wells | Rs. 2,000 |
| (ii) Repair of old wells | Rs. 1,000 |
| (iii) Installation of Pumping sets | Rs. 2,500 |
| (iv) Installation of Tube-wells | Rs. 6,000 |
| | (Rs. 8,000 in the Non-Irrigated area of Gurgaon and Hissar) |
| (v) Koohls | Rs. 10,000 |
| (vi) Tanks or Diggis | Rs. 12,000 |
| (vii) Jhallars | Rs. 1,000 |
| 2. Reclamation | According to the area of the land to be reclaimed. |

| | |
|---|--|
| 3. Other Puposes | According to the local need subject to the condition that the amount of loan does not exceed the cost of work. |
| (i) Field channels | |
| (ii) Distributaries | |
| (iii) Drainage | |
| (iv) Fencing | |
| (v) Soil conservation including Wahhadi | |

(ii) Sanctioning Authority

Powers to sanction the loan are exercised by the following authorities up to the extent shown against each;-

| | |
|------------------------------------|--|
| (1) Block Dev. & Panchayat Officer | Upto Rs. 3,000 in individual cases. |
| (2) Deputy Commissioner | Upto Rs. 5,000 in individual cases (upto Rs. 6,000 in the case of tube-wells.) |
| (3) Commissioners | Upto Rs. 10,000 |
| (4) Development Commissioner | Exceeding Rs. 10,000 upto Rs. 50,000. |

(iii) Security

Collateral security of land sufficient to cover of loan (i.e. the value of 1½ times of amount of loan to be advanced). The land be hypothecated in favour of the Government.

(iv) Rate of Interest.

As fixed by the Government from time to time.

(v) Repayment.

Recovery is effected in yearly equated installments of Principal and interest during the periods as detailed below:-

| | |
|---|---------------------------------|
| (i) Loans for percolation well | 10 Years |
| (ii) Loans for repair of old wells | Twenty Half Yearly installment. |
| (iii) Loans for pumping sets. | 15 Yearly instalments |
| (iv) Loans for tube wells | 10 years |
| (v) Loans for Kuhls | 10 years |
| (vi) Loan for Tanks or Diggis | 10 years |
| (vii) Loan for jhallars | 10 years |
| (viii) Reclamation | 10 years |
| (ix) Field Channels, Distributaries, Drainage, Fencing or soil conservation | 10 years |

Utilization of loan & period of grace.

The loan shall be utilized solely for the purpose for which it is sanctioned.

A period of one year is allowed for the completion of work and the completed works shall be got inspected by the sanctioning authority within this period. The first installment of recovery shall become payable on the expiry of that period.

In case of non-utilization of mis-utilization of the loan money, the whole amount advanced shall become payable in lump-sum along with the interest chargeable.

Execution of Bond.

The loanee shall be required to execute an agreement bond in the prescribed form for the fulfillment of the conditions attaching to the loan and its repayment alongwith the interest thereon.

ANNEXURE II

The main terms and conditions for the grant of loan under the Model Village scheme are as under:-

(1) The loan is advanced @ 75% of the estimated cost of a house. The costs of construction have been estimated category-wise as under:-

| | Rs. |
|------------|-------------|
| Category A | 30 Thousand |
| Category B | 20 Thousand |
| Category C | 15 Thousand |

| | |
|------------|-------------|
| Category D | 10 Thousand |
|------------|-------------|

(2) The loan is disbursable in three installment; first installment 20% in the beginning, second installment 50% when the house comes up to plinth level and the third installment 30% of loan when the house is completed upto roof level.

(3) The loan is recoverable is recoverable in 40 half yearly equal installment of principal and interest-first installment being due 3 years after the drawal of 1st installment of loan.

(4) The loan for category of house is subjected to an interest of 3% per-annum while loan for other category is subjected to interest of 5% per annum.

(5) If a loanee completes his house within one year of the drawl of Ist installment of loan of, 1/3 of the loan is remitted by way of subsidy.

(6) those who construct their houses without taking loan form the Government, will be entitled to subsidy of 40% of the amount of loan to which they would have otherwise been eligible.

ANNEXURE-III

Policy instructions governing the Discretionary Grants by Ministers.

1. These grants are sanctioned subject to the following consideration:-

(i) The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretaries will generally keep in mind for guidance, the following categories of works/schemes for assistance provided the benefit accrues to the general public:-

(a) Drinking water supply scheme.

(b) Permanent works for improvement of Agriculture.

(c) Permanent works for improvement of rural sanitation.

(d) Village Roads, including small bridges and culverts.

(e) Improvement to schools or dispensary buildings where such institutions already exist and are in adequately housed.

(f) Library Books.

(g) Construction of godowns for storage of goods

(h) Allocation to panchyats for works connected with Panchyats.

(i) Uniforms to be supplied to poor school children.

These categories are, however, illustrative and not exhaustive. The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries can sanction grant-in-aid for any

work or scheme which is likely to improve conditions in the country side or benefit the community as a whole.

(ii) The condition for matching contributions from the beneficiaries need not be insisted upon, The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries while sanctioning the grants will keep in mind the possibility of making beneficiaries contribute.

(iii) Grant-in-aid will not be admissible to Government Institution.

(iv) Grant-in-aid will not ordinarily be admissible to denominational institutions. They may, however, be given to any such institutions where the particular items of works for which the grant is made, represents a district expansion of existing facilities and the institutions is open to all communities living in the area.

(v) Grants-will be admissible throughout the State.

(vi) Grant-in-aid should ordinarily no be given for the same work or scheme by more then one Minister. As soon as it is noticed that more than one Minister has sanctioned grants for the same works or scheme in the same area, the Development Department shall bring the matter to the notice of The Chief Minister/Ministers/Minister of State/Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries and obtain his orders for utilization of the grant elsewhere.

(vii) No discretionary grant shall be sanctioned by any Minister including the Chief Minister during the period of three months preceding the date of General Elections to the State Legislature or Parliament. Further in the case of a bye-election or bye-elections, no discretionary grant shall be sanctioned in the constituency or constituencies concerned during the period of three months preceding the bye-election(s) or from the fixing of the date of the bye-election(s) whichever period was shorter.

2. As the grant is to be spent at the discretion of The Chief Minister, Ministers, Minister of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries the works or scheme which they would like to be executed out of the amount at their disposal, should be intimated by them to the Development Department, alongwith the amount of grant-in-aid which they would like to be rapid for each work. The Development Department will take necessary action regarding the allotment of these funds to the Deputy Commissioner concerned immediately for being utilized/spent during the financial year thorough the Zila Parishad/Panchayat Samitis or the panchayats concerned, the Public Works Department (Buildings, Roads and irrigation Branches) or any other Government agency or Municipal Committee, as may be indicated by The Chief Minister, Ministers, Minister of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretaries for the purpose for which it is given. Moreover, in cases, where the major portion of the expenditure on a particular project is to be borne by the management of the institutions themselves, then the grant money should be disbursed to the management

of the institution for the execution of the said work/scheme subject to the condition that the Deputy Commissioner will ensure that proper accounts are audited by the Audit Department. The Deputy Commissioner should personally ensure that the grant money made by the ministers etc. to a panchayat or other local body for non- governmental expenditure, which are allocated to him, is utilized and the relevant works/scheme are executed properly. As soon as the work/scheme has been completed, a certificate to this effect will be sent by the Deputy commissioner to the Audit Department. The Deputy commissioner, Shall also ensure the proper account of all moneys spent on such schemes by the Zila Parishads/ Panchayat Samitis or Panchayats, as teh case may be are properly maintained and kept of the propose of audit. The Deputy Commissioner will also ensure that detailed accounts of all such expenditure are otherwise maintained in accordance with the procedure applicable to Local Development Works. These instructions will also be applicable to any additional amounts made available of the purpose during the current financial year.

तारांकित प्रश्न संख्या 463

श्री अध्यक्ष: तारांकित प्रश्न संख्या 463 के बारे मे सरकार ने एक्टैन्शन मांगी है जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध मे निम्न पत्र प्राप्त हुआ है:

“Maru Singh Malik D.O. No. 39-Edu-II-2E/73/32979

मंत्री

शिक्षा विभाग हरियाणा

चण्डीगढ़

Dated the, 14th Nov., 1973

Subject: Starred assembly Question No. 463
regarding Primary Schools.

My dear Gupta Sahib,

I write to inform you that Starred Assembly Question No. 463 to be asked by Shri Dal Singh, M.L.A. was received in the Education Secretariat on the 19th October, 1973. I understand that this question has been fixed for answer on the 15th November, 1973. As some information asked for from the District Offices has not been received, i feel that it will not be possible to answer it on the 15th November, 1973. I shall, therefore, feel grantful if this question is fixed for answer on any date after the 30th November, 1973.

Yours Sincerely,

Sd/-

(Maru Singh Malik)

Sh Banarshi Dass Gupta,

Speaker

Haryana Vidhan Sabha,

Chadigarh.”

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक नहीं है। इससे पहले भी मेरे एक सवाल के बारे में सरकार एक्टेंशन मांग चुकी है। सरकार के पास ये फिगरज तो होती है। कि कितने प्राइमरी स्कूल नए खोले गए और कितने प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल बनाए गए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कि छिपाई जा सके।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने फरमाया है कि यह इन्फर्मेशन हमने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से मांगी है, वह हमें अब तक मिली नहीं है।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, जो कुछ हम पूछते हैं उसके लिए यह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से इन्फर्मेशन मिली नहीं है।

Growing of food.

***487. Sh. Grish Chander Joshi:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the steps taken to grown more food in the State during the year 1973-73.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1972-73 में अधिक अन्न उत्पादन के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करने के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा कृषिकों को 724.980 लाख रूपए ऋण के रूप में दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 29,640 नए नलकूप तथा पम्पस लगाए गए हैं, जिससे कि लघु सिंचाई के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 की अपेक्षा 1,33,000 हैक्टेयर की वृद्धि हुई है।

अधिक उपज देने वाली जातियों के अन्तर्गत क्षेत्र:

वर्ष 1972-73 में अधिक उपज देने वाली जातियों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई जो कि धान के अन्तर्गत 92,000 हैक्टेयर, मक्की के अन्तर्गत 13,000 हैक्टेयर, शंकर बाजरा 2,19,000 हैक्टेयर तथा गेहूँ के अन्तर्गत 10,00,000 हैक्टेयर्स हैं।

उन्नत बीजों का प्रयोग:

अधिक उत्पादन में उन्नत बीजों के महत्व को देखते हुए 1972-73 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत निम्न मात्रा में बीजों का प्रबन्ध किया गया है।

| | |
|------------|----------------|
| गेहूँ | 15,320 क्विंटल |
| चना | 630 क्विंटल |
| शंकर बाजरा | 1,885 क्विंटल |
| मक्की | 117 क्विंटल |

| | |
|-----|---------------|
| धान | 1,777 क्विंटल |
|-----|---------------|

रसायनिक खाद:

रसायनिक खाद के प्रयोग से उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। वर्ष 1972-73 में रसायनिक खादों का निम्नलिखित मात्रा में वितरण किया गया:—

| | मात्रा (टनों में) |
|-------------------|-------------------|
| खाद | वर्ष 1972-73 |
| एमोनियम सल्फेट | 4,15,530 |
| (एन) | 83,106 |
| सुपर फास्फेट | 50,930 |
| (पी) | (8,175) |
| म्यूरिएट आफ पोटैश | 4,360 |
| (के) | (2,611) |
| जोड़ | 4,70,820 |
| न्यू ट्रीएंटस: | (39,892) |

गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत में बढ़ोतरी 18.6 प्रतिशत ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में जितनी खाद की आवश्यकता थी, क्या उतनी खाद किसानों को मिली है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, खाद के बारे में स्थिति यह है कि सारे देश में ही खाद की कमी रही है। खाद बाहर से आती है। हमें बाहर से ही खाद कम मिली। जितनी हमें खाद की जरूरत थी, उतनी खाद आई नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा खाद दें। भारत सरकार ने भी हमारे साथ बहुत ही सहानुभूति वर्ताव किया और वे जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते थे, की। लेकिन जितनी हमारी जरूरत थी, उससे थोड़ी बहुत कम अवश्य रही है।

मलिक सतराम दास बतरा: स्पीकर साहब, हिसार यूनिवर्सिटी के कुद लैक्चरर, कुछ डाक्टर, कुछ प्रोफैसर आजकल रबी कम्पेन के तहत गांव गांव में जा रहे हैं। यदि हम यह भी मान लें कि वह ठीक काम कर रहे हैं तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एक किल्ला जमीन भी अपने हाथ से जमींदार को बंध कर दी है? इसके इलावा मैं यही भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसान को पानी की सरटेंटी का आश्वासन देती है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी से अढाई सौ से करीब एक्सपर्ट्स हमने बुलाए है। हमने अढाई सौ टीमे बुलाई है। उनकी एक-एक पार्टी के अधीन हमने 10-10 गांव रखे है। वे लोग तकरीबन अढाई हजार गांवों मे इसकी डिमान्स्ट्रेशन लगाकर किसानों को बताएंगे कि आपको इस तरह से खाद डालनी है, इस तरह से बोना है, सारी बातें वे अच्छी तरह से समझाएंगे। इस चीज का हमने प्रबन्ध का सवाल है, अधिक पानी देने के लिए भी हमने इस बार वैस्टर्न जमुना कैनाल मे 6-7 सौ क्यूसिक पानी भाखड़ा से लेकर चलाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोईंग हो सके। पिछले साल के मुकाबले मे इस साल भाखड़ा की नहरों मे भी ज्यादा पानी चला है।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह फरमाने की कृपा करेगे कि गेहू की कीमत कम होने के कारण किसान को जो रूझान अब जौ, सरसों और चने काशत करने की तरफ है, उसके लिए कोई पग उठाए जा रहे है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बात ऐसे है जब गेहूं का भाव तय करने का जिक्र आया, उस समय हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूरी लड़ाई लड़ी कि किसान के लिए गेहूं का भाव कुछ बढ़ाना चाहिये लेकिन भारत सरकार की भी उसमे कुछ मजबूरियां होती है। उन्हे भी इस बात का फेसला करते समय बहुत सी बातें ध्यान मे रखनी पड़ती है। जैसे लेबरर है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, कर्मचारी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता

है लेकिन इस सब के बावजूद भारत सरकार ने गेहू का भाव बढ़ाया है। पिछले साल गेहू का भाव 76 रूपये था जब कि इस बार उन्होंने इसकी स्पोर्ट प्राईस 85 रूपए नियत की है। जैसे पिछले साल पैडी की स्पोर्ट प्राईस 63 रूपये मुकरर की थी और फिर अब उन्होंने उसकी प्रोक्योरमेंट प्राईस 70 रूपये मुकरर की है, इसी तरह से उन्होंने जो गेहूं की 85 रूपये स्पोर्ट प्राईस मुकरर की है, उसमें यह आशा है कि इसकी प्रोक्योरमेंट प्राईस जरूर कुछ न कुछ बढ़ेगी। जहां तक एरिया कम होने का सवाल है चने ओर जौ मंहगें भाव से बिक रहे हैं इससे कुछ न कुछ तो जरूर फर्क पड़ेगा।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह माना है कि खाद की कमी हैं। खाद की कमी की वजह से, खाद ब्लैक में बिकता है। अगर यह बात उनकी नौलेज में है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसको रोकने के लिए क्या कोई प्रबन्ध करने का विचार है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सारी की सारी खाद, जितनी भी आती है वह को-आप्रेटिव सोसाइटीज के थरु बिकती है। हमारे प्रान्त में 70 प्रतिशत खाद किसानों को को-आप्रेटिव सोसाइटीज के द्वारा तकसीम की जाती है और 30 प्रतिशत खाद प्राईवेट डीलरज के द्वारा दी जाती है। उसके लिए भी हमने पिछले सेशन में एक बिल पास किया है जिसके द्वारा उन पर भी हमारा पूरा कन्ट्रोल है। डिप्टी कमिश्नर को उसको कन्ट्रोल

करने का हमने पूरा अधिकार दिया है। अगर कहीं भी कोई ब्लैक जैसी बात हो और उस के नोटिस में आए तो वह ऐक्शन ले सकता है। अगर कोई ऐसी बात आपके नोटिस में हो तो आप सरकार के नोटिस में लाएं, उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, जिस इलाके के अन्दर गेहूँ नहीं होता, उस इलाके के अन्दर खाद की बहुत जरूरत है जैसे कि साल्हावास और नाहड़ का इलाका है। वहाँ पर इतनी ज्यादा गेहूँ तो नहीं होती लेकिन अग पहले से कुछ अधिक है। हमारे यहाँ झज्जर तहसील ऐसी है कि वह प्रोक्वोरमेंट के अन्दर सबसे ऊपर रही है। उसने अपने टारगेट से भी ज्यादा गेहूँ प्रोक्वोर किया है। क्या मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि हमारे इन इलाको को भी खाद दी जाएगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम खाद सारी स्टेट के कोने कोने में देते हैं। सरकार यह सर्वे कराती है कि कौन-कौन से इलाके में कितनी – कितनी खाद चाहिए। सर्वे की रेशो के हिसाब से हम खाद तकसीम करते हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान जो अन्दाता है, वह पहले के मुकाबले में और गरीब क्यों होता जा रहा है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी पीर चन्द: जैसे कि मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि पिछले साल खाद की कमी रही , मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस साल खाद की कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रबन्ध किये हुए है या नहीं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह कहा है कि इस बारे में हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान को खाद हर हालत में मिले लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, भारत सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि खाद बाहर से आती है और खाद बाहर से ही कम आने की वजह से इसकी कमी है।

राव बन्सी सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाईज कितनी-कितनी खाद अलाट की गई है और डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में खाद की बहुत कमी रही है क्या यह बात भी उनके नोटिस में है? इस कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रबन्ध किए जा रहे हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट वाईज कितनी खाद अलाट की गई इसकी तो फिगरज मेरे पास नहीं है, अगर पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दे दे उसका भी जवाब दे देंगे लेकिन जहां तक खाद की कमी का ताल्लूक है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, खाद की सिर्फ हमारे प्रान्त में ही नहीं, सारे देश में कमी है। जहां तक महेन्द्रगढ़ जिले का ताल्लूक है जहां

पर खाद ज्यादा लगती है वहां पर ज्यादा दी जाती है और जहां पर उसकी जरूरत थोड़ी होती है, वहां पर थोड़ी दी जाती है।

चौधरी शिव राम वर्मा: मंत्री महोदय ने अभी यह आंकड़े दिए हैं कि हमने किसानों को यह यह चीजे दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सुविधाएं देने के कारण कितनी पैदावार बढ़ी है? एक तरफ सुविधा देने की बात कही गई है और दूसरी ओर किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमें कटौती की जा रही है क्या यह भी ग्रो मोर फूड का एक हिस्सा है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के मुकाबले में जहां तक उत्पादन का ताल्लूक है वह तो आगे आएगा लेकिन जहां बिजली का ताल्लूक है, हमने सोईंग के वक्त ट्यूबवैल को पूरी बिजली देने की कोशिश की है। हो सकता है कि कभी किसी मशीनरी में नुक्सान आने की वजह से कुछ कमी आ गई हो लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि किसान को हर ट्यूबवैल के लिए पूरी बिजली मिले।

चौधरी दल सिंह: मिनिस्टर साहब, ने अभी फरमाया कि किसानों को हमने सुविधाएं दी और वे किसानों के बड़े हمدर्द हैं। जमींदारों को देने के लिए भारत सरकार ने बोनस मिला है वह किसानों को आज तक क्यों नहीं दिया गया है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी दल सिंह ने ऐसी बात कही जैसे सारा कुछ इनको पता है। अभी तक सरकार

ने बोनस नहीं दिया है। ज्यों ही बोनस हमारे पास आएगा हम फौरन किसान को दे देंगे।

Consumption of Fertilizer

***496. Sh. Gauri Shakar:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that fertilizer consumption has gone up in the State; if so, the percentage of increase in 1973-73 and 1973-74.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): वर्ष 1972-73 में वर्ष 1971-72 की अपेक्षा खाद की खपत में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 1973-74 (फरवरी से सितम्बर तक) खाद की खपत 1972-73 (फरवरी से सितम्बर तक) की तुलना में बराबर हो रही।

चौधरी राम लाल वधवा: जो कमी है उसको पूरा करने के क्या साधन तैयार किए जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब यह दे चुके हैं?

तारांकित प्रश्न संख्या 506

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि सम्बन्धित माननीय सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Revenue Patwaris

242. Chaudhri Dal Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether any persons were selected by the S.S.S Board, Haryana for appointment to the post of Revenue Patwaris in the years 1973;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative whether the S.S.S. Board Haryana, recommended the names of the selected persons as referred to in part (a) above to the Deputy commissioners in the State for appointment against the vacant posts of Revenue Patwaris; if so, the District-wise number and names of such persons;

(c) whether the selected persons as referred to in part (b) above have been appointed by the concerned Deputy Commissioners; and

(d) the Total number of District-wise vacant posts of Revenue Patwaris in the State as on 30th September, 1973.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Yes.

(b) Yes, District-wise number and names of such persons are embodied in Annexure 'A'.

(c) Out of the selected persons as referred to in part (b) above, 16 have been appointed by the concerned Deputy Commissioners.

(d) 96 as per given in Annexure 'B'.

ANNEXURE 'A'

Hissar District.

Sarvshri:-

| | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Kashmiri Lal |
| 2 | Om Parkash |
| 3 | Ramji Lal |
| 4 | Jagdish chander S/o Attar Chand |
| 5 | Sohan Singh |
| 6 | Jagdish chander S/o Ganpat Ram |
| 7 | Ram Chander |
| 8 | Kapur Singh |
| 9 | Balkar Singh |
| 10 | Bhool singh |
| 11 | Main Paul |
| 12 | Ranjeet Singh |
| 13 | Balwan Singh |
| 14 | Gurmel Singh |
| 15 | Om Parkash |
| 16 | Babu Singh |
| 17 | Ram Narain |

| | |
|----|----------------|
| 18 | Gugan Ram |
| 19 | Satish Kumar |
| 20 | Pawan Kumar |
| 21 | Hari Singh |
| 22 | Dhup Singh |
| 23 | Ram Partap |
| 24 | Harphul Singh |
| 25 | Hans Raj |
| 26 | Shamsher Singh |
| 27 | Mahabir Singh |

Bhiwani District.

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Sajjan Singh |
| 2 | Ram Parkash |
| 3 | Parkash Chander |
| 4 | Manohar lal |
| 5 | Hans Raj |

Sonipat District

| | |
|---|----------------|
| 1 | Rajinder Singh |
|---|----------------|

Karnal District

| | |
|---|------------------|
| 1 | Jiwan Dass Batra |
| 2 | Babu Ram |
| 3 | Bakshi Narain |

Kurukshetra District

| | |
|---|------------|
| 1 | Shiv Kumar |
| 2 | Meg Raj |
| 3 | Mange Ram |

Ambala District.

| | |
|---|--------------|
| 1 | Sham Singh |
| 2 | Prem Chand |
| 3 | Om Parkash |
| 4 | Ajmer Singh |
| 5 | Raj Kumar |
| 6 | Ramesh Chand |

| | |
|----|------------------|
| 7 | Jag Paul |
| 8 | Shiv Dayal |
| 9 | Mam Chand |
| 10 | Sudaugar Ram |
| 11 | Rajinder Parshad |
| 12 | Gian Chand |
| 13 | Nar Singh |
| 14 | Gurdial Singh |
| 15 | Brij Bhushan |

Jind District

| | |
|---|------------------|
| 1 | Punjab Singh |
| 2 | Babu Ram |
| 3 | Om Parkash |
| 4 | Mukat Bihari Lal |
| 5 | Dalip Chand |
| 6 | Raj Kumar |
| 7 | Jogi Ram |
| 8 | Bhup Singh |

| | |
|----|------------|
| 9 | Telu Ram |
| 10 | Des Raj |
| 11 | Jai narain |
| 12 | Man Singh |
| 13 | lal Chand |
| 14 | Sham Lal |

Narnaul District

| | |
|---|---------------|
| 1 | Duli Chand |
| 2 | Budh Ram |
| 3 | Sardara Singh |
| 4 | Hari Singh |
| 5 | Brij Mohan |
| 6 | Ranbir Singh |

ANNEXURE 'B'

| Sr. No. | District | Number |
|---------|----------|--------|
| 1 | Hissar | 33 |

| | | |
|-------|-------------|----|
| 2 | Bhiwani | 16 |
| 3 | Rahtak | - |
| 4 | Sonepat | 4 |
| 5 | Gurgaon | - |
| 6 | Karnal | 5 |
| 7 | Kurukshetra | 3 |
| 8 | Ambala | 3 |
| 9 | Jind | 14 |
| 10 | Narnaul | 18 |
| Total | | 96 |

अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न स. 513 पर संव्यवस्था (रूलिंग) 4(21)

श्री अध्यक्ष: 12 नवम्बर, 1973 को जब प्रश्न का उत्तर दिया जाना था, श्री हरद्वारी लाल, एम.एल.ए. ने सचिव, विधान सभा को यह लिखकर भेजा कि यह मामला न्यायाधीश (सब-जुडिस) हो गया है क्योंकि उन्होंने इस मामले के बारे में जो कि उनसे सम्बन्धित है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वर्तमान उप-कुलपति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन एक परिवार (कम्प्लेंट) दायर किया हुआ है। उन्होंने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चण्डीगढ़ के न्यायालय में अपने द्वारा दायर

किए गए परिवाद की एक प्रति साथ लगाई थी और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि यह तथ्य मेरे ध्यान में लाया जाए “क्योंकि सदन के नियमों तथा रूढ़ि के अनुसार ऐसे मामले का वर्णन नहीं किया जा सकता या उस पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायाधीन (सब-जुडिस) हों।”

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 46 के खण्ड (10) में यह दिया गया है कि “इस (प्रश्न) में किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी विधी-न्यायालय (कोर्ट आफ ला) के न्याय-निर्णयन के अधीन हो।” यह प्रश्न इस विषय के न्यायाधीन (सब-जुडिस) बनने से पहले ही स्वीकार किया जा चुका था और मैं समझता हूँ कि यह नियम इस विशेष मामले में किसी प्रकार लागू नहीं होता। तथापि इस मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्यगण से आग्रह करूँगा कि वे इस प्रश्न के उत्तर के लिए जोर न दें।

Chaudhri Hardwari Lal: Sir, I have a submission to make. . .

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। मेरी रूलिंग आ चुकी है।

Chaudhri Hardwari Lal: The ruling is that subjudice matter can be referred to

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। मैने रूलिंग के अन्दर सब कुछ कह दिया हैं।

Chaudhri Hardwari Lal: I Want to understand if Sub-Judice matter can be referred to in the House.

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैने अपनी रूलिंग दे दी है उसके अन्दर सब कुछ कह दिया है।

Chaudhri Hardwari Lal: I just want to know if the ruling is that it could be referred to

श्री अध्यक्ष: अगर कुछ और बात करनी है तो आप मेरे चैम्बर मे आए जाए।

Chaudhri Hardwari Lal: I am sorry I could not follow the last part of it.

श्री अध्यक्ष: मैने जिक्र किया कि समय यह क्वेश्चन एडमिटेड हुआ यह उस वक्त सब-जुडिस नही था।

Chaudhri Hardwari Lal: As a Matter of fact, the question should not have been admittede because it related to a matter

श्री अध्यक्ष: मै इस सवाल का पर बहस नही करना चाहता।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी एक मोशन यू.पी. बोर्डर के सम्बन्ध में थी उसके बारे में स्वीकृति मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: उसकी इतलाह आपको मिल जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मामला है गवर्नमेंट की तरफ से जनता को और सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, आपने कह दिया कि रूलिंग आ चुकी है और आपने कहा है कि मैम्बर न दे लेकिन फिर भी अगर मैम्बर जोर दें

श्री अध्यक्ष: मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहता।

चौधरी चांद राम: डेट आफ रूलिंग बाद की है.
...

श्री अध्यक्ष: मेरी रूलिंग आ चुकी है अब इस बहस की आवश्यकता नहीं है। अब कृषि मंत्री चौधरी अमर सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देंगे।

कृषि मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (संख्या 1 पर वक्तव्य)

10.00 बजे

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय सदस्य ने सदन का ध्यान आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा बढ़ती हुई कीमतों के बारे में आकर्षित किया है, जिनकी स्थिति इस प्रकार है:—

साफ्ट कोयला

भारत सरकार ने हमारे राज्य के लिये 750 वैगन प्रति मास का कोटा नियत किया हुआ है परन्तु वैगन उपलब्ध न होने के कारण हमारे राज्य में यह कोयला बहुत कम प्राप्त हुआ है। इस के लिए हम समय-समय पर रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलते रहे हैं और राज्य को अधिक वैगन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। परन्तु हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी राज्य को आवश्यकतानुसार साफ्ट कोयला नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार slack coal की भी कमी हमारे राज्य में काफी चलती आ रही है क्योंकि 20 रोक प्रति मास के विरुद्ध केवल एक या दो रोक प्रति मास मिल रहे हैं। अधिक रोक प्राप्त करने के लिए कोशिश जारी है और भविष्य में भी प्रयत्न जारी रहेंगे। इन वस्तुओं की कमी सारे देश भर में है और कई कठिनाईयों के होते हुए भी भारत सरकार हमारी मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है।

2. साथ ही राज्य मे कोयला आता है उसके इक वितरण की पूरी व्यवस्था की गई है। Haryana Distribution of Domestic Fuel Order, 1971, के अधीन जिलाधीशों को साफ्ट कोयले का मूल्य नियत करने की शक्तियां भी दी हुई हैं तथा कोयले के डिपो होल्डर्ज जिला अधिकारियों द्वारा नियत की गई कीमत पर ही कोयला बेच सकते हैं। जिला अधिकारियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि साफ्ट कोयले की कीमत इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले मे ज्यादा नहीं बढी है। कुछ एक जिलों में जिलाधीशों ने एक से डेढ रूपये की प्रति किवंटल तक दर बढाए है। साफ्ट कोयले के वितरण के लिये जिलों मे जिलाधीशों की अनुमति से कोयले के डिपो खोले जा सकते है तथा जहां भी जिलाधीश आवश्यक समझते है कोयले के और डिपो भी लोगो की सुविधा के लिए खोजे जा सकते है।

वनस्पति घी

3. हमारे राज्य के लिए भारत सरकार ने 1,613 अन प्रति मास वनस्पति घी का कोटा नियत किया है। इस कोटे का अधिकतर हिस्सा राज्य से बाहर की वनस्पति घी की मिलों से दिया हुआ है। परन्तु वनस्पति घी के कम उत्पादन के कारण बाहर की मिलों की ओर से कुछ महीनें से हमें कम सप्लाई प्राप्त हुई है जिस के कारण हमे राज्य की मिलों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा है।। राज्य मे केवल चार मिलें प्रतिमास 600 टन वनस्पति घी बनाती है और बाहर की मिलों से केवल 70-80 टन घी मिल रहा

है। इस प्रकार हमें 1,613 टन के विरुद्ध केवल 700 टन घी ही प्राप्त हो रहा है। इसलिये घी के वितरण पर भी पूरा नियन्त्रण किया गया है। जिला अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि घी का वितरण राशन कार्डों पर ही किया जाए। इस समय घी के वितरण के लिए राज्य में 484 Whole Dealers तथा 720 Retail Dealers हैं।

वनस्पति घी के कम उत्पादन को मुख्य कारण खाने वाले तेलों की कमी है। पिछले वर्ष देश के कई प्रमुख राज्यों में सूखा पड़ा और बाहर के देशों से भी कम मात्रा में यह तेल प्राप्त हुआ। परन्तु इस खरीफ में गुजरात आदि राज्यों में मुंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है और आशा है कि शीघ्र ही वनस्पति घी के वितरण पर नियन्त्रण हटा दिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से भी कीमत में कमी होने की आशा है।

सीमेंट

4. हमारे राज्य को 20 लाख टन की इस वर्ष की मांग के विरुद्ध भारत सरकार ने केवल 3.88 लाख टन सीमेंट अलाट किया है। भारत सरकार ने हमारे आग्रह करने पर हमें बताया है कि देश में सीमेंट का उत्पादन इतना नहीं है जिससे हमारी मांग पूरी की जा सके। कम उत्पादन होने के कारण, बिजली की कमी, मजदूरों की हड़ताल आदि हैं। जो भी सीमेंट राज्या को प्राप्त होता है उस के वितरण पर पूरा नियन्त्रण है और अधिकतर

सीमेन्ट सरकारी कामों के लिए तथा जनता को नलकूपों आदि के लिए प्राथमिकता से दिया जाता है। जो free-sale कोटा है उस के वितरण के लिए S.D.Ms. की अध्यक्षता में कमेंटियां बनाई हुई हैं और इन कमेंटियों की देख रेख में सीमेन्ट का ठीक ढंग से वितरण किया जाता है।

हमारी मांग पर भारत सरकार ने राज्य में स्थित दोनो सीमेन्ट फैक्ट्रियों का अधिकतर उत्पादन हमारे राज्य को अलाट किया है जिस के फलस्वरूप दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमें काफी सीमेन्ट प्राप्त होता है।

सीमेन्ट की कीमत भी भारत सरकार ही नियत करती है और उन्होंने 15 सितम्बर, 1973 से सीमेन्ट की कीमत 10 रुपये प्रति टन बढ़ाई है।

मिट्टी का तेल

5. मिट्टी का तेल का कोटा भी भारत सरकार द्वारा ही हर मास दिया जाता है। पिछले मास का कोटा लगभग 73 लाख लीटर था। मिट्टी का तेल पर भी राज्या का पेटा नियन्त्रण है और Punjab Kerosne Oil Dealers Licencing Order, 1966 के अधीन जिला अधिकारियों ने हमारे राज्य में 147 होलसेलर्ज तथा 724 रिटेल डीलर्ज नियत किए हैं। जिला अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कि जब भी मिट्टी के तेल की कमी महसूस हो तो इस का वितरण राशन कार्डों द्वारा ही किया जाए जिस की मात्रा 5

सदस्यों वाले कुटूम्ब के लिये 10 लीटर प्रति मास तथा पांच से अधिक सदस्यो वाले कुटुम्ब के लिए एक टीन प्रतिमास रखा है। भारत सरकार को भी प्रार्थना की गई है कि हमारे राज्य का कोटा 73 लाख से बढ़ा कर 90 लाख लिटर किया जाए।

मिट्टी के तेल की कीमत भी भारत सरकार ने नियत की हुई है। इस मास भारत सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमत मे 28 पैसे लिटर की वृद्धि की थी जो हाल ही मे 10 पैसे प्रति लिटर कम कर दी गई है।

चावल तथा गेहूँ

6. अगस्त तथा दिसम्बर के मासों मे गेहूँ के आटे की मांग की काफी थी लेकिन भारत सरकार की ओर से हमें 30,000 टन की मांग के विरुद्ध केवल 10,000 टन प्रति मास मिला राज्य सरकार ने इस थोड़ी मात्रा को ठीक ढंग से वितरण करने के लिए यह निर्णय लिया कि गेहूँ की बजाए केवल आटा ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दूकानों द्वारा दिया जाए ताकि केवल गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति ही इसे लें। Prevention of Harding Order के अधी यह आदेश जारी किए हुए है कि राशन कार्ड पर केवल उन्हे आटा दिया जाए जिनके पास गेहूँ का भण्डार नहीं है। यह आदेश Defence of India Rules के अधीन जारी किए गए है और उनके अधीन गलत ढंग से राशन लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती हैं।

इस कार्यवाही का काफी अच्छा असर पड़ा तथा अब खरीफ की अच्छी फसल होने के कारण बाजरा आदि भी लोगों को ठीक भाव पर मिल रहा है और अब आटे की अधिक मांग नहीं रही है।। अब पूरी मांग के अनुसार आटा भेजा जाता है। इसी प्रकार चावल के बारे में भी हमारे राज्य में स्थिति ठीक रही है। अक्टूबर के महीने में पिछले महीने के मुकाबले उचित मूल्यों की दूकानों द्वारा बहुत ही कम चावल उठा जब कि हर लै में अधिक स्टॉक थे।

राज्य सरकार ने गेहूँ तथा चावल की कीमत में कोई विशेष वृद्धि नहीं की है। भारत सरकार की ओर से जिस भाव पर गेहूँ मिलता है उसमें केवल आवश्यक खर्चा लगा कर भाव नियत किए जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 8 नवम्बर, 1973 से गेहूँ के भाव में 12 रुपये प्रति क्विंटल तथा चावल के भाव में 25 रुपये से 28 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है जिसके अनुसार गेहूँ तथा चावल के भाव में कुछ वृद्धि हुई है।

गेहूँ और आटे और चावल के वितरण के लिए राज्य में इस समय 860 शहरी डिपो तथा 2,817 ग्रामीण डिपो चल रहे हैं। जिला अधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि हर गांव में जहां कहीं भी और डिपों खोलने की मांग हो वहां जनता की सुविधा के लिए डिपो फौरन खोल दिए जाए। इस वर्ष देहात के लोगों को राशन कार्ड भी खाद्य विभाग ने तैयार कर दिए हैं तथा झूठे कार्डों की शिकायत दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है।

जहां तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सिलसिलों में गेहूँ तथा चने के बीज, खाद तथा ट्रैक्टरों की कमी तथा बढ़ती हुई किमतों की बात है इस के बारे में स्थिति इस प्रकार है:-

बीज

7. कृषि विभाग ने बीज की कमी की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए इनको प्राप्त करने के लिए काफी कदम उठाए हैं जब कि पिछले वर्ष केवल 630 क्विंटल चने का बीज राज्य की ओर से वितरित किया गया था, इस वर्ष राज्य में 13,000 क्विंटल चने के बीज का वितरण किया गया जिसमें से लगभग 10,000 क्विंटल बीज राजस्थान से बहुत प्रयत्नों के बाद प्राप्त किया। चने का बीज 185 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा गया जब कि बाजार में चने के बीज की कीमत 200 रुपये से अधिक रही। इसी तरह चालू रबी की फसल में 15,000 क्विंटल गेहूँ के बीज का भण्डार किया गया है और यह बीज 160 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बेचा जा रहा है जब कि नैशनल सीड कार्पोरेशन के बीज का भाव 210 से 220 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य में कहीं से भी बीज की कमी की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

खाद

8. रासायनिक खाद की कमी न केवल हमारे देश में है बल्कि सभी देशों में है। भारत सरकार के पूरे प्रयत्नों के बावजूद देश के सभी राज्यों में रासायनिक खाद की भारी कमी है। भारत

सरकार ने हमारे राज्य की कृषि उत्पादन की क्षमता और केन्द्रीय पूल में योगदान का ध्यान में रखते हुए खाद की अलाटमेंट में हमारे राज्य को विशेष प्राथमिकता दी है। इसके बावजूद हमारे राज्य में किसानों की जागरूकता के कारण हमें खाद की कमी महसूस हो रही है। 1967-68 में राज्य में खाद की 1 लाख 62 हजार टन की खपत हुई थी जब कि पिछले साल खाद की कमी के बावजूद भी इसकी खपत 40 लाख 70 हजार टन हुई है यानी 5 वर्षों में तीन गुना वृद्धि हुई है। यदि आवश्यकता के अनुसार खाद प्राप्त होती तो खपत में और भी वृद्धि होती। इस वर्ष की खरीद के लिए हमने 3 लाख टन खाद की मांग की थी जब कि विश्व भर में खाद की कमी के कारण भारत सरकार ने हमें केवल 2 लाख 64 हजार टन अलाट किया। जिस में से 2 लाख टन खाद प्राप्त हुई। इसी प्रकार चालू रबी के लिए हमने 6,80,000 टन की मांग की थी जिसके मुकाबले में हमें 4,40,000 टन अलाट किया। रबी के लिए खाद प्राप्त करने में बन्दरगाहों पर जहाजों में से खाद उतारने की कठिनाई के कारण कुछ देरी अवश्य हुई है लेकिन अब यह दिक्कत दूर हो गई है और राज्य में Phosphatic खाद पूरी मात्रा में प्राप्त हुई है और नाइट्रोजनयस खाद भी शीघ्र ही पूरी मात्रा में प्राप्त होगी।

खाद की कीमत भी भारत सरकार ने निर्धारित की हुई है और हाल ही में अन्य मुल्कों में खाद की कीमत में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने खाद की कीमत थोड़ी सी बढ़ाई है।

खाद वितरण पर पूरा नियन्त्रण है और 70 प्रतिशत से अधिक खाद सहकारी समितियों द्वारा वितरित की जाती है। प्राइवेट डीलर की ओर से जो खाद बेची जाती है उस पर भी Fertilizer Control Order के अधीन जिलाधीशों को पूरे अधिकार हैं।

ट्रैक्टर

9. देश में अच्छे ट्रैक्टरों की कमी जरूर है लेकिन इसका कारण विदेश से आए हुए ट्रैक्टरों की मांग है। देश में बने हुए ट्रैक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने दूसरे मुल्कों से ट्रैक्टरों के आयात पर कुछ हद तक पाबन्दी लगा रखी है।

राज्य में किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की ओर से 17 एग्रो सर्विस सैन्टर चलाए जा रहे हैं। इन की ओर से 116 ट्रैक्टर जरूरतमंद किसानों को किराए पर दिए जाते हैं। इस के अलावा बेराजगार इंजीनियरों द्वारा भी कृषि सेवा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। ऐसे 2-3 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और 9 अन्य केन्द्र शीघ्र की स्थापना किए जा रहे हैं। 17 अन्य केन्द्र भी खोलने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चालू वर्ष में कुल 70 केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। अगले वर्ष 70 और ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे।

इससे तकरीबन हर ब्लॉक में दो-दो सर्विस सैन्टर हो जाएंगे जिससे छोटे किसानों को काफी सुविधा मिलेगी।

उपरोक्त वर्णन से जाहिर है कि हालांकि पिछले साल देश के अधिकतर भागों में सूखा पड़ा और कई आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है परन्तु हमारी राज्य सरकार इन वस्तुओं को अपने राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयत्न करती रही है और आगे भी करती रहेगी और इन वस्तुओं की कीमत तथा वितरण पर राज्य सरकार ने पूरा नियन्त्रण किया हुआ है। ठीक ढंग से वितरण करने की व्यवस्था भी की गई है खास कर Defence of India Rules के अधीन Prevention of Hoarding order जारी किया गया है जिसके अधीन 24 आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण किया गया है।

10. मैं सदन को सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार पूरी तरह जागरूक है और जनसाधारण की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (चौधरी प्रताप सिंह दौलता द्वारा)

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह आपको क्वेश्चन आवर के बाद कहना चाहिए था।

चौधरी प्रता सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं उस वक्त खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं उस वक्त तो मिनिस्टर साहब ने शुरू कर दिया था।

चौधरी प्रता सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मेरी चेयर को डिफाई करने की आदत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा मैं आपको एक मिनट के लिए समय देता हूँ लेकिन कोई काउन्टर एलीगेशन न हों।

चौधरी प्रता सिंह दौलता: स्पीकर साहब, टाईम तो मुझे तीन-चार मिनट चाहिए। हां अगर काउन्टर एलीगेशन हो तो आप मुझे फौरन बैठा दे क्योंकि पर्सनल एक्सप्लेनेशन में किसी दूसरे पर हमली करने की कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप एक मिनट के लिए बोल लें।

चौधरी प्रता सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मुझ पर जो भी क्रिटिसिज्म आनरेबल सी.एम. ने किया है (विघ्न) मैं सिवाए अपनी पर्सनल इंटैग्रिटी के उनके अच्छे क्रिटिसिज्म को एक्सपैट करता हूँ कि मैं अपने हल्के में नहीं जाता। जो आदमी डेमोक्रेसी में हैल्दी क्रिटिसिज्म को एक्सपैट न करे वह अच्छी बात नहीं है।

लेकिन मेरे वहां न जाने के वजह यह हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूँ या गैर-कांग्रेसी (शोर) मैं तो बीच में लटक रहा हूँ। जब इसका फैसला होगा तक कांस्टीच्यूएन्सी में जाऊंगा। (हंसी) स्पीकर साहब, जहां तक इंटिग्रिटी का ताल्लूक है मेरे पास तीन सर्टिफिकेट्स हैं। that I am a man of integrity. No. 1, I hold that very certificate from my electorates which in the last session I commissioned in the rescue of my Chief Minister.

I was elected by over-whelming majority when the Hon. C.M. and when the Hon. Ex-C.M. both worked against me. I am here in spite of Bhagwat Dayal, in spite of Bansi Lal and in spite of Hardwari Lal. That is a clear certificate of integrity of political man from his constituency.

The second certificate with me is from a world renowned diplomat, His Excellency Chakravarty. I was a minister for eight months. Sir, in my time, I Challenge- that department is with Mr. Shyam Chand-that I was only Minister in India against whom not a single writ of Mala-Fide went to High Court in eight months. His Excellency is here. He complimented me "Whenever you wrote judgment, you were not a politician; you were a judge and you are an honest man". When our term was over, Governor's Rule came, file is there in the High Court; file is there with the Governor; my name was recommended by governor to be the first at the top. At that time, I was not dropped by the High Court because of any allegation against me. The exact words were, "He was a Minister yesterday. It is not proper that he should be a judge tomorrow. Let him settle in the profession". And the latest recommendation which has gone to the Chief justice of India, I

have seen myself the advanced copy and I say with full responsibility that my name has been mentioned in paragraph No.1 as Senior Advocate. Under Section 16 of the Advocate's Act, one can be a Senior Advocate only if he is a man of integrity, ability and standing.

So I hold a certificate from my judges for being a man of integrity. I hold a certificate from my Governor. I hold a certificate from there and last of all, Sir, I make a challenge nobody has made it; I Make it, you are the custodian of our privileges, and I take you as my arbitrator. Le the hon. C.M., if he has got any instances of personal integrity against me refer them to you. I will give my explanation to you. You don't write any judgment. Tell me that something and my resignation is there. I am not very much proud of

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है। आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, यह क्या सवाल हुआ कि इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए यह कोई डिस्कशन नहीं हैं।(शोर)

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा (शोर) कौन सी बात ठीक है आप इसका फैसला करें।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्त विवरण (बजट अनुमान), 1972-73 तथा (संशोधित अनुमान),

1971-72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970-71 तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये यह फैसले की बात नहीं है। इस बात का यहां कोई निर्णय थोड़ा ही होना है।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31.12.1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्त विवरण (बजट अनुमान), 1972-73 तथा (संशोधित अनुमान), 1971-72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970-71 तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर चर्चा।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि रूल 79 यह कहता है कि जो आदमी नोटिस देता है, वह मूसर होता है। यह जो मैंने नोटिस दिया है वह जिस समय मिनिस्टर साहिब ने बिजली बोर्ड की सालाना रिपोर्ट हाउसक की टेबल पर रखी थी कि मैंने उसी वक्त कागज सैक्रेटरी साहब के पास भेजे। मेरा पहला मोशन था और उन्होंने उसके सर्कुलेट भी किया है। जिसका लैटर नम्बर 25325-25404 है ओर इस पर सैक्रेटरी साहब के दस्तखत भी है तथा मेरा नाम दूसरे दिन तीन सदस्यों के साथ शामिल है। * * * * *
* * * * * आज जो ऐजण्डा जारी हुआ है

उसके अन्दर मेरा नाम ही नहीं है हालाकिं सर्कुलर के अनदर मेरा नाम है। आप कागज देख लें सब से पहले मैने मूव किया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मै देखता हूं। आप बैठियें।

चौधरी राम लाल वधवा: इसका मतलब है कि मूझे मूव करने के लिये और बोलने के लिये टाइम ही नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: जिन्होने मूव नहीं किया है उनको भी बोलने का टाइम मिलेगा ऐसी बात क्या है कि जो मूव करे वही बोले।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, रूल्ज की खिलाफवर्जी हो रही है।(शोर)

श्री अध्यक्ष: मै देखता हूं कि यह क्या बात है। चौधरी राम लाल जी, आप यह चाहते थे कि इसके ऊपर डिसक्शन हों।

चौधरी राम लाल वधवा: जी हां।

श्री अध्यक्ष: वह होगी।

चौधरी राम लाल वधवा: वह तो होगी लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी मोशन का नोटिस देता है वह मूव करता है और उसकी फर्स्ट प्रायरिटी होती है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बैठियें, मै देखता हूं।

Chaudhri Phool Chand (Mullana-S.C.): Sir, I beg to move—

That the statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board up to 31st December, 1972, Annual Financial Statement (Budget Estimate) for 1972-73 and (Revised Estimates) for 1971-72 of the Haryana State Electricity Board and the 4th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71, laid on the Table of the Vidhan Sabha on 6th March, 1973, be discussed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 31 दिसम्बर 1972 तक लिए ऋण दर्शाने वाला विवरण, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्त विवरण (बजट अनुमान), 1972-73 तथा (संशोधित अनुमान), 1971-72, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के लेखों का चतुर्थ वार्षिक विवरण, 1970-71 जो कि 6 मार्च, 1973 को विधान सभा की मेज पर रखे गए थे, पर चर्चा की जाए।

मेरे पास इसी प्रकार का एक और प्रस्ताव श्री सतराम दास बतरा, श्री जगजीत सिंह तथा श्री ओम प्रकाश गर्ग एम.एल.एज. द्वारा हुआ आया है। यह प्रस्ताव भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही संबन्धित है। अगर आप सहमत हो तो दोनों पर एक साथ ही विचार कर लिया जाए?

आवाजें: ठीक है जी।

मलिक सत राम दास बतरा: मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर, जो 12 नवम्बर, 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन पर, जो 12 नवम्बर, 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, चर्चा की जाए।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना-एस.सी.): स्पीकर साहब, सदन के सामने जो मोशन है यह बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए कर्जों के बारे में है। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो 1970-71 का पीरियड है वह हरियाणा के इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा जाने वाला है। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस वर्ष में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई और स्पीकर साहब, आपको ध्यान होगा कि इस साल के शुरू में हमारे इस बोर्ड ने 3,367 गांवों को बिजली दी थी लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से काम हुआ यह सब को मालूम है। 6-7 महीनों के अन्दर 30 करोड़ रुपये की लागत खर्च करके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी और हमें इस बात के लिए फख्र हासिल हुआ है कि जो आखिरी गांव बिजली देने के लिये रहा था उसमें हमारी प्रधान मंत्री जी ने 29 नवम्बर, 1970 को स्विच आन किया और हरियाणा भर के अन्दर

प्रत्येक गांव और शहर मे बिजली टिमटिमाने लगी। वह समय एक ऐतिहासिक समय था। रूरल इलैक्ट्रिकेशन के साथ साथ स्पीकर साहब, 1970-71 के साल मे 18,229 ट्यूबवैल को बिजली दी गई और उस के बाद बिजली बोर्ड ने हरियाणा मे बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए थर्मल प्लांटस और कुछ दूसरे प्लांटस लगाए। हमे यह बात कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नही होनी चाहिए कि बिजली बोर्ड ने नुमाया तरक्की की है, इन्होने जितनी तेजी सेक काम किया, जितनी काबलियत से काम किया उस का मान न केवल हरियाणा मे ही है बल्कि सारा हिन्दूस्तान उस को मानता है। साल 1971-72 मे बिजली बोर्ड ने जनरेशन के लिए थर्मल प्लांटस लगाए और जिन ट्यूबवैल्ज को पहले बिजली दी जा चुकी थी उन के अलावा 14,778 और ट्यूबवैल को बिजली दी और 2,636 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्ज और जोड़ दिए गए ताकि बिजली ठीक तरह सप्लाई की जा सके। इस के अलावा सन् 1973-73 के अन्दर बिजली बोर्ड ने और बहुत से ऐसे काम किए जो कि समय के मुताबिक जरूरी समझे गए। हमारे बिजली बोर्ड ने 1972 तक 3,819.487 लाख कर्जा लिया और उस के बाद 1972-73 मे भी कर्जा लिया लेकिन कर्जा लेने के बाद काम बहुत तेजी से हुआ इस मे कोई शक नही। स्पीकर साहब, इस के साथ साथ हमे एक बात कहनी होगी कि बिजली बोर्ड ने जो काम किए वह बहुत सराहनीय किए, उन्होने रूरल इलैक्ट्रिकेशन करके, ट्यूबवैल को बिजली देकर सूबे का नाम ऊंचा किया। मै अर्ज करूंगा कि भाखड़ा मैनेजमेंट के चार स्टेशन है जिन से हमे पानी से तैयार

की हुई बिजली मिलती है, वह है भाखड़ा लैफ्ट बैंक पावर हाउस, भाखड़ा राईट बैंक पावर हाउस गंगूवाल पावर हाउस और कोटला पावर हाउस। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन में से हमें उतनी बिजली नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं अपने बिजली बोर्ड से कहूँगा कि इन पावर हाउसों से जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली ले सकें उनको लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हरियाणा में बिजली की शार्टेज पूरी हो सके। इस के अलावा स्टीम सिस्टम से चलने वाले हमारे तीन थर्मल पावर हाउस हैं, एक तो सूरजपूर थर्मल पावर हाउस है, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा यमुनानगर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह काफी नहीं है। इन से जो हमें पावर मिलती है वह नाकाफी है। इसलिए मैं बोर्ड को यह सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसा एक एक थर्मल पावर हाउस हर जिला में बना दिया जाए, उस से बिजली की मांग काफी पूरी हो जाएगी और बहुत लाभ होगा, और जो ब्रेकडाउन वगैरा होते हैं वह भी नहीं होंगे। इस के अलावा स्पीकर साहब, डीजल से भी हमारे कुछ पावर हाउस बिजली जनरेट करते हैं। यह पावर हाउस दो तो अम्बाला जिला में है एक फरीदाबाद में है, एक पानीपत और एक सोनीपत में हैं। इन में से दो डीजल से चलने वाली पावर हाउस बंद हैं। मैं सुझाव दूँगा कि इन पावर हाउसों को जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की जाए। उन के चालू करने कसे हमें पावर सप्लाई में बहुत मदद मिलेगी। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त में पिछले दिनों हमारी सरकार ने बहुत से ट्यूबवैल लगाए और उनको बिजली भी दी, इस में कोई शक

की बात नहीं है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय पर उनको जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली नहीं मिलती। जब हम देहातों में जाते हैं तो हमें जगह जगह यह शिकायत मिलती है कि हमें टाइम पर बिजली नहीं मिलती और बिजली मिलने का कोई समय निश्चित नहीं होता। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हमें इतने रिसोर्सिज पैदा करने चाहिए जिस से कि लोगो का ज्यादा से ज्यादा और पूरी जरूरत के मुताबिक बिजली मिल सके। अगर हमारे ट्यूबवैल को बिजली पूरी मिलेगी तो अनाज ज्यादा पैदा होगा और हमारी जो अनाज की रिक्वायमेंट्स हैं वह भी पूरी होगी। हमारे सूबे में कोई एक लाख 16 हजार 82 ट्यूबवेल्ज हैं। मैं बिजली बोर्ड को सुझाव दूंगा कि उनको पूरी बिजली देने का प्रबंध किया जाए। इस के अलावा देहातों में जो बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं उनको भी रोकना चाहिए चाहे वह इन्डस्ट्रियल परपज के लिए है चाहे एग्रीकल्चर परपज के लिये हों। इन ब्रेक डाउन्ज को बोर्ड को पूरी तरह से चैक करना चाहिए। यह ब्रेक डाउन्ज जो हैं यह तभी चैक हो सकेंगे जब हमारे थर्मल प्लांट्स सुचारू रूप से काम करेंगे। इस के अलावा जो बिजली की चोरी के केसिज होते हैं उनका पूरी तरह से चैक किया जाना चाहिए और जो चोरी करता पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि और कोई बिजली की चोरी करने की जरूरत न करे लेकिन ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि बोर्ड का स्टाफ किसी की गलत रिपोर्ट करके उसको हैरान करे। पावर एकसीडेंट्स और बिजली की जो

लीकेज होती है उसको रोकने के लिए जितने अच्छे ढंग निकाले जा सकते हो निकाले जाए, ताकि बिजली जो बेकार चली जाती है वह बचाई जा सके और प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल की जा सके। हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे इंजीनीयर हे उन को इतने अच्छे ढंग से हमे यूटिलाई करना चाहिए जिस से वह हिम्मत से काम करे और उनके होसले बुलंद हो। ऐसा न हो जैसे कुछ साथी बताते है हमे कि दूसरी स्टेट मे तो बिजली इंजीनीयर रखा जाता है लेकिन हरियाणा मे बतौर जूनियर ट्रेनी रखा जाता है। मै सूझाव दूंगा कि ऐसा नही होना चाहिए। आप को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारे जो इंजीनियर है वे बाहर दूसरी स्टेटों मे न जाए और उनकी काबलियत का फायदा हमारी अपनी स्टेट को ही पहुंचे। इस के साथ साथ जितनी फेसिलिटीज हमारी सरकार ने बोर्ड को दी है उस के लिए मै अपनी सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। सरकार ने बोर्ड को बहुत सा लोन दिया है और दीगर बहुत सी फेसिलिटीज दी है। मै बोर्ड को यह सूझाव दूंगा कि वे उस लोन को इतने अच्छे ढंग से खर्च करे जिससे कि हम कर्ज पर ही निर्भर न रहे बल्कि अपने रिसोर्सिज ऐसे बनाए जिससे हम अपने आयंदा के लिए कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े क्योकि कर्ज पर निर्भर रहना ठीक नही होतो। हम अपने रिसोर्सिज को पूरी तरह एक्सप्लायट करके अपने पांव पर खडे हो और बिजली के बाम को इस ढंग से चलाये कि किसानो ओर इन्डस्ट्रीयलिस्टस को प्रोडक्विअ कामों के लिये सस्ते रेट पर बिजली मिलती रहे और हम इस कर्ज से भी जल्दी फारिंग हो

सके क्योंकि कर्ज पर सूद काफी देना पड़ता है। मे समझता हूं कि शुरू शुरू में कर्ज लेना जरूरी होता है लेकिन यह कर्जा जल्दी वापस कर देना चाहिये ताकि सूद का खाहमखाह बोझ न पड़े। स्पीकर साहब, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं और फख्र के साथ कहता हूं कि हमारा बिजली बोर्ड सारे देश में एक नम्बर पर है और इसने जो काम किये हैं और कर रहा है उसकी प्रशंसा न सिर्फ इस स्टेट में होती है बल्कि सारे हिन्दूस्तान में इसकी तारीफ हो रही है। सरकार को यह बोर्ड पूरा सहयोग देता है और हमारी सरकार ने सारी दुनिया को साबित कर दिया है कि हमारे बोर्ड ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन में मामले में पहला नम्बर हासिल किया है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारा बोर्ड हमारे राज्य की तरक्की के लिये दिन-ब-दिन ज्यादा से ज्यादा काम करे और जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करके हमारे प्रान्त को और आगे ले जाये।

मलिक सत राम दास बतरा (कलानौर): स्पीकर साहब, हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है जिसने एक छोटे से बजट से जो केवल 310 करोड़ का था गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है और गांव गांव को रोड्स से लिंक कर दिया है। ऐसी तरक्की की मिसाल और किसी प्रांत में नहीं मिलती है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों भारत सरकार ने एक टीम हरियाणा के निरीक्षण के लिये आई थी और वह दूसरी स्टेट्स में भी गई होगी। मैंने भी उस टीम से मुलाकात की थी। उनका निरीक्षण करने का विषय यह था

कि क्या गांव में छोटे किसानों जमींदारों को बिजली के कनेक्शन सुविधा से मिलते हैं या नहीं। मैं भी उस टीम के साथ गांव गांव में गया था और सारा सर्वे किया गया। कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिली कि कनेक्शन के लिये किसी अफसर ने डिल्ले की हो और कोई अड़चन पैदा की हो। यह ठीक है कि हमारे प्रांत में बदकिस्मती से सिवाये खादर बार के एरिया के बहुत सारे बैल्ट्स ऐसे हैं जहां पर पानी कड़वा है और पानी कड़वा होने की वजह से बिजली की वहां युटिलाइजेशन नहीं होती लेकिन कनेक्शन के लिये कोई कमी नहीं है कि न मिल सके। खादर बार की जो बैल्ट है वह जमना के किनारे-किनारे चलती है और इस में खास तौर से करनाल का जिला आता है, कुछ एरिया जींद में आता है, जिला अम्बाला और पलवल के इलाके भी आते हैं। इस सारी बैल्ट में मीठा पानी मिलता है। लेकिन जिला महेंद्रगढ़ और रोहतक के कुछ इलाकों में पानी कड़वा होने की वजह से जमींदार ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा के मान चित्र को देखा जाए तो आप पाएंगे कि महेंद्रगढ़ झज्जर और फतेहाबाद बगैरा इलाकों की तरफ रेतिले टीले हैं। लेकिन अगर इजरायल जैसा देश अपने रेत के टिबबो पर कहां कहां से पानी ला कर खेती उपजा सकता है तो हमारे भी यह प्रतिज्ञा है कि हम भी इन रेतिले टिबबो पर सुल पैदा करेंगे और जमींदार जो ऊंटों पर पीने के लिये पानी लाकर दूर-दूर से लाते हैं उनको खेती के लिये पानी मुहैया करेंगे। अगर बोर्ड की इस रिपोर्ट की तफसील के साथ देखा जाये तो पता लगेगा कि

इस बोर्ड ने कितना सराहनीय काम किया है और देश में एक नम्बर हासिल किया है। यहां पर 1971-72 में 72,554 कनेक्शंस थे। इन में डोमेस्टिक, कमर्शियल और इण्डस्ट्रीलिस्ट्स के कनेक्शंस शामिल हैं। 31 मार्च, 1973 को इन कनेक्शंस की तादाद 6,08,649 तक पहुंच गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा बिजली की खपत हुई और कितने ज्यादा कनेक्शंस इतने थोड़े अर्सा में दिये गये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

फिर चेयरमैन साहब, आप देखें कि लाइनो कितना सुधार किया गया है। 1970-71 में पर-कपिटा बिजली 52 युनिट थी, 1971-72 में यह 108 यूनिट हो गई और अब 1973-73 में पावर कट इतनी ज्यादा होने के बावजूद क्योंकि बिजली का क्राइसिस आ गया था, भाखड़ा में पानी की कमी की वजह से पर-कैपिटा 119 यूनिट तक पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि कितना सराहनीय काम हुआ है। लाइन लौसिज में जो सुधार लाया गया है। वह भी सराहनीय कदम है और जितनी एफ़ीशेंसी इस बोर्ड ने दिखाई है वह काबिले तारीफ़ है। 1971-72 में लाइन लौसिज 27 परसेंट थे लेकिन 1972-73 में यह लौसिज नीचे 23 परसेंट तक आ गये। खेती के कामों के लिये जितनी बिजली इस प्रांत में उपलब्ध है उन्ती आज तक किसी प्रांत में नहीं मिली है। 1971-72 में खेती के कामों के लिए 14 परसेंट बिजली दी जाती थी, 1972-73 में यह बिजली 40 परसेंट दी गई और अब यह 45

परसैन्ट कर दी गई है। सारे हिन्दूस्तान मे कही ऐसी मिसाल नही मिलती जहां पर इतनी ज्यादा बिजली खेती के लिये दी गई हों यह ठीक है कि मैटीरियल की कमी है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बोर्ड ने 30 सितम्बर, 1973 तक 3,348 टयूबवैल्ज के लिये और कनैक्शंज दिये है। यह बहुत ही सराहनीय बात है और मे इस काम की प्रशंसा किये बगैर नही रह सकता। इस बिजली को बढ़ाने के लिये और उपाय भी सोचे जा रहे है ताकि इस की कमी न रहे चाहे क्राइसिस भी आ जाये। अभी अभी कृषि मंत्री जी फूडग्रेनह की बात कर रहे थक कि एकदम गर्म हवा चलने क वजह से फसलों को नुकसान हुआ। जब हरियाणा बना उस वक्त जा उपज होती थी और आज जो उपज हो रही है उसे देखें तो मै फख्र के साथ कह सकता हूं लामिसाल तरक्की हुई है ओर पैदावार कहा से कहां पहुंच गई है। आप देखें 1966-67 मे हरियाणा मे अनाज की पैदावार 25.92 लाख टन थी, 1970-71 मे यह 47.71 लाख टन हो गई और और 1971-72 मे हमारी उपजल 45.46 लाख टन तक पहुंच गई। इस साल बारिशो न होने की वजह से और पावर कट लगने की वजह से 39.43 लाख टन उपज हुई है। यहां जमींदारो का, किसान भाईयो का अभी अभी फूड प्रोक्योरमेंट के मामले को लेकर काफी आन्दोलन चल रहा था और कुछ भाई उनको गुमराह करके उसे चलवाने की कोशिश कर रहे थें। मै जमींदार भाईयो से अनुरोध करूंगा कि वे बजाये इसके कि इन भाईयो के चक्कर मे पड़ें इस बात की मांग करे कि उनको अच्छे बीज, खाद मिले पानी मिले और बिजली की कटौती न करके

उनको पानी की सुविधाये दी जाये। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लैक्चरार हमे जो जो सूझाव दे, ट्रेनिंग दे, उन पर अमल करके हमे खेती को प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए और प्रोग्रेसिव तोर पर खेती करे। इस प्रकार अमल करने से मुणे आशा है और जमींदारो से मै उम्मीद करता हूं कि वे प्रोडक्शन मे 30 मन फी हाई ईल्लिडिंग वैरायती के बीज मुहैया हो, टाईम पर पानी मिले तो 30 मन फी किल्ले की वृद्धि होती है। अगर किसान को 30 रूपये फी मन के हिसाब से गंदम का भाव मिलता है तो 900 रूपये आय होती है। अगर इससे पिछले सालों की वृद्धि को देखा जाए तो इतनी बड़ी आमदन जमींदार को नहीं होती थी। मे जमींदार भाईयों से आग्रह करूंगा कि खेती की बढोतरी के लिए नये ढंगो को अपनाये और इस हिसाब से प्रोग्रेस करे तो मै उनको बधाई दंगा।

जब किसी चीज की कमी होती हे तो उसकी जुस्तजू मे, उसकी तलाश मे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यह आप सब जानते है। भाखड़ा बिजली का एक बहुत बड़ा सैन्टर है जहां से हमें अधिकतर बिजली मिलती है। लेकिन किसी वजह से वहां से बिजली कम आने की वजहि से और फील्ड मे कंजम्पशन ज्यादा होने की वजही से हमे थोड़ी सी दिक्कत पेश आई है और इस को दूर करने के लिए बोर्ड जो नये उपाय कर रहा है, नये प्रोजैक्ट लगा रहा हैं, थर्मल प्लांटस लगा रहा हैं उसका ब्यौरा मै पेश कर रहा हूं।

भाखड़ा कम्पलैक्स से हमे बिजली और मिल गई है। 1967-68 मे हमारी पर-कैपिटा कंजम्पशन 57 यूनिट थी और 1972-73 मे यह बढ़ कर 119 युनिट तक पहुंच गई है और यदि हमे और बिजली मिल गई तो पर-कैपिटा कंजम्पशन और बढ़ेगी। पावर बढ़ाने के लिए बोर्ड ने कई उपाय सोचे है और आगे कदम बढ़ा रहे है। भाखड़ा नंगल प्रोजैक्ट मे जो हमारा हिस्सा है, उसके अलावा फरीदाबाद मे थर्मल प्लांट लग रहा है। पिछले सैशन मे मेरे मोहतरिम दोस्त चौधरी चान्द राम जी इस बात पर एतराज कर रह थे कि बिजली के विस्तार करने से पहले सरकार ने इस बात को क्यो नही सोचा कि बिजली कम है। जब पानीपत का थर्मल प्लांट लगा दिया जाता तक कनैक्शन देते। इस पर मै अपने मोहतरिम दोस्त से कहुंगा कि जहां सरकार को रेलवे डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट करना होता है, भारत सरकार से इतनी मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए मंजूरी लेनी होती है। कोल और माईन मिनिस्टर के साथ कोयले के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है वहां देरी होना जरूरी है। फरीदाबाद के दो यूनिट बहुत जलदी कमिशन हो रहे है और मेरा अन्दाजा है कि उन मे अन्दाजन 30 वैगन कोयला रोजाना लगना है। यदि फरीदाबाद और पानीपत मे जहां रोजाना इतना कोयला जलता है वहां हरियाणा सरकार को इस बात पर सोचना था कि भारत सरकार से कोयले की इजाजत मिले बगैर कैसे ये प्रोजैक्ट शुरू करे। यही वजह थी जिस के लिए यह काम देरी से शुरू हुआ। अब यह काम हो गया है और फरीदाबाद के ये दोनो यूनिट 60-60 मैगावाट के जल्दी ही

कमीशन हो रहे हैं और इन के बाद दो यूनिट और आ रहे हैं। पानीपत में भी थर्मल प्लांट तैयार हो रहा है और मेझे उम्मीद है कि 1976-77 से पहले ही बोर्ड इसको तैयार कर देगा। इन थर्मल प्लांट्स में 110 मैगावाट की फी-यूनिट बिजली पैदा होगी। इस तरह और यूनिट्स भी लगाये जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जब इन से बिजली उपलब्ध हो जाएगी तो किसी जमींदार को यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि मुझे बिजली नहीं मिली है। वैस्टर्न जमुना कैनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो 45 मैगावाट का है तैयार हो जाएगा जोकि गवर्नमेंट आफ इन्डिया के विचाराधीन है। ब्यास प्रोजेक्ट और पोंग डैम से 212 प्लस 40 मैगावाट बिजली पैदा होने की आशा की जा सकती है। बदरपुर थर्मल प्लांट चालू हो चुका है शायद इससे 1975 में बिजली मिल जाए। इनके अलावा और कई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। राणा प्रताप एटॉमिक प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है। चेयरमैन साहब, नार्थ रीजन में जिनती स्टेटे है उन में बिजली का हमारा हिस्सा है। जम्मू-काश्मीर प्रोजेक्ट बन रहा है। उस से 50 मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना भारी बिजली का जो विस्तार हो रहा है। इसकी हमें जरूरत थी और बोर्ड ने हमारे लिए तलाश की है। इन प्रोजेक्ट्स से बिजली मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि आयादा बिजली पर कोई कट नहीं लगेगी और बिजली इतनी सप्लाई हो जाएगी कि चप्पा-चप्पा जमीन में पानी लगाने और ट्यूबवैल चलेगें। बोर्ड ने जो तरक्की की है, इतनी ज्यादा बिजली की जो उपलब्धि की है

इस पर मैं बोर्ड को बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ जहाँ बिजली में इतनी भारी तरक्की की है वहाँ मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब, से खास तौर पर इल्तजा करूँगा कि जो छोटी 11 के.वी. की लाईन है उससे जमींदारों को और ज्यादा कनेक्शन दे। इसके अलावा मैं यह भी इल्तजा करूँगा कि जो अल्यूमिनियम की लाईनें हैं वे गर्मी के दिनों में आंधी आने से एक दूसरे के साथ टकराती हैं। ये लाईनें ढीली होती हैं और एल्यूमिनियम की बनी हुई होने की वजह से पूरी तरह नहीं खींच पाती। खासकर गर्मियों के दिनों में जब आंधी चलती है और तारे एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो जमींदारों की मोटरे जलती हैं, मीटर जल जाते हैं। इस लिए मेरी इल्तजा यह है कि जहाँ से एंट्री शुरू होती है। वहाँ एक ग्रिड लगा दिया जाए ताकि बिजली रगुलेट होती रहे ताकि जब आंधी आये तो मीटर और मोटरे न जले। यह मेरा सूझाव है। मैं बिजली बोर्ड की प्रशंसा करता हूँ कि उसने थोड़े समय में बिजली उपलब्ध करने के प्लान्ट लगाये हैं और सराहनीय प्रगति की है।

11.00 बजे

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): चेयरमैन साहब, बिजली बोर्ड की एनवल फाइनेंशल स्टेटमेंट (बजट एस्टीमेट) 1972-73, (रिवाइज्ड एस्टीमेट) 1971-72 और फोर्थ एनबल स्टेटमेंट आफ अकाउंट्स हमारे सामने विचारधीन है। जहाँ तक बिजली का प्रश्न है, मेरे ख्याल में विधान सभा में इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, क्वेश्चन हो चुके हैं, शायद दो चार बातों

के और कोई बात रह नहीं जाती जो डिसकशन करने वाली हों। मैं, अपोजीशन का एक सदस्य होने के नाते इस बात में कंजूसी नहीं बरतूंगा कि अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा न करूं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसने यह साहसपूर्ण कदम उठाया है जिनके परिणामस्वरूप सारे हरियाणा के अन्दर बिजली का फेलाव हुआ है, इस में कोई शक की बात नहीं। लेकिन इस के साथ ही साथ बिजली के फेलाव के साथ साथ इसमें कई त्रुटियां रहा गई है। हमारे सामने एक ही सवाल आकर खड़ा होता है कि अगर किसी चीज को बनाने का ध्येय, लक्ष्य अच्छा हो लेकिन उसकी वर्किंग अच्छी न हो तो उस ध्येय का, लक्ष्य का कोई लाभ नहीं, वह फेल हो जाता है। आज बिजली की तारों का फेलाव हो रहा है लेकिन उन तारों में बिजली नहीं है। मैंने सवाल के समय में, इस बात पर जब जब बात होती रही तो ये इस बात से इन्कार नहीं कर सके कि इन तारों में पूरे तौर पर बिजली नहीं दौड़ती और हम अपने प्रान्त में जो हरित-क्रांति लाना चाहते थे वह नहीं ला सके, जितने जोरो के साथ हम इण्डस्ट्रीज का विस्तार करना चाहते थे वह नहीं कर सके और इसका कारण बिजली बोर्ड की वर्किंग की चीर फाड़ करने की आवश्यकता है। यह योजना जो हमारे सामने आई कि गांव गांव में बिजली फेलनी चाहिए उससे पहले यह योजना बननी चाहिए थी कि बिजली का कर रहे हैं, जितनी तारें और खम्बे आज हम एक-एक गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके लिए हरियाणा के अन्दर उतनी पर्याप्त बिजली का उत्पादन है और क्या इतनी

बिजली के उत्पादन के लिए हमारे पास साधन है। ये दो बातें हैं जिनके ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बात तो यह होनी चाहिए थी कि बिजली की तारों और खम्बों पर रूपया खर्च करने से पहले यह देखना चाहिए था कि आज जब हम बिजली के लिए भाखड़ा डेम और दिल्ली के ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो क्या हम सारे प्रान्त के अन्दर खेती के लिए और इण्डस्ट्रीज के लिए बिजली दे पायेंगे। यह बात दिमाग के अन्दर रख कर चलना चाहिए था कि क्या इतनी बिजली का उत्पादन भाखड़ा कर रहा है, क्या वहा से और दिल्ली से हमें इतनी बिजली मिल रही है, रूपया कर्जा लेकर हरियाणा के अन्दर जो हम बिजली का फेलाव कर रहे हैं क्या उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा, जितना बोझ आज हरियाणा सरकार ने और बिजली बोर्ड ने अपने ऊपर लाद लिया है क्या उसको हम चुका भी सकेंगे?

चेयरमैन साहब, यह भी कोई शक की बात नहीं है कि अपने इस छोटे से प्रान्त के अन्दर दो बातें विशेषतः हैं नम्बर एक तो खेती है जिसके लिए सरकार ने यह बिजली का फेलाव किया और जिसके लिए आज इरीगेशन लिफ्ट स्कीम्ज और दूसरी नहरे वगैरा पानी देने के लिए चल रही है। जब मैं रिपोर्ट की ओर देखता हूँ तो ठीक है कि बड़ी खुशनुमा रिपोर्ट लिखी गई है। सरकारी दफतर के अन्दर बैठे हुए हजारों रूपये तनखाह लेने वाले मुलाजिम एक बड़ी खुशनुमा तस्वीर बनाकर हमारे सामने रखते हैं। होना भी चाहिए क्योंकि उनको तनखाह ही इसी बात की

मिलती है लेकिन देखना हमें यह है कि स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी है बिजली बोर्ड की वर्किंग हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसको ठीक करने के लिए सरकार कैसे कदम उठाएगी। पिछले साल के आकड़े यही बताते हैं, सवालों के जवाब में भी यह बताया गया है, चीफ मिनिस्टर साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब और इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब, इन तीनों से यह बात हाउस के अन्दर स्वीकार की कि खेती के लिए ट्यूबवैल चलाने के लिए और इण्डस्ट्रीज के लिए उतनी बिजली हम सप्लाई नहीं कर सकें जितनी की आवश्यकता थी। पिछले दो साल के अन्दर इण्डस्ट्रीज की हालत तो बहुत ही खराब रही है। इसी सेशन के अन्दर जवाब देते हुए हमें यह बताया गया कि इतने लाख घंटे लेबर के जाया हुए हैं और इतना उत्पादन इण्डस्ट्रीज के अन्दर कम हुआ है। इसका कारण केवल एक था। सरकार ने यह पग उठाते हुए लोगों को हद से ज्यादा प्रोत्साहित किया था। इन्होंने कहा कि आपको बिजली इतनी मात्रा में मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। आप खड़े होकर हरियाणा की प्रगति के लिए काम करें। हरियाणा की जनता प्रगति करने के लिए उत्सुक थी। उसने मेहनत की, उसने कर्ज लेकर के ट्रैक्टर खरीदें, दूसरी मशीनरी खरीदी, खाद और बीज उन्होंने ब्लैक में खरीदी लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वह बीज और खाद, जब पानी नहीं मिला, जमीन के अन्दर सड़ कर रह गए। इण्डस्ट्रीज का फेलाव भी हरियाणा के अन्दर लोगों ने जोर शोर से किया लेकिन स्थिति यह हुई कि जब मजदूर बैठे होते थे तो बिजली गायब होती थी और जिस समय बिजली मौजूद होती

थी तो लेबर की छूटटी हो जाती थी क्योंकि न बिजली के आने का वक्त था और न बिजली के जाने का वक्त था। इसी तरह से चेयरमैन साहब, डौमेस्टिक कंजप्शन के अन्दर भी बिजली की कटौती होती रही। जब स्टूडैन्ट्स के पढने का वक्त होता था तो शहरो के अन्दर ब्लैक आउट हुआ करता था। तो चेयरमैन साहब, ऐसी स्थिती बिजली की रही है जिसकी वजह से मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने तो बड़ा उत्साहजनक कदम उठाया था लेकिन बिजली बोर्ड उस योजना का चलाने में पूरे तौर पर नाकामयाब रहा है और स्थिती इतनी गम्भी है कि मैं कहूंगा कि –

एक दिन की बात हो तो इसे भूल जाएं हम,

नाजिल हो दिल पे राज बलाए तो क्या करें?

नित्य प्रति की मुसीबत बिजली की हमारे सामने खड़ी हो गई है। जिसके ऊपर हरियाणा का जीवन निर्भर करता है उसके लिए करना क्या चाहिए था? चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि जितना रूपया यश प्राप्त करने के लिए, खाली एक मिसाल कायम करने के लिए हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने देश के अन्दर एक बहुत बड़ा कार्य किया है गांव गावे में बिजली के खम्बे और तारें फेलाकर, खर्च किया है, उसकी अपेक्षा चाहिए तो यह था कि उससे पहले ये योजना बनाते कि एक एक सैक्टर बनेगा जहां बिजली पैदा होती। उस उत्पादन को देख करके, उस शक्ति को देख करके ही बिजली के खम्बों और तारों का फेलाव

किया जाता। आज मैंने रिपोर्ट के अन्दर जब पढा तो उसमे लिखा हुआ है कि फरीदाबाद का थर्मल प्लांट 1974 मे मुकम्मल होने की संभावना है। मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त तक जरूर की कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि स्वयं ही बिजली बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि मुकम्मल होने की संभावना है। पानीपत थर्मल प्लांट भी अभी जेरे तामीर है। वह कब मुकम्मल होगा हम कह नहीं सकते। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम जो चाहते थे कि हरी क्रान्ति आनी चाहिए, यहां एग्रीकल्चरस्टस हिम्मत और उत्साह के साथ अधिक से अधिक उपज पैदा करें, किसान खुशहाल हो, इण्डस्ट्रीजलिस्टस खुशहाल हो, वह बात अब नहीं हो सकेगी। इस बिजली बोर्ड की गलत निति के कारण हमे कई सालों तक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और प्रान्त को बहुत भारी धक्का लगेगा।

चेयरमैन साहब, मैं अब सदन का ध्यान उन कर्जों की और दिलाना चाहूंगा जो कि इस बोर्ड ने लिए है। मेरे पास यह बड़ी लम्बी चौड़ी स्टेटमेंट है। इसका शीर्षक है—

Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board up to 31st December, 1972 for which the State Government have stood guarantee for repayment thereof under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

कितनी निराशाजनक स्थिती है कितनी गम्भी स्थिती है इस बिजली बोर्ड की , मैं उनके आंकड़े से ही यह आपको बताने

की कोशिश करूंगा। इसके अन्दर यह बताया गया है कि कहां कहां से और किन किन सोर्सिज से बिजली बोर्ड ने रूपया लिया है। मैं सारी स्टेटमेंट न पढ़ करके उसमे से पहले दो चार केसिज ही बताऊंगा क्योंकि उनसे ही सारे केसिज की स्थिती आपको मालूम पड़ जाएगी।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म लोन 50 लाख रूपये लिया गया है। यह लोन 29 अगस्त, 1969 को स्वीकार हुआ। इस स्टेटमेंट के अन्दर चेयरमैन साहब, हमारे से एक बात छुपाई गई है। यह कर्जा किस वक्त हासिल किया गया यह फ़ैक्ट इसके अन्दर नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट की सैक्शन का जो नम्बर तथा तिथी है उसके लेकर ही मुझे चलना पड़ेगा। यह कर्जा 29 अगस्त, 1969 को स्वीकार हुआ। हो सकात है कि दो चार महीने के बाद यह कर्जा ले लिया गया हो क्योंकि इनता ही उसके अन्दर अन्तर पड़ सकता है तो ये पचास लाख रूपये के लोन इन्हे पांच साल के अन्दर वापिस करने चाहिए थे। ये जो स्टैटमेंट हमे दी है इसमे एक कालम है पीरियड आफ री-पैमेंट आफ लोन, उसमे पांच साल का टाईम दिया हुआ है। इसके साथ ही दूसरा कालम है अमाउन्ड पेड बैंक अप-टू 31 दिसम्बर, 1972 बायी दी हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड यानी 31 दिसम्बर, 1972 जो पैसा वापिस किया है वह 7.50 लाख है औ जो बैलेन्स आउटसेटैडिंग दिखाया गया है वह 42.50 लाख लिखा है। इसका मतलब यह था कि यह

जो पचास लाख रूपया था यह 10 लाख रूपया प्रति वर्ष के हिसाब से वापिस किया जाना चाहिए था। यदि यह मान लिया जाये कि यह लोन 28 अगस्त, 1969 को सैक्शन हुआ है और उसी साल के एन्ड में ले लिया होगा तो सन 1970-71, 1971-72 और सन् 1972-73 तक तीन सालों के अन्दर केवल साढ़े सात लाख रूपया वापिस हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दस लाख की बजाए केवल अढ़ाई लाख रूपया साल का दे पाए है। इसी प्रकार से जितने भी लोन केसिज है, इनकी लम्बी चौड़ी लिस्ट है कोई 29 केसिज की लिस्ट हमारे हाथ में है। मुझे इन 29 केसिज में से एक केस भी ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं पाया जिसके अन्दर बिजली बोर्ड ने लोन की अदायगी पूर्ण रूप से की हो। एकाध केस तो पाता, लेकिन कोई भी नहीं मिला। इसके अन्दर चेयरमैन साहब, एक और दिलचस्प बात है वह है रेट आफ इन्ट्रैस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले केस में बताया है उसमें रेट आफ इन्ट्रैस्ट सवा आठ परसेन्ट है और साथ ही रिबेट भी दिया हुआ है। इसी तरह से इस स्टेटमेंट में जितने भी केसिज हैं सब में, मोस्टली केसिज में रेट आफ इन्ट्रैस्ट भी मुकर्रर किया हुआ है और उसके साथ रिबेट का भी प्रोवीजन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिजली बोर्ड समय पर कर्जे की अदायगी नहीं करता है तो उसको वह रिबेट नहीं मिलेगा। कर्जा देते वक्त लाईफ इन्श्योरेन्स तथा बैंक वगैरह इसीलिए कन्डीशन लगाती है कि उसका लोन सेफ रहे और लोन की अदायगी किश्तवार समय पर मिलती रहे। इसका परिणाम यह निकला कि बिजली बोर्ड ने स्टैट के रेव्यू पर, वक्त

पर किश्त न दे कर एक बोझा डाला है जो रिबेट हर केस में समय पर इन्स्टालमेंट देने पर मिलता वह अब नहीं मिल सकेगा।

चेयरमैन साहब, इसमें एक बात और नहीं आयी जो कि एग्रीमेंट के अन्दर बिजली बोर्ड ने उन बैंकस से और लाईफ इंशोरेंस से लाजमी की होगी। अगर बिजली बोर्ड इन्स्टालमेंट टाईम पर नहीं देता है तो पैनल इन्ट्रैस्ट भी चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिजली बोर्ड की कारगरदगी निराशाजनक हैं। वेसे ये क्रेडिट लेने की गर्ज से, अपनी सराहना करवाने और प्रशंसा करवाने की बातें करलें कि हमने सारे हरियाणा के अन्दर बिजली का फेलाव कर दिया है और कर रहे हैं। परन्तु उसकी वर्किंग इतनी निराशाजनक है कि जिस कार्य के लिए रूपया मांगा गया था वह समय पर नहीं दिया जा सका।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं इस स्टेटमेंट के मुताबिक बिजली बोर्ड के ऊपर कुल कितना कर्जा है। बिजली बोर्ड खाली यश प्राप्त करने के लिए इतना फेलाव कर रहा है। आज जो फिर्ज फाईनैशियल स्टेटमेंट के मुताबिक है उसके अन्दर पेज चार पर टोटल दिया हुआ है। 3,319.443 लाख रूपया यानी 3,3319 लाख रूपया आज हरियाणा बिजली बोर्ड पर कर्जा है। यह इन्हीं की दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक है जो हमें स्पलाई की गई है।

चेयरमैन साहब, इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज कर दूँ कि जो एनयूल फाईनैन्शाल स्टेटमेंट आया है उसके पेज 17 पे दिया हुआ है कि 1,476 लाख रुपए का लोन बिजली बोर्ड ने गवर्नमेंट से लिया हुआ है। टोटल लोन जो बिजली बोर्ड ने लिया है वह 4,795 लाख रुपए बनता है। खर्च को निकाल करके उसमें कुछ भी नहीं बचा है। चेयरमैन साहब, इतनी लम्बी चौड़ी स्टेटमेंट इस मोटी फाईल के अन्दर दी है।। इस मोठी रिपोर्ट को जो हमें दी गई है, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। यह रिपोर्ट रात को हमारे पास पहुंची थी। सारी रात इस पर खर्च करके, एक-एक सफे को पढ़ने के बाद मुझे ऐसी निराशा हुई कि रात यों ही समय नष्ट किया। चेयरमैन साहब, सारी स्टेटमेंट के अन्दर एक सफा बड़ा ही उल्लेखनीय है, उसके अन्दर जो एनुअल फाईनैन्शीयल स्टेटमेंट पेज 17 पर इस मोठी किताब में दी गई है, उसमें रैवैन्यू रिसीट एण्ड रैवैन्यू एक्सपेंडीचर अस्टीमेट्स सन् 1971-72 और सन् 1972-73 इस प्रकार से दिये गये हैं:-

बजट एस्टीमेट्स सन् 1971-72 का 1806 लाख रुपए और फिर वही सन् 1971-72 का बजट एस्टीमेट्स 1973 लाख रुपए दिया हुआ है जो सन् 1972-73 का लेटैस्ट बजट एस्टीमेट्स दिया है वह 2,243 लाख रुपए दिया है यानी यह 1972-73 के रैवैन्यू एस्टीमेट्स के मुताबिक 2,243 लाख रुपया है जो हमें बिजली से रैवैन्यू में प्राप्त हुआ है। जो वर्किंग एक्सपैन्सिज सन् 1972-73 का लिखा है वह 1,169 लाख है और जो ग्रास इन्कम

हुई है वह 11074 लाख हुई है लेकिन चेयरमैन साहब, इस 1,074 लाख को उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रिब्यूट किया है वह भी देखिए—

| | 1972-73 |
|--|---------|
| Depreciation and Ganral Reserve Interest on: - | 453 |
| (i) Loan from Institutional Investeros | 298 |
| (ii) Government Loan | 323 |

इसी प्रकार से यह टोटल 1,074 लाख बन जाता है। इन्होंने यह पूरा करने के लिए अपनी तरफ से फिर्ज घट दी हैं। चेयरमैन साहब, मेरे पास इस समय अकाउंटेंट जनरल की आडिट रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन इन्होंने यह जो डेप्रिसियेशन लिखा है यह बहुत ही कम लिखा है। मेरा भी वास्ता मशीनरी से पड़ता है इसलिए यह जो 453 लाख डिप्रिसियेशन दिखाया है यह बहुत ही कम है। अब तो मैं इसे ही मान कर चलूंगा क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अगर आडिट रिपोर्ट होती तो वाकई ही इससे ज्यादा ही होता। 1,074 लाख रूपये का डेफिसिट न दिखा कर इन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है इसे सही मान कर चले तो चेयरमैन साहब, यह कहना पड़ेगा कि हरियाणा बिजली बोर्ड की गलत योजना और गलत नीतियों के कारण ही यह इतने कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और यह

सरकार और बिजली बोर्ड का चेयरमैन साहब, अपने वक्त में बेशक यश प्राप्त जाए लेकिन आने वाली कोई सरकार इस कर्ज के निचे दबी ही रहेगी। सालों तक उसके पास इस कर्ज का वापिस करने के साधन नहीं होंगे।

यहां जो यह कहा जा रहा है बिजली का उत्पादन बढ़ेगा जब थर्मल प्लांट चालू हो जाएगा। वह योजना बन जायेगी, यह योजना बनेगी, यह तो सब शेखचिल्ली वाली ही बातें हैं। उस वक्त उससे कितना रैवेन्यू आएगा, कितना बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और सरकार उस बिजली को किस तरह दे सकेगी यह तो उसी समय ही पता लगेगा।

चेयरमैन साहब, आज हरियाणा बिजली बोर्ड पर 4,795 लाख रुपये का कज्र है। फाईनैन्सल स्टेटमेंट के मुताबिक उसके पास देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। यह हालत है आज इस बिजली बोर्ड की। मैंने इस बिजली बोर्ड की सारी कारकदगी की फिर्ज सदन में रखी हैं जिस पर यह सरकार फख्र करती है इस तरह जो इण्डस्ट्रीज में काम करने वाले हैं उनको भी काम नहीं मिलेगा। इस तरह न इण्डस्ट्रीज को पूरे वक्त बिजली मिल सकेगी और न ही जो जरायत में तरक्की करना चाहते हैं बिजली से पानी दे सकेंगे। जो हमने लोन ले कर इस बिजली बोर्ड पर खर्च किया है उसको वापिस देने के लिए भी इसके पास कोई प्रोविजन नहीं है। यह है छोटी सी तस्वीर जो मैंने हरियाणा बिजली बोर्ड की वर्किंग के मुतालिक आपके सामने रखी है। इससे ज्यादा

विश्लेषण मैं इसका करना नहीं चाहता। दो एब बाते और है जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार को किसी भी तरह से यह बात बैठ कर सोचनी चाहिए कि वह इस प्रकार की स्थिती को कब तक चालू रख सकेगी। आज किसान की कमर टूट रही है। किसान को आज खाद ब्लैक के अन्दर मिलती है। किसान को आज मशीनरी बहुत मंहगी मिलती है। आज उसके ट्यूबवैल जो है, वे भी बन्द पड़े है। आज उनको पूरे घन्टे बिजली मिलती नहीं है और अगर मिल ती भी हे तो कम मिलती है या वक्त पर नहीं मिलती। इसके लिए सरकार को एमरजेंसी बेसिज पर कोई इस प्रकार की योजना, कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे कि किसान की तकलीफ कम हो सके। इसके साथ ही मेरा कहना यह है कि जितनी बिजली उसको मिलती है उसकी वोल्टेज का कोई पता नहीं लगता। किसी समय तो इतनी बिजली आती है कि झटका लगता है और मोटर का पयूज ही उड़कर कही दूर जाकर गिरता है और किसी समय इतनी कम बिजली आती है कि मोटर धू-धू करके रह जाती है और बन्द हो जाती है। इस लिए इस वोल्टेज को भी किसी एक लेवल पर लगाकर रखना चाहिए ताकि जितनी भी किसान को बिजली मिलती है, उसका वह सही रूप से उपयोग कर सके। चेयरमैन साहब, एक बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी, अब फिर कहना चाहता हूं। कि बिजली बोर्ड के अन्दर बहुत धांधली है। आज भी हमारे पास इस प्राकार की शिकायतें आती है। हमने इस सदन के द्वारा सरकार से इस बात को अनुरोध भी किया था कि सरकार इस बात

की छानबीन क्यों नहीं करती कि बेचारा किसान, जो अनपढ़ है जिसको पूरी समझ नहीं है उसके पास चाहे उसने पूरा महीना बिली चलाइर्द ही न हों, बिल चला जाता है और अन्धा धुन्ध यह सब होता रहता है। जब वह बेचारा बिल लेकर दफ्तर जाने लगता है तो पहले तो उसकी दफ्तर के अन्दर घुसने की जरूरत नहीं होती, अगर किसी तरह से दफ्तर में घुस भी जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसको कहा जाता है कि पहले जाकर पेसे जमा करवाओ, उसके बाद दरखास्त दे देना, फिर तुम्हारी सुनवाई होगी, फिर देखेंगे। इसमें किसकी गलती है? वह बेचारा क्या बता सकता है कि गलती कहा पर है? बिजली के देने वाले भी वे हैं, बिजली का बिल बनाने वाले भी वे हैं, गलती को चैक करने वाले भी वे हैं, इसलिए उसकी कोई नहीं सुनता। हमने पिछली दफा भी यह सलाह दी थी कि पंजाब पैटर्न पर एक लम्प-सम रेट मुकरर होना चाहिए और किसान को उस रेट के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही आज किसान ट्यूबवैल के कनेक्शन मांगता है। सरकार द्वारा यह माना गया है, इस सदन के अन्दर कवैश्चन आवर में कि बहुत सी ऐप्लीकेशन्ज पेंडिंग पड़ी है ओर वह मैटीरियल की कमी के कारण पड़ी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार से उन किसानों को ट्यूबवैल के कनेक्शन देने में सफल हो सकती है। इसके अलावा आज एक और गम्भीर स्थिती इस बिजली बोर्ड की वर्किंग के

अन्दर है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोई भी अदायरा, कोई भी इंसटीच्यूशन, कोई भी कारोबार, इस यूग के अन्दर बिना ऐम्पलाईज की सहायता के, ठीक रूप से कामकाज नहीं कर सकता। आज सरकार ने इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऐक्ट बनाए गए हे लेबर डिस्प्यूट के बारे में और बहुत से कानून बनाये गये हैं। यह सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा जो ऐम्पलाईज का तबका है, हमारा जो मेहनतकश तबका है, हमारे जो फ़ैक्टरी के अन्दर और दूसरे अदायरों या इन्सटीच्यूशन के अन्दर काम करने वाले मुलाजिम हैं, उनके साथ अन्याय न हों। उसके साथ ज्यादाती न हो। उसकी जो मांग है उसकी जो जायज मेहनत है वह उसको मिले। हरियाणा के अन्दर बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज लगातार एक साल से स्ट्राइक कर रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं। जलसे कर रहे हैं, मांगे पेश कर रहे हैं, मैमोरैंडम दे रहे हैं लेकिन हालत यह है कि आज के दिन तक भी, हालांकि वह पिछले साल से लगातार इस बिजली की जान का रो रहे हैं और चिल्लाते हैं, दूसरे लोगों के सामने अपनी आवाज बुलन्द करते हैं लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इनकी मर्जी है भले ही न सुने। मैं नहीं कहता कि इस चलज के अन्दर कितनी सच्चाई है लेकिन यह एक मैमोरैंडम बिजली कर्मचारियों की तरफ से सारे विधान सभा के सदस्यों को दिया गया है उसके अन्दर जहाँ तक मैंने पढ़ा है। उनकी मांग एक ही है।(व्यवधान)

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Sir, is Mr. Ram Lal addresssing the audience or the Hon'ble Chair?

श्री सभापति: चौधरी साहब, आप चेयर का ऐड्रेस करें। आप जल्दी से अपनी स्पीच वाइन्ड—अप कीजियें।

चौधरी राम लाल वधवा: बहुत अच्छा जी। मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मैं यह कह रहा था कि बिजली कर्मचारियों ने इस मैमोरैन्डम के अन्दर एक ही बात कही है। वैसे तो यह बहुत लम्बा—चौड़ा है, लेकिन उनकी एक ही बात मुझे जंची है ओर वह यह है कि जुलाई 1972 के अन्दर कोई ऐग्रीमेंट बिजली कर्मचारियों का बिजली बोर्ड के साथ हुआ था। आज उनकी यह शिकायत है कि उस एग्रीमेंट पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा। उस पर अमल न होने के कारण, चेयरमैन साहब, जो स्थिति उत्पन्न हुई और आज जिसके कारण बिजली कर्मचारियों को इतनी बेचैनी है, वे इतनी ऐजीटेशन कर रहे हैं, उसके बदले उनको क्या दिया गया है? बजाये इसके कि सरकार उनकी बात को बैठकर ध्यान से सहानूभूतिपूर्वक सूनती, उसने उनको ऐजीटेशन करने पर मजबूर किया। जैसे प्राइवेट आदयरो के अन्दर काम कने वाले मुलाजिमों और मालिकों के लिये यह व्यवस्था है कि केस इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को भेज सकते हैं, केस को लेबर—कोर्ट में भेज सकते हैं वैसे ही क्या सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भी कोई ऐसा कमिशन मुकरर नहीं कर सकती ताकि जो बिजली बोर्ड और बिजली कर्मचारियों के अन्दर

खीचातानी और बेचेनी है, उसका पता लगाया जा सके यह क्यों पैदा हो रही हैं औरप उसको समाप्त किया जा सके। इसके बदले मे होता क्या है? आज उनके ऊपर झूठे केसिज बनाये जा रहे है और उन्हे पकड़-पकड़ कर जेलो के अन्दर फेका जाता है। आज अगर कोई यूनियन का ओहदेदार सामने आने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी से बर तरफ किया जाता है। महात्मा गांधी का नाम लेकर सोशलिजम की बात करने वाली यह सरकार बिजली कर्मचारियों को इस प्रकार से तंग करके क्या समझती है कि वह उनकी अवाज को बन्द कर देगी? कम से कम उन्हे इस बारे मे तो ध्यान करके चलना चाहिये कि उनकी जायज डिमान्डे है अगर सरकार यह समझती है कि कर्मचारी गलत है तो उसके लिये कोई आर्बीट्रेटर मुकररे कर सकती है जो यह सामने आनी चाहिए। सदन को कोई भी मैम्बर कर्मचारियो की स्पोर्ट करने के लिये खड़ा नही होगा। इस सब का परिणाम क्या हुआ है? इससे नुक्सान न तो बिजली बोर्ड को होगा, न चेयरमैन साहब, को होगा, न उनकी तनख्वाह कम होगी (बोर्ड के चेयरमैन की)। इससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नही है। ऐसे हथकण्डो से सरकार भले ही कर्मचारियों को दबा हडताल से, स्ट्राईक से, जहा बिजली का संकट पहले ही खड़ा है, अगर उसकी वर्किंग ठीक तरह नही होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और जो नुक्सान होगा, उसका सारा बोझ जो है वह जनता के ऊपर आकर पड़ेगा। इसलिये, चेयरमैन साहब, मै आपके द्वारा एक ही बात कहना चाहूंगा और वह यह कि सरकार इस मामले को जल्दी से सुलझा

लें जहां एक ओर बिजली का संकट है, वहां दूसरी ओर बिजली बोर्ड की वर्किंग इतनी धिनौनी है, इतनी निराशाजनक है कि मेरा सरकार से निवेदन है कि बिजली बोर्ड और बिजली कर्मचारियों के झगड़े में जनता को और न फंसाया जाये। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी मेहर चन्द (बडौपल): चेयरमैन साहब, मेरे माहतरिम दोस्त ने एक बात तो यह कही कि “नाजिल हो रोज बलाये तो क्या करे”। यह उनका नतरिया है? पब्लिक के ऊपर कोई बला नाजिल नहीं है। क्योद्य मूझे एक बात याद आ गयी, चेयरमैन साहब, | Everything looks pale to the jundiced eye.

खता जू हर भली शै में बुराई ढूढ लेता है,

चमन में भी निगाहे जाद पड़ती है गिलाजत पर।

हम करें तो क्या करें? इनकी नजर तो गन्दगी के सिवाय कहीं जाती ही नहीं। खुशबू लेना चे जानते नहीं है। बिजली बोर्ड गरीब का कसूर क्या है? चेयरमैन साहब, क्या बिजली बोर्ड का यही कसूर है कि उसने सारे हरियाणा को जगमगा दिया। मेरे माहतरिम दोस्त ने यह कहा कि बिजली बोर्ड ने इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास कोई जादू की टोकरी है कि बगैर पैसे खर्च किए कोई चीज बन जाती है। उन्होंने यह हिसाब तो लगा लिया कि कैपिटल एक्सपेंडीचर बिजली पर इतना हो गया लेकिन उन्होंने इस बात को

ऐनेलाईज नहीं किया कि बिजली बोर्ड ने कितना काम किया है। मेरे दोस्त एक साईड पिक्चर पेंट करते हैं। वह सिर्फ नुक्ताचीनी करना ही जानते हैं यह सिर्फ क्रिटिसीज्म फार दी सैक आफ क्रिटिसीज्म है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड को सिर्फ यह कसूर है कि उसने मई, 1968 से लेकर जुलाई 1973 तक 90 हजार ट्यूबवैल को अनराइज किया और इन 90 हजार ट्यूबवैल से हरियाणा के अन्दर अब नौ लाख एकड़ भूमि की अनरजाइज किया और इन 90 हजार ट्यूबवैल से हरियाणा के अन्दर अब नौ लाख एकड़ भूमि की आबपाशी होती है। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि इस नौ लाख एकड़ भूमि की आबपाशी से हरियाणा के जमींदारों की फाईनैन्शल पोजीशन कितनी सुधरी है। यह जमींदारों के बारे में तो तब सोचें जब कि इनको उनसे कोई हमदर्दी हो। चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि नौ लाख एकड़ में आबपाशी बढ़ी है और खास आदमी जिम्मेवार नहीं बल्कि मैं इस काम के लिए बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारियों को दाद देता हूँ कि उनकी मेहनत से हरियाणा की स्थिति में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई। आपने कैपिटल एक्सपेंडीचर तो बता दिया लेकिन यह नहीं बताया कि हरियाणा की आमदनी कितनी बढ़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे हरियाणा की 250 करोड़ रुपया सालाना की आमदनी क्या सरकार के अच्छे कामों की दाद देने का यही तरीका है? क्या अच्छे कामों को इस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है?

इसके अलावा चेयरमैन साहब, हरियाणा के बिजली बोर्ड का एक और भी कसूर है कि पहले जहां बिजली की पर-कैपिटा कंजम्पशन 48 यूनिट थी वह अब बढ़कर 108 यूनिट हो गई है, क्या यह भी बिजली बोर्ड का कसूर है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कसूर है, कांग्रेस पार्टी का कसूर है जोकि हरियाणा प्रान्त को तरक्की की तरफ ले जा रही है? इसके अलावा चेयरमैन साहब, यहा एक और बात कही गई है कि बिजली के लिए साधन नहीं किए गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे नहीं किए गए। मेरा ख्याल तो यह है कि जिस आदमी को हाथ सदा जेब में रहता है उनको तो सिर्फ पैसा नजर आता है। ठीक बात है हमें पैसे के अलावा और भी बात देखनी है, लोगो की खुशहाली भी देखनी है। पहले हरियाणा में साठे तेतालीस करोड़ यूनिट बिजली की खपत थी ओर आज बिजली की खपत 108 करोड़ यूनिट की है। यह बढ़ोतरी कोई आसमान ने नहीं हुई। यह सारी बढ़ोतरी बिजली बोर्ड ने की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बढ़ोतरी का सारे का सारा क्रेडिट हरियाणा बिजली बोर्ड को जाता है। जितने भी मैंने आकड़े दिए हैं इनका मतलब है कि हरियाणा तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, यह तरक्की की निशानी है। मुझे खुशी होगी कि इस बिजली बोर्ड को ओर भी सहूलियतें दी जाए क्योंकि जितना काम, जितना बढ़ावा हरियाणा की इकानामी में बिजली बोर्ड ने किया है, हरियाणा के किसी और शोबे ने नहीं किया। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ओर इसके लिये मैं हर तरह से क्रास एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूं। मैं यह बात आन दी

पलौर आफ दी हाउस और आउट साईड कह सकता हूं। एक बात और अपोजीशन ने कही कि बिजली तो पहले दे दी लेकिन बिजली बोर्ड ने उसकी जनरेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह बात भी सफेद झूठ है। जनता को आप बहुत देर तक नहीं बहका सकते। कल भी मैंने कहा था कि इनकी अलाएंस ऐसी जगह होती चली जा रही है जहां से आप हरियाणा के दुश्मन बनते जा रहे हैं आप हरियाणा ।

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर हरियाणा के दुश्मन एक मैम्बर को बताना, क्या यह ठीक है। यह एक्सपंज होना चाहिए।

चौधरी मेहर चन्द: मैं किसी मैम्बर को नहीं बता रहा, मैं हरियाणा के जनसंघ को बता रहा हूं हरियाणा का जनसंघ हरियाणा का दुश्मन है ।

श्री सभापति: इसमें कोई बात नहीं है। एक्सपंज की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए। बैठ क्यों गए?

चौधरी मेहर चन्द: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जनसंघ हरियाणा का दुश्मन है। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं। If they want to sue me, They can sue me. (Noise) जब हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा को भाखड़ा से हिस्सा आया, इन्द्रप्रस्थ से हिस्सा आया और दूसरी जगहों से मसलन जहां यह सीमेन्ट फैक्टरी है वहां से हिस्सा आया। यह सब 178 मैगावाट

बिजली की जनरेटिंग कैपेसिटी हरियाणा की थी जब हरियाणा बना था लेकिन आज हरियाणा की जनरेटिंग कैपेसिटी 225 मैगावाट हो गई है। क्या यह आसमान से आ गई? क्या यह बिजली बोर्ड ने पैदा नहीं की? लेकिन यह कहते हैं कि बिजली की जनरेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब, 225 मैगावाट तो अब है ओर इसके अलावा 1974-75 में 95 मैगावाट की ओर एडिशन हो जाएगी और यह लाजमी तौर पर होगी। यह कोई फिक्टीशियस फिगर नहीं है। यह एडिशन लाजमी तौर पर हो रही है। इस तरह से 1974-75 में यह 320 मैगावाट हो जाएगी। 1975-76 तक तो जम्प इतना है कि अगर मैं इनको सुनाऊं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग एक साइड पिक्चर पेंट करना चाहते हैं। यह तस्वीर का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू तो यह देखते ही नहीं। चेयरमैन साहब, 1975-76 में बिजली की प्रोडक्शन 629 मैगावाट हो जाएगी। उससे नैक्टस ईयर, मैं अभी फाईव ईयर प्लान पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ 1977 तक की बात करता हूँ क्योंकि मैं 1977 तक ही चुनकर आया हूँ। चेयरमैन साहब, 1976-77 में बिजली का प्रोडक्शन 799 मैगावाट हो जाएगा। इसके लिए मैं बिजली बोर्ड को दाद देता हूँ। बिजली बोर्ड जिन्दाबाद। यह कह देना कि बिजली बोर्ड ने कुछ काम नहीं किया, फैक्टस और फिगर को टुइसट करने वाली बात है। मैं हाउस का ज्यादा टाईम नहीं ने रहा हूँ। मैं फैक्टस एण्ड फिगर के साथ बोल रहा हूँ। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, इनको क्या गिला है, आप इनको कहे कि जरा दिल को थाम कर सुने। इसके अलावा मैं आगे

चलकर बिजली बोर्ड के कुद नुक्स भी आप के सामने रखूंगा, मैं कोई वन साईड पिक्चर पेन्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले तो बिजली बोर्ड को मैं एक दाद देता हूँ और इसके साथ साथ वहाँ के सारे कर्मचारियों को भी दाद देता हूँ और वह इस बात के लिए कि अगर हिन्दोस्तान में कोई बिजली बोर्ड है तो वह एक हरियाणा का ही है जिस ने सब से पहले ट्रान्सफार्मर्ज बनाए और बहुत थोड़े से अर्से में सारे हरियाणा को जगमबा दिया तो यह सारा क्रेडिट हरियाणा बिजली बोर्ड को व उनके सभी कर्मचारियों को ही जाता है। दाद देनी चाहिये इस हरियाणा के बिजली बोर्ड को कि इसने क्या-क्या नहीं किया। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ वह है कर्मचारियों की स्ट्राइक के बारे, उनके एजीटेशन के बारे में। मैं यह मानता हूँ कि एजीटेशन है, स्ट्राइक्स है लेकिन मुझे आप बताइये कि कौन सी जगहे ऐसी है, जहाँ पर ये एजीटेशनज व स्ट्राइक्स नहीं होती। एक अकेला बिजली बोर्ड को सिंगल आउट कर देना यह बात ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि यह जो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने स्ट्राइक मैमोरैन्डम दिया है यह भी शायद इन जनसंघी भाईयों की हिमायत से दिया गया हो।

चौधरी राम लाल वधवा: और आप शायद शाम को बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब, से चाय पीकर आये होंगे। (हंसी)

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो चाय पी कर आया हूंगा या नही अगर इन के दल में कोई ख्वाहिश हो तो मै उनके पास से पूरी कचौरी भी खाने को तैयार हूं।(हंसी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै कर्मचारियों की स्ट्राइक के बारे में बोल रहा था, इन्होंने बीच में टोक दिया। बिजली बोर्ड ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वह अपने कर्मचारियों को सेटिसफाई कर दे, मै इस बिजली बोर्ड का मैम्बर भी रहा हूं मूझे इसके इनटरनल मामलों का भी पता है कि उस वक्त भी यह सब कुछ किया और अब अगर बिजली बोर्ड वाले यह डिमांड करे कि उनका अगर एक आदमी भी बीमार हो या न हो, उनको तो हर महिनें 400 रूपये वहां से मिल जाने चाहिये, उनकी जेब मे आ जाने चाहिएं, तो ऐसी डिमांड तो उचित नही है। हां कर्मचारियों का रिइम्बर्समेंट की सहूलियते मिली हुई है, अगर वह एकचुअली बीमार होते है तो वे रि-इम्बर्समेंट करवा सकते है।

चौधरी पीर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है मेरे दोस्त ने अभी जो रि-इम्बर्समेंट के बारे मे कहा कि यह चीज हम पर भी लागू होती हैं? जब हम बीमर होंगे तो क्या हमे भी बीमारी के पैसे मिलेंगे?

चौधरी मेहर चन्द: मेरे ख्याल मे डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इसका जवाब क्या दूं, इसका जवाब अगर और देता तो ठीक था। मेरे दोस्त को यह भी नही मालूम कि वह बोल क्या रहा हैं, जहां तक मैडीकल रि-इम्बर्समेंट का सवाल है तो वह पहले ही

हरेक एम.एल.ए. को यह सहूलियते मिली हुई है। भई, बिजली बोर्ड वाले तो यह कहते है कि बगैर बीमार हुए, उनकी जेब मे महीनें पैसे पहुंच जाए, सो मेरे दोस्त, कुछ ध्यान से सुना तो करो, समझा तो करो, बताओ मै क्या करूं, अगर बाप ही मेरी बात को ध्यान से न सुना.

एक आवाज: आप अपना हक निभाते जाओं।

चौधरी मेहर चन्द: भई, मेरा हक सुनना हो तो कभी पब्लिक के जलसों मे चलकर सुन लो।

एक आवाज: यह भी कर लेंगे।

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै एक दो बाते कहकर वाइंड अप कर रहा हूं क्योकि मेरे बहुत से साथियों ने भी अभी बोलना है। कुछ ऐसी बाते है जिनके बारे में मै बिजली बोर्ड की तव्जजो दिलाना निहायत जरूरी समझता हूं। अरग वे गलतियों को दूर नही करते तो मेरे ख्याल मे, फिर हम तो उनकी फेवर कर नही सकतें, कम से कम मै तो उनके हक मे नही बोलूंगा। जो अच्छे काम किए हों, उनके लिये हमे दाद जरूर देनी चाहिये लेकिन जो खामियां रह जाए तो उनको भी जरूय बताना चाहिये ताकि वह दूर हो सके। पहली बात तो यह है कि जो बिजली के बिल बनते है, वे बहुत हद तक ठीक नही बनते है, रिडिंग जो है, वह प्रोपर नही ली जाती। अफसर जो है, वे तो शायद एक दो मिनअ बात न सुने लेकिन मीटर रीडर्ज जो है वे

तो घण्टों बात ही नहीं करते और जब हम अफसरों से इस बात की शिकायत करते हैं तो वे कह देते हैं कि मीटर रीडर ने यह लिखा है तो अफसरों को चाहिये कि कभी वहां जाकर स्पोअ पर इन बातों को वैरीफाई करे कि आया पब्लिक ठीक कहती है। क्या मीटर रीडर ही इतना बड़ा आदमी हो गया, जो कर दे वह ठीक है? इससे बहुत से किसान लोग बेचारे दुखी होते हैं, यूंही दफतर में बैठे बैठे गलत बिल बना दिये जाते हैं और फिर किसी आदमी की सुनवाठ नहीं होती। तो बिजली बोर्ड के अफसरों को इस तरफ खास ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात यह है, स्टेट मिनिस्टर साहब यहा पर बैठे हैं, मैं उनकी तवज्जों इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं तो उनको होलसोली इस डिपार्टमेंट का इन्चार्ज समझता हूं, उनकी मेहरबानी होगी अगर वह इस बिजली बोर्ड का सिकन्जा खींच कर रखें और इन्हे यह हिदायत करे कि जो टैस्ट रिपोर्ट होती है, उसकी एकनालिजमेंट दे क्योंकि इसके न देने से किसानों को परेशानी होती है। अगर बिजली बोर्ड के दफतर में किसी डौमेस्टिक कनैक्शन के लिये ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिये जाए तो वे कह देते हैं कि हमारे पास तो टैस्ट रिपोर्ट ही नहीं आई, अगर ये टैस्ट रिपोर्ट की एकनालिजमेंट देगे तो फिर यह इस बात से इन्कार नहीं कर सकेंगे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं दसपे साथ कह सकता हूं कि पिछले सैशन में, आप बेशक प्रोसीडिंग्ज निकलवा कर देख लें, जब बिजली बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई थी तो उस वक्त यह फैसला किया गया था कि टैस्ट रिपोर्ट

एकनालिजमेंट दी जाएगी, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की तवज्जों इस तरफ होनी चाहिये और बिजली बोर्ड को इस बारे में हिदायत देनी चाहिये कि टैस्ट रिपोर्ट लेते समय एकनालिजमेंट दें। तो इस तरह से जमींदारों को, किसानों को, दुकानदारों को जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनको इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला एस.सी.): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हमारे सामने हरियाणा राज्या बिजली बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के ऊपर इस सदन के चर्चा चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने काफी से ज्यादा, बिलजी की तारे, गांव गांव में फेला कर, हर जगह इस तरह रोशनी करने में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और इससे दूसरे प्रदेशों में हमारे हरियाणा का नाम भी हो गया है लेकिन जितनी जल्दबाजी में यह सारा काम किया गया है, इससे बिजली बोर्ड वालों ने इस काम को बड़े गलत ढंग से चलाया जिसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े से अर्से में काफी से ज्यादा पोल्ट वगैरह टेढे हो गये और कई जगहों पर तो गिर भी गये। ये लोग दावा करते हैं कि हमने गांव गांव में बिजली पहुंचा दी है लेकिन आज कई गांवों की ऐसी स्थिति है कि जहासं पर बिजली का नामोनिशान भी नहीं है और कोई मीटर नहीं है और न ही वहां पर कोई बिजली घर में पहुंचती है। कई जगह ऐसी है कि जहां पर लोगों

ने बिजली की वजह से ट्यूबवैल भी लगवाये है लेकिन वहा पार अभी तक लोगो को बिजली के कनेक्शन ही नही मिले है जिस से लोगो का नुक्सान हो रहा है। हमारी सरकार ने बिजली का इतना फेलाव तो जरूर यिका है लेकिन बिजली के न आने से बदइन्तजामी हुई पड़ी है। इस कारण से ट्यूबवैल क्या, इण्डस्ट्रीज क्या यहां तक कि हम अपने घरों के अन्दर भी बिजली न आने के कारण परेशान है। पिछले 6 महीनें से पहले, गांव मे क्या और शहरों मे क्या सारी की सारी इंडस्ट्री बिजली की वजह से बन्द रही। बिजली 24 घंटे आने की बजाए सिर्फ 3 या 4 घंटे आती रही और वह तीन चार घंटे का भी पता नही किसा समय आए। कभी रात को आ जाती थी तो कभी दोपहर को यानी कोई निश्चित समय नही था। बिजली की वोलटेज कम ज्यादा होने की वजह से किसानों के मीटर खराब हो गए और बिजली कर्मचारियों ने उन खराब हुए मीटरों की कीमतें कंज्यूमर से वसूल की जबकि उनाक इसमे कोई कसूर नही था। इस वजह से जमींदारों को और इण्डस्ट्रीज वालों को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इतना भी नही पता कि पब्लिक के सागि कैसे सलूक करना है। कोई भी पब्लिक का आदमी उनके पास जाता है तो उसको तसल्लीबख्स जवाब नही मिलता। आज जमींदारों के मीटर डायरैक्ट कनेक्ट कर दिये जाते है जिससे उनके मीटर बन्द हो जाते है और डायरैक्ट करने से उनके ऊपर इतना खर्चा पड़ता है कि एक साल के अन्दर सजा के तौर पर उनके ऊपर 5-6 हजार रूपये डाल दिये जाते है। जबकि आमतौर से एक ट्यूबवैल

के ऊपर 600 या 900 रूपया खर्चा आना चाहिये। दूसरी तरफ गांव मे या शहरों मे जो कनेक्शन लगे हुए है उनकी यह हालत है कि कभी तो उनकी रीडिंग इस ढंग से होती है कि इसके अन्दर दो फेमिली रहती है इसलिए तुम्हारा खर्च दो गुण आएगा और जिसके अन्दर चार फेमिली रहती है उसका खर्च चार गुणा आएगा। इस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को यह भी नहीं पता कि खर्चा यूनिटारों के हिसाब से लेना चाहिये या फेमिलिज के हिसाब से लेना चाहिये। कई मकानों मे चार या पांच कमरे होते है वहा भी यही कहा जाता है इसके अन्दर चार या पांच कमरे है इसलिए बिल ज्यादा आया है ऐसे ऐसे कई मसले है। वैस बिजली तो जी सिर्फ तीन यूनिट और बिल आया 11 रूपये। समझ नहीं आती कि यह बिल किस ढंग से बनाते है। आज हर गरीब आदमी इससे दुखी है। बिजली के भरोसे पर आज हर आदमी ने अपने घर से लालटेन और दीया हटा दिया है लेकिन वह पहले से तंग रहता है क्योकि बिजली के आने कोई टाइम ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वे इन कमियों को दूर करने के लिए जरूर चर्चा करे और हरियाणा सरकार को कहे कि इस नुकसान से पब्लिक को बचाया जाए। आज यह घोटाला चल रहा है एक आदमी को तो एप्लीकेशन देने के बाद दो महीने मे बिजली मिल जाती है और दूसरे को साल साल भर तक नहीं मिलती। यह सारा इसलिये होता है कि यह बिजली वाले हल्के को देख कर मीटर देते है। इसके अलावा जो ट्यूबवैल को कनेक्शन दिये जाते है इसके बारे मे यह निति है कि

ट्रांसफार्मर से लेकर ट्यूबवैल तक जो लाईन खींची जाती है उस पर कोई खर्च नहीं होगा लेकिन यह होने के बावजूद भी जमींदारों से यह खर्चा वसूल किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ खास करके ध्यान दें। इस फसल के लिये अगर जमींदारों को बिजली न मिली तो हो सकता है कि पिछली दफा से भी इस फसल की ज्यादा बुरी हालत हो। मैं एक बार फिर आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे जमींदारों को हो रही इस परेशानी को दूर करे ताकि लोगों को कुछ फायदा हो सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनता ही कह कर मैं आपका धन्यावाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष: अब जैन साहब बोलेगे।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि आपने इनको जैन होने की वजह से पहले बोलने के लिये तो खड़ा नहीं किया? (हंसी)

12.00 बजे

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन के सामने बिजली बोर्ड की 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के एस्टीमेट्स की रिपोर्ट डिसक्स हो रही है। मेरे से पहले इस सदन के काफी दोस्त बोल चुके हैं। यह बात कि हरियाणा में बिजली ने तरक्की की है इसके बारे में मैं कोई ज्यादा

नहीं कहूंगा क्योंकि इसके बारे में सभी भाईयों को अच्छी तरह से मालूम है और इस बारे में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है कि किस तरीके से ट्यूबवैल को कनेक्शन दिये हुए थे और 31 जुलाई, 1973 को वे 1 लाख 18 हजार हो गए। किस तरह से इलैक्ट्रिसिटी की कंजम्बपशन बढ़ी और किस तरह से हमारा रैवेन्यू बढ़ा इन बातों की तरफ मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं हैं। आज बिजली जो है वह हमारी जिन्दगी का एक अहम रोल अदा कर रही है। चाहे एग्रीकल्चर को देख लें, इण्डस्ट्रीज को देख ले कामर्स को देख ले और चाहे हाउस होल्ड को देख ले इन सबमें बिजली का ही अहम रोल है। इसलिये आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वह ऐसे विषय पर कर रहे हैं जो हमारी आल-राऊंड लाईफ पर इफैक्ट करता है। मैं चाहूंगा कि सदन इस पर शान्ति के साथ गौर करे। हम देखना चाहते हैं कि अब तक की जो बिजली बोर्ड की परफोर्मेंस है वह संतोषजनक है या नहीं। कुछ भाईयों ने बिजली को हर गांव में ले जाने पर ऐतराज किया और कुछ भाईयों ने कहा कि बिजली बोर्ड की तरफ भारी कर्जा हो गया है। लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि अगर हम बिजली को बढ़ाना चाहेगे तो उस पर इनवैसमेंट भी करनी पड़ेगी। हम इसे कमर्शियल बेसिस पर तो चलाते नहीं हैं लेकिन कैपिटल की रिटर्न तो जरूरी होती है। आप हरियाणा 68 से 73 देखें इसमें रिटर्न के बारे में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं। आप अगर हमारे इस बिजली बोर्ड और दूसरे प्रदेशों के बिजली बोर्डों को देखें तो यह पाएंगे

कि हरियाणा प्रदेश के बिजली बोर्ड की 1972-73 की रिटर्न 5.3 प्रतिशत है और उसके अगेस्ट कुछ स्टेटस ऐसी है जैसे आसाम 1 प्रतिशत बिहार 2 प्रतिशत, उड़ीसा 2.2 प्रतिशत, यू.पी. 4.5 प्रतिशत राजस्थान और आन्ध्र की रिटर्न ज्यादा है और पंजाब की 5.1 प्रतिशत है। इस बात के बावजूद कि हमारे हां ऐक्सपैन्शन बड़ी तेजी के साथ हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऐक्सपैन्शन हो रही हो तो कैपिटल इनवैस्टमेंट ज्यादा होती है और कैपिटल कौस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उसक की रिटर्न आने मे कुछ टाईम लगता हैं। लेकिन मै आने बिजली बोर्ड को मुबारिकबाद देता हूं कि इतनी ऐक्सपैन्शन होने के बावजूद भी हमारी पर-कैपिटल रिटर्न 5.3 प्रतिशत है, अगर यह छः प्रतिशत हो तो हब उसको बहुत अच्छा मानते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ चन्द अहम बाते कहना चाहता हूं। मैने इन्कम और ऐक्सपेंडीचर की फिगर्ज निकाली है, यह बोर्ड को डिटेल्ज देनी चाहिए थी मगर उन्होनें नही दी। तो जो मैने वर्क आउट किया हैं उसकी परसैन्ट मै हाउस के सामने रखना चाहता हूं। बिजली की जनरेटिंग पर जो खर्च आता है वह 19 परसैन्ट है ऐसटैबलिशमेंट का खर्चा 28 परसैन्ट है, इन्ट्रैस्ट 28 परसैन्ट डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 6 परसैन्ट और डेप्रीसिएशन 19 परसैन्ट होता है। इन फिगर्ज मे कुछ आधा परसैन्ट का फर्क हो सकता है वर्ना यह परसैन्टैज ठीक हही हे। इसका मतलब यह है कि हमारी इन्कम तभी बढ़ेगी जब हम बिजली और ज्यादा पैदा करेगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ ऐक्सपेंडीचर ऐसे होते है जोकि

स्टेटिक होते हैं, वह बढ़ते नहीं। अगर आज हम बिजली की पैदावार को ज्यादा बढ़ा दें तो हमारे जो दूसरे इखराजात हैं, जैसे स्टाफ का खर्चा है वह उस परसेंटैज से नहीं बढ़ेगा। इस लिए बिजली पैदा करने के सोर्सिज कौन से सस्ते और अच्छे हो सकते हैं इस पर केवल प्रांत में ही नहीं सेंटर में भी विचार किया जाता है और इसके लिए आल इंडिया बेसिज पर एक पालिसी बनाई जाती है। शुरू में हमने कोशिश की कि हम लोगों को बिजली सस्ती दे और सस्ती बिजली सिर्फ हाईडल सिस्टम से ही दी जा सकती है और आज तक हमारे मुल्क में हाईडल सिस्टम पर ही डिपेंड किया था लेकिन पिछले साल जब ड्राउट आया तो हाईडल सिस्टम फेल हो गया और बिजली की बेहद शार्टेज हो गई जिसको कि पूरा करना संभव नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने वर्ल्ड लिट्रेचर आन इलैक्ट्रीसिटी पढी है यह जानने के किलिए कि वहां पर बिजली के क्या सोर्सिज हैं। वहां पर thermal is the main generating source and the hydel is subsidiary source. इसलिए मैं कहूंगा कि हाईडल पर न जोर दिया जाए, आप भी पहले थर्मल प्लांट लगाए और हाईडल को सबसिडीयरी सोर्स रखें, बल्कि डीजल से भी अगर हम बिजली पैदा करें तो जनरेटिंग पर खर्च आएगा उसकी प्रोपोर्शन से ऐस्टबलिशमेंट के खर्च में इजाफा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें हर मुमकिन कोशिश करके बिजली की पैदावार बढ़ानी चाहिए। इस वक्त जो हमारे तमाम सोर्सिज हैं उनसे 232 मैगावाट बिजली हम को मिल रही है। यह मैं सरकारी आंकड़ों से बता रहा हूँ। हमारी ऐक्सपैक्टिड

कन्जम्पशन 450 मैगावाट की है। हम जो नए सोर्सिज से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस से हमें 275 मैगावाट बिजली और मिलगी। इसके अन्दर जो हमें ब्यास प्रोजैक्ट से बिजली मिलनी है वह इस में शामिल नहीं है। मैंने जो लिट्रेचर बिजली के बारे में पढ़ा है उसके आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि हम जो बिजली की कन्जम्पशन के ऐस्टीमेट बनाते हैं, अगर आप समझते हैं कि उसमें 100 फीसदी इन्क्रीज होगी तो आप मान लीजिए कि वह 200 फीसदी इन्क्रीज होगी। उसका कारण यह है कि हमारे देश की डिवैल्पिंग इकानोमी है। जब डिवैल्पमेंट होती है तो बिजली की कन्जम्पशन भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। और इस हद तक बढ़ती है जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अगर आपका 450 मैगावाट का ऐस्टीमेट है तो मेरी सजेशन है कि आप उसको कम से कम 600 मैगावाट कर दें ताकि आंशिक रूप से हमें यह न कहना पड़े कि हमें बिजली की शॉर्टेज है। आज क्या एग्रीकल्चर क्या इण्डस्ट्रीज और पब्लिक जिन्दगी की दूसरी जो एक्टिविटीज हैं। उन सबका निर्भर बिजली पर ही है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर स्ट्राइक की बात चली। मैं जाति तौर पर स्ट्राइक के खिलाफ हूँ और कम से कम भारतवर्ष में जहां कि आज हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी तब हटेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा—प्रोडक्शन तब बढ़ेगा अगर मजदूर काम करें और जो कैपिटलिस्ट है वह ले—आफ या लौक

आऊट न करे। खैर मैं ज्यादा इसके बारे में न कहता हुआ केवल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में ही कहना चाहूंगा, मैं उनको यह कहूंगा कि वे ऐजीटेशन के तरीके को न अपनाए। पिछले दिनों आप ने देखा होगा कि हरियाणा में ट्रेडर्स की कान्फ्रेंस हुई और उनकी बड़ी डिमाण्ड थी। उन्होंने जाए इस के कि हरियाणा में बंध करके सारा कारोबार बंद करते, डेमोक्रेटिक ढंग को अच्छा समझा और अपने रिप्रिजेंटेटिवज के थरु अपने ग्रीवेंसिज को गवर्नमेंट रिड्रेस करवाया। आप यह जानते हैं कि पहले जिस वक्त हड़तालें होती थीं वह इसलिए होती थीं क्योंकि उस वक्त यह समझा जाता था कि *the worker is weak as against the capitalist*. इसलिए मजदूरों को मैनेजमेंट पर प्रैशर डालने के लिए हड़ताल करनी पड़ती थी। लेकिन आज डेमाक्रेसी का जमाना है, जनता के चुने हुए रिप्रिजेंटेटिव हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हैं वह अपने रिप्रिजेंटेटिव जो यूज करें जैसे कि ट्रेडर्स अपने रिप्रिजेंटेटिव की मारफत अपने विचार सरकार के नोटिस में लाए और जनसंघ वालों के पावं तले से जमीन निकल गई, हमारी सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं माना जाएगा तो फिर बिजली बोर्ड के ऊपर हम बैठे हैं हम उनकी जायज मांगों का मनवा सकते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बात दावे से कहमास हूँ कि आज तक बोर्ड का कोई भी कर्मचारी हमें न मिला है और न ही उन्होंने कोई हमें अपनी तकलीफ ही बताई है। दरअसल बात यह है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी गलत चक्कर में फंसे हुए हैं। वे उन गलत पोलिटीशन्ज के हाथों में खेल

रहे है जो मतलब के लिए उनको एक्सप्लायअ कर रहे है। मै चाहूंगा कि मेरी आवाज उन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के कानों तक जाए और ऐजीटेशन के रास्तों को छोड़ कर हमारे देश की बढ़ती हुई इकानोमी मे कोआप्रेसन दे और रूकावट बनने की कोशिश न करे क्योकि उनका भला भी इसी बात मे है। अगर आज हमारी स्टेअ तरक्की करेगी तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। आज हमारी स्टेट की डिवैल्पमेंट मे बिजली का एक बहुत अहम रोल है। इसलिए मै उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे बजाए स्ट्राईक्स करने के हमें अपनी तकलीफे बताएं, मुझे अभी तक पता नही कि उनक के साटा क्या ज्यादाती हो रही हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई ज्यादाती पहो रही तो वह हमारे नोटिस मे लाए, हम उनके लिए गवर्नमेंट के साथ बातचीज करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों राजस्थान और यू.पी. मे इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी थी। तो यह तरीका मै समझता हूं बिल्कूल गजत है। मै अब ज्यादा टाईम नही लूंगा, एक बात कह कर खत्म करूंगा और वह यह कि थोड़ी सी बात अगर मै कड़वी कह दूं तो मै उम्मीद करता हूं कि मेरे जो बिजली बोर्ड के मेरहबान दोस्त बैठे हुए है। वह उसे बुरा महसूस नही करेंगे। मै फील्ड स्टाफ के बारे मे जानता हूं वहा पर इनऐफीशैंसी और कुरप्शन बहुत ज्यादा है। मै इसकी डिटेल मे नही जाता क्योकि पहले बहुत कुछ कहा गया हे। मै खुछ एस.ई. साहिब के पास गया और उन्होने एस.डी.ओ. को टेलिफोन किया, उस के बाद जब वह आदमी एस.डी.ओ. के पास गया तो उस को एस.डी.ओ. ने कहा कि तुम चले जाओ गुलाब

सिंह के पास, जब तक 700 रूपया नही दोग कनैक्शन नही मिलेगा। उस केस मे एफीडैविट भी दिया हुआ है। मुझे पता नही उसका क्या हुआ है। लेकिन इस तरह की दुखदायी बाते होती जरूर है और हो रही है। इसके लिये अगर मै यह कहुं कि सरकार जिम्मेदार है या चेयरमैन साहब, जिम्मेदार है तो यह ठीक नही होगा लेकिन इरअसल बात यह है कि ऐक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई है और फील्ड मे जो स्टाफ बैठा है वहां से गड़बड़ होती है। तो मै यह कहूंगा कि इस बात की तरफ से चेयरमैन साहब, ध्यान दे ताकि यह इनऐफीशेंसी दूर हो और लोगो की यह छोटी मोटी तकलीफे खत्म हो। बिलों के बारे मे भी आम तौर पर शिकायत मिलती है। इस बारे मे मै यह कहना चाहता हूं जिस तरह से पटवारी की हुई गिरदावरी अटैस्ट होती है इसी से इन बिलों की भी बाकायदा चैकिंग होनी चाहिए और मीटर रीडर्ज के ऊपर एक ऐसी एजेंसी हो जो इस बात को देखे और अगर बिलों मे गलती पाई जाए तो रीडर्ज के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मै अर्ज करता हूं कि जो बोर्ड की वर्किंग है, इन्वैस्टमेंट है, उसकी रिटर्न है ऐक्सपेंशन के काम है और बिजली पैदा करने की और स्कीमज है उनकी मै तारीफ करता हूं क्योकि ये बोर्ड के काम सराहनीय है ओर हम उन पर फख है। जब हम अपने बोर्ड के बाम को दूसरी स्टेट्स से कम्पेयर करते है तो हमारा सिर फख से ऊंचा होता है। इन शब्दों के साथ मै अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मेरे कई साथियों ने बड़े विस्तार रूप से बातया कि हरियाणा बिजली बोर्ड ने क्या क्या अच्छे काम कियो है लेकिन एक विरोधी दल के साथी ने कुछ ऐसी बाते कह दी और ऐसे आंकड़े पेश किये कि इतना कर्ज हो गया है औ यह हो गया है और वह हो गया है। मै अर्ज करता हूं कि इस देश मे यह पहला बोर्ड है जिस ने 1970 मे हरेक गांव मे बिजली पहुंचाई। आपको याद होगा कि ऊआकुपंड मे एक कान्फ्रेंस हुई थी और उस मे यह फैसला किया गया था कि सारे भारत मे 1980 तक पचास फीसदी गांव मे बिजली पहुंचाने का अनुरोध किया गया था लेकिन हरियाणा वह स्टेट है जिस ने दस साल पहले ही हरियाणा के सौ फीसदी गांव मे बिजली पहुंचा दी है। फिर इस मे देखने वाली बात यह है कि किन हालात मे इनता बड़ा काम किया गया। मै कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने अधेरा नहीं दिखा उसे रोशनी का पता नीह लगता। इन लोगो ने तो नुक्ताचीनी ही करनी हैं क्योकि यह किसी अच्छी बात को देख नहीं सकते। मुझे याद है कि 1967 मे जब केबिनेट बनी और उसकी पहली मिंटिंग हुई तो उसमे यह बात सामने आई कि हरियाणा के पास पैसा कितना है कि जिससे मुलाजमों की तनखाहे दी जा सकती है। उस वक्त हमारी माली हालात ऐसे थे। जब यह मौजूदा सराकर पावर मे आई उस वक्त ऐसे हमारे हालात थे लेकिन इसने आते ही ऐसे काम कियो कि तीन साल के अन्दर सौ फिसदी गांवों मे बिजली दे दी और हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर तेजी से चला दिया। उस

वक्त यहां पर सिर्फ 19 हजार ट्यूबवैल होते थे लेकिन आज आप देखे हमारे प्रान्त मे एक लाख 18 हजार ट्यूबवैल है। आखिर यह खुशहाली किन की हुई? यह खुशहाली जमींदारे और किसानों की हुई हरियाणा की जतना की हुई हैं। इस खुशहाली के लाने मे सबसे बड़ा हाथ इस हमारे बिजली बोर्ड का है जिसने इतना शानदार काम किया है। अगर ट्यूबवैल को बिजली न दी जाती तो अनाज की पैदावार इतनी नहीं होनी थी लेकिन यह कहते है कि इतना कर्ज हो गया ओर इतना सूद पड़ गया मगर इनको इस बात की समझ नहीं आई कि अगर उस वक्त 1970 मे कर्ज लेकर बिजली फेलाने का काम न करते और आज हो रही है आज कर तो दूगने पैसे खर्च आते और इतनी पैदावार भी न बढ़ती जितनी आज हो रही है जिसकी वजह से आज हरियाणा का नाम सारे देश मे इज्जत के साथ लिया जाता है। हमने बिजली के काम को बढ़ाया जिससे पैदावार बढ़ी और पैसा भी कम खर्चा आया लेकिन इनको यह बाते नजर ही नहीं आती है क्योंकि यह तो कहते है कि हरियाणा मे इतनी खुशहाली क्यों हो गई और ये ऐजीटेशन होनी क्यों बंद हो गई और अब क्यों नहीं होती, कभी यह कर्मचारियों की बाते करते है। मै समझता हूँ कि यह पहला बिजली बोर्ड है जिसने आज मकान बनाने के लिये अपने कर्मचारियों को कर्ज दिये हैं और वे खत्म नहीं होती लेकिन वे इन भाईयो के भड़काने मे नहीं आयेगें क्योंकि वे जानते है कि बोर्ड ने उनको कितनी सहूलियतें दी हैं। तो मै बता रहा था कि हमने किन हालात मे यह काम किया है। मुझे याद है कि बोर्ड के कर्मचारियों ने उन

इलाकों में बिजली पहुंचाई जहां पानी खड़ा था और आने जाने के साधन नहीं थे। वहां पर पानी में खड़े होकर खम्बे गाड़े गए और जहां रास्ते इतने खराब थे कि जाना मुश्किल था और सामान जाना नहीं सकता था वहां ऊंटों और छकड़ों की मदद से खम्बे पहुंचाये गये। उस वक्त पैसे की कमी थी, मुश्किल रास्ते थे और मुश्किल साधन थे लेकिन बावजूद इन कठिनाइयों के यह सारा काम रिकार्ड टाइम में किया गया और हरियाणा का नाम तमाम दुनियां में ऊंचा हुआ। यह देख कर हमारा सिर फख से ऊंचा होता है कि हरियाणा पहली स्टेट है जिसने सौ फिसदी गांवों में बिजली पहुंचा दी है। लेकिन इन भाईयों को कुछ नजर नहीं आता है। यूरोप में भी ऐसे गांव मिलेंगे जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन यह फख हरियाणा को ही हासिल है कि हरेक गांव मिलेगा जहां बिजली चली गई है। आजादी से पहले जब हमारे प्रचारक देहात में जाते थे तो वह गाते थे, “बुढ़ी बैठेगी, चरखा कातेगी और लट्टू जलेगा” तो उस वक्त लोग कहते थे कि यह बहकाने की बात है। ऐसी कभी नहीं हो सकेगा लेकिन हरियाणा की सरकार ने वह काम कर दिखाया है। 1970 से पहले यह भाई जो नुक्ताचीनी करते हैं जब बैठकों में बैठते थे तो वहां पर मिट्टी के तेल का दिया जलता था और आंखों में धुआं और नाक में बदबू आती थी लेकिन अब ये भाई बिजली के लट्टूओं के नीचे बैठकर बैठके करते हैं। देहात वालों ने कभी बिजली का पंखा नहीं देखा था लेकिन अब उनके घरों में पखें चलते हैं, हीटर चलते हैं और फ्रिज लोगो ने ले लिये हैं। बोर्ड ने ऐसे काम करके देहात और शहर में

जो फर्क हुआ करता था उसे खतम कर दिया है क्योंकि जो सहूलियते पहले शहरों में ही मिलती थी और जिसका देहात वाले ख़्वाब भी नहीं ले सकते थे आज देहात में मिल रही हैं लेकिन इन भाईयों को यह सारी नज़र नहीं आती है जो काम हुये हैं और जिनको सारी दूनियां जानती है उन कामों को इन्हें नज़रअन्दाज़ नहीं करना और उनकी तारीफ़ करनी चाहिये। हां कहीं कमी रह गई है उसे सरकार के ध्यान में लाना चाहिये लेकिन इस बे सिर पैर की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिये। आप किसी भी प्रांत में चले जायें हरियाणा का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और वे लोग हरियाणा में जो तरक्की के काम हुये हैं उनकी तारीफ़ करते हैं। अभी बताया गया है कि हमने केवल बिजली ही पहुंचाई नहीं बल्कि और बिजली पैदा करने और उसे पहुंचाने के साधन भी पैदा किये हैं ताकि इसकी कमी न आये। हमारे पास भाखड़ा की बिजली आती है जिससे अब कात नहीं चलता है। इसलिये पानीपत 110 मैगावाट के दो यूनिट्स लगा रहे हैं जो 1977 तक मुकम्मल हो जायेंगे। अगले साल 60 मैगावाट का एक यूनिट फरीदाबाद में मुकम्मल हो जायेगा और 1975 में 60 मैगावाट का एक और यूनिट लग जायेगा। अंदाज़ा है कि 1977 तक तकरीबन 350 मैगावाट बिजली हरियाणा में पैदा होने लगा जायेगी। बिजली की जितनी मांग बढ़ती जा रही है उतने ही साधन भी उसे पैदा करने के किये जा रहे हैं ताकि लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाता रहे और इसकी कमी हरियाणा में न रहे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाईडल पावर को इस्तेमाल करने का जहां हमें मौका मिलेगा हम उसको इस्तेमाल किये बगैर नहीं रहेंगे। वैस्टर्न जमुना कैनल में, ताजे वाला से दादूपुर तक 150-150 फुट के कई फाल आत है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इन फाल्ज का फायदा उठाया जाए और वहां पर 45 मैगावाट के जनरेटर लगायेगे ताकि थोड़ा पैसा लगाकर यहां से जो बिजली पैदा होती है। उसको भी न छोड़ा जाए। थर्मल प्लांट के लिए डिजल जनरेटर सैटस लगाने की कोशिश की जा रही है। ताकि बिजली की कमी पड़े तो उसे इन से पूरा किया जाए। यह बात नहीं है कि बोर्ड ने बिजली का फेलाव ही किया है, साधन नहीं जुटाये हैं। हमारा ब्यास डेम बन रहा है यह मल्टीपरपज स्कीम है और यहां से बिजली मिलेगी, साउथ की स्टेटों से मिलेगी, राणा प्रताप सागर से मिलेगी। जहां से भी हमें बिजली का एक भी युनिट मिलता दिखाई देता है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। जितनी हमारी बिजली की डिमांड बढ़ रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात को क्रिटिसाईज करना कि बिजली पर खर्चा ज्यादा हुआ है इससे कोई बात नहीं बनती, मैं समझता हूँ इस पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए क्योंकि इससे हमारा हौंसला बढ़ता है। रशिया में जब सबसे पहली समजावादी हकूमत हुई थी, उन्होंने एक ही प्लान रखा था कि देश में बिजली का विस्तार किया जाए। इसके सिवाये और कोई प्लान नहीं रखी थी। उसकी पांच साला प्लान सिर्फ बिजली की तरक्की के लिए थी कि बिजली के काम में इजाफा किया जाए। इसके मुकाबले में हने

एक ही साल में, हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी है क्योंकि देश की खुशहाली बिजली पर मुनहस्सर है, इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता चाहे इण्डस्ट्री है चाहे खेतीबाड़ी है और चाहे और दूसरे काम-धंधे हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मजदूरों के बारे में ये कहते हैं कि मजदूरों को काम नहीं मिलता। जब तक बिजली नहीं पहुंची थी तब तक कैसे मजदूरों को काम मिलता? जिन गांवों में बिजली पहुंची है वहां छोटी छोटी दस्तकारी मिलेगी, छोटे छोटे और कई प्रकार के काम धंधे मिलेंगे और काम धंधे मिलने से हरियाणा खुशहाल होगा। स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि ऐफिशिएंसी के हिसाब से डिवलपमेंट के कामों के हिसाब से देखा जाए तो बिजली बोर्ड ने सराहनीय तरक्की ही है। हमारे यहां दूसरी स्टेटों में होता है हरियाणा में उनसे कम है। और रिटर्न ज्यादा है। जहां ऐफिशिएंसी हो लौसिज भी कम हो गए हैं। मैंने ओर स्टेटों में देखा है। जिनमें लोसिज दूसरी स्टेटों में होते हैं हरियाणा में उनसे कम है। और रिटर्न ज्यादा है। जहां ऐफिशिएंसी हो, लौसिज कम हो और रिटर्न ज्यादा हों, हर एक गांव में बिजली गई हों, इतने बड़े बड़े काम हुए हों वहां मैं समझता हूँ हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तमाम दुनियां में बधाई का पात्र है। इसको तमाम दुनियां की सराहना हासिल है। प्रत्येक नागरिक सरहाता है। लेकिन हमारे भाई नट-नटी वाली बात करते हैं कि “मैं न मानूँ” इन्होंने सही बात को मानना नहीं है नुकताचीनी करके बड़ा तुफान मचाते हैं कि यह हो गया, वह हो गया। जो तुफान ये मचाते हैं। अब जतना

इसकी बात का सुनती ही नहीं और गवर्नमेंट द्वारा किया गये कामों का सरहाती हैं और कहती है कि कितना बड़ा काम कर के दिखा दिया। ये बाहर नहीं हाउस में ही अपने दिल के गुबार निकालते है। जब जनता से बात करते है। तो वह कहती है कि हम मौज में हैं, आपको धोखा लगा होगा, जतना इस तरक्की का सराहती है। मैं बिजली बोर्ड और हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि जितना काम हरियाणा में हुआ है उस में सब से अहम पार्ट हरियाणा बिजली बोर्ड ने अदा किया है।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट और है जिस पर डिस्कशन होनी है

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं बोलना चाहता हूं .
... .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब साहिबान से प्रार्थना है कि तशरीफ रखें। चट्ठा साहब बोलेगे। (व्यवधान)

सिचाई एवं बिजली राज्य मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड

श्री जगजीत सिंह टिक्का: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। जो मूवर है उनको बोलने का हक पहले होता है इसलियें हमारो बोलने का हक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब खड़े हो गये हैं। इनके बोलने के बाद एक और रिपोर्ट डिस्कस होनी है। आप तशरीफ रखिए। (व्यवधान)

चौधरी चांद राम: आप मुझे इजाजत दे, आप नम्बर के हिसाब से बोलने दे.

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। चट्ठा साहब आप बोलिए।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के एनुवल फाईनैशियल स्टेटमेंट और फोर्थ एनुवल स्टेटमेंट आफ अकाउंटस पर चर्चा चल रही है। कुछ विरोधी भाई इस पर बोले हैं और इस के साथ ही साथ कुछ कांग्रेसी भाई भी इस पर बोले हैं। जिनकी तरफ से हैल्दी और ठीक क्रिटिसीजम भी हुआ है। जिसको मैं तसलीम करूंगा। इसके साथ ही साथ कुछ भाईयों ने बहुत सी बातें ऐसी की जो बिल्कुल गलत हैं और गलत बातें हाउस में कहना कोई अच्छी बात नहीं हैं। श्री राम लाल जी ने कई बातें कही हैं। इन एक को ही लेकर मैं डील करूंगा क्योंकि अपोजीशन की तरफ से मेन-स्पीकर यही रहे हैं। इन्होंने यह बात कही कि एग्रीकल्चरिस्ट को और इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को पूरी पावर नहीं मिलती, पूरी बिजली नहीं मिलती, कनैक्शन ठीक ढंग से नहीं मिलते जिस की वजह से जमींदार और बिजनैसमैन तंग हैं। बड़ी मुश्किल में हैं। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत इन्हे

अर्ज कर दूं कि जब हरियाणा बना था तो उस वक्त कुछ देर इनकी हकूमत आई थी। “नो महीने से एक महीन कम” का मतलब क्या होता है, मुझे तो इसका पता नहीं लेकिन कुछ देर इनकी हकूमत रही (हंसी)

चौधरी रामलाल वधवा: आप जवाब क्या देंगे जब आपको इसका पता नहीं है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जो आकंड़े मेरे पास हैं ये उस समय के हैं जब इनकी हकूमत थी। उस वक्त 132 के.वी. की 205 किलोमीटर लम्बी लाईने थी और जिस दिन ये कुर्सी छोड़ कर गए उस दिन भी उतनी की उतनी ही थी, एक इंच भी इलैक्ट्रिसिटी की लाईन लम्बी नहीं की। इलैक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। मैं पूछता हूं ये आठ महीने क्या करते रहे?

श्री ओम प्रकाश गर्ग: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि “ कुर्सी छोड़ कर गये थे” असल में कुर्सी छोड़ कर नहीं गये थे, कुर्सी छुडवाई गई थी। (हंसी)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: आज ये लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को पूरी बिजली नहीं मिलती, इन्होंने कभी खेती नहीं की है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उन में से हूँ जिन्होंने अपने हाथ से हल चलाया है, खेती की है और इन से

कई गुणा खेती का तजुर्बा है। इनकी बसे उस रूट पर चलती थी जिस पर मेरा गांव है। ये को-आप्रेटिव यूनियन के सैक्रेटरी थे। जब मुलाजमों को नोकरी दिया करते थे तो पहली बात यह देखते थे कि किसी दूसरे का हक नहीं था और आज ये मजदूरों के हमदर्द बने बैठे हैं। ये उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाते हैं।
...

चौधरी रामलाल वधवा: ये गलत ब्यानी कर रहे हैं। इनकी वर्डिंग ऐक्सपंज होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। (शोर)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इन्होंने बिजली बोर्ड के ऐम्पलाईज की स्ट्राइक की बाबत आरगुमेंट दी है और ये मजदूरों के हमदर्द बनते फिरते हैं। (व्यवधान) जब ये यूनियन के सैक्रेटरी थे तो उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाते थे।

चौधरी रामलाल वधवा: यह * * * * *
* * है

श्री जगजीत सिंह टिक्का: यह * * * * *
* * शब्द पार्लियामेंटरी है या अनपार्लियामेंटरी है। इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह अनपार्लियामेंटरी है।

चौधरी रामलाल वधवा: इन्होंने कोरे कागज पर दस्तखत करने की बात कही है।(व्यवधान) इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बिल्कुल बेसलैस बात कर रहे हैं। इस बात का ये कोई प्रमाण पेश करें।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी राम लाल जी, हम किस-किस का प्रणाम पेश करें। हम हर एक आदमी से तों प्रणाम नहीं मांग सकते(व्यवधान)। मैने मिनिस्टर साहब से कहा है कि वे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बोले

चौधरी रामलाल वधवा: ये बिजली बोर्ड पर नहीं बोल रहे हैं।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, आज ये उन मजदूरों के हमदर्द बने फिरते जिन्हे अपने समय में नौकरी से निकाला था। वे सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाते रहे लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दी। (विघ्न)

स्पीकर साहब, पीछे जैसे हमारे जो स्ट्राइक हुई उसका भी इन्होंने जिक्र किया। इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जितनी फेसिलिटीज हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने एम्पलायज को दी है उतनी हिन्दूस्तान के किसी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नहीं दे रखी है। स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो मजदूर काम करते हुए मर जाता है उसको पांच हजार से लेकर दस हजार रूपए तक इमीजिएटली

दिए जाते हैं। उसकी फेमिली का फ्री मैडिकल एड दी जाती है। उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री ऐजुकेशन दी जाती है। उसकी फेमिली का गवर्नमेंट हाउस के बाहर महीने तक और उसके बाद भी रहने दिया जाता है और इन सब चीजों के अलावा उसके एक या एक से अधिक फेमिली मैम्बर को नोकरी भी दी जाती हैं। तो स्पीकर साहब, इस तरह की फेसिलिटीज हिन्दुस्तान के किसी भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्पलाईज का नहीं मिली हुई है।

स्पीकर साहब, फिर इन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्पलाईज इसलिए हड़ताल करते हैं क्योंकि उनकी जायज मांगों को बिजली बोर्ड नहीं मानता है। स्पीकर साहब, यह हड़ताल 35 दिन तक रही। हड़ताल कराने वाले, स्पीकर साहब, कौन है यह मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि इसका इनका पता ही है। स्पीकर साहब, सात मई को हड़ताल खुली यूनियन के मैम्बर ने तसलीम किया कि जो हक हम आपसे मांगते थे वे आप पहले ही दे चुके थे। आज ये बात करते हैं कि उन्होंने पैम्फलेट निकाला है और इशतिहार में जो बातें हैं वे सही नहीं हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा आठ तारीख की मीटिंग में यूनियन के मैम्बर ने खुद माना है कि जो वे मांगते थे वह बोर्ड पहले दे चुका है।

एक बात, स्पीकर साहब, चौधरी मेहरचन्द जी ने कही। उसका जहां तक ताल्लूक है उसके बारे में मेरी अर्ज है कि मैडिकल अलाउन्स उसको कैसे दे जो बिल्कूल ठीक ठाक हैं। मैडिकल एड उसको मिलेगी जो बीमार होगा। यह तो नहीं हो सकता कि ठीक

को भी उतने ही पैसे मिले जितने बीमार को मिले। यह कहां का इन्साफ है? इनकी ऐसी नाजायज मांगें हम बिल्कूल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पोलिटिकल पार्टीज की इमदाद से की गई मांगें न कोई गवर्नमेंट मानेगी और न बोर्ड उन बातों से सहमत होगा।

स्पीकर साहब, बोर्ड के ऐम्पलाईज की एक मांग है कि सीनियर टेक्निकल ओफिसर्स के बराबर उनको प्रमोशन दी जाए। भला यह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो एक लाईनमैन के ऊपर उठ, क्वालिफिकेशन उसकी उतनी न हो, उसको चीफ इंजीनियर तक की प्रमोशन कैसे दी जाए? यह डिमाण्ड कौन सा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड मान लेगा? कौन सी सरकार मांग को ठीक समझेगी? हम ऐसी मांग मानने वाले नहीं हैं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऐम्पलाईज हमारे भाई हैं। उनकी जायज मांगों से हमारी हमदर्दी है लेकिन उनकी गलत मांगें मानने के लिए हम बिल्कूल तैयार नहीं हैं।

स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल जी ने एग्रीकल्चरिस्ट्स की बात भी की। पिछली दफा बिजली का संकट था। बिजली कम थी क्योंकि भाखड़ा में पानी कम था और उसकी वजह से बिजली की जनरेशन कम हुई। उस वक्त भी दिल्ली पूरी थी, एक ट्यूबवैल रोज 6 घंटे की एवरेज से ज्यादा नहीं चला। पिछले साल भी हमारी एवरोज इससे कम नहीं हुई। पिछले साल हमने जमींदारों का एवरेज पानी 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक दिया। फिर से बात करते हैं कि हमने जमींदारों का पूरा आराम नहीं दिया।

स्पीकर साहब, 1947 में हमारे पास 2,190 ट्यूबवैल थे जबकि अब 31 अक्टूबर, 1973 को 1,21,524 ट्यूबवैल है। अब भी जैसे मुख्य मंत्री जी, ने परसों बताया, जमींदारों के ट्यूबवैल को हम ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की कोशिश करेंगे और देते रहेंगे।

इसके साथ ही स्पीकर साहब, एक बात और है। हमारे बिजली बोर्ड ने जहां सारे हरियाणा में बिजली देकर, सारे गांव में बिजली देकर हिन्दुस्तान में फर्स्ट स्टैंड किया है। वहां दूसरी तरफ ऐमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अन्दर भी हमारा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हिन्दुस्तान में फर्स्ट रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सारे सूबों को पैसा मिला था कि आपने इतने ट्यूबवैलज फलां डेट तक लगाने हैं। इसने चार करोड़ रूपया मिथी (फिक्सड) समय के अन्दर अन्दर ट्यूबवैल बनाकर खत्म किया और उनको कुनवेशंज भी दिए। यह भी इसने एक पहल की है।

इसके अतिरिक्त, स्पीकर साहब, हमारा बिजली बोर्ड हिन्दुस्तान में पहला बिजली बोर्ड है जिसने 45 परसेन्ट लोड एग्रीकल्चरिस्टस को दिया है। कहीं भी एग्रीकल्चरिस्टस को इतना लोड नहीं दिया गया है, इतनी बिजली नहीं दी गई जितनी हमारे हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दी है।

चौधरी राम लाल जी ने स्पीकर साहब, इण्डस्ट्रीज की बात भी की थी। जहां तक इण्डस्ट्रीज को बिजली देने का सम्बन्ध है उसकी पोजीशन स्पीकर साहब, यह है कि 1970-71 में

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज 15,329 थी जबकि 1972-73 में 1,904 हो गई है। लार्ज इण्डस्ट्रीज 1970-71 में 317 थी मगर अब 444 हो गई है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इण्डस्ट्रीज की इलैक्ट्रिसिटी या गवर्नमेंट परवाह नहीं करती।

स्पीकर साहब, एक दो बातें इन्होंने और कही। एक तो यह कहा कि इलैक्ट्रिसिटी की जैनरेशन नहीं की। यह बात ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बहुत सारा कर्जा ले लिया। स्पीकर साहब, हमारा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक गांव को बिजली देने के लिए तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक लगाता है। हमने कितने हजार गांव में बिजली दी है। इसका हर आनरेबल मैम्बर काक पता है। हरा आदमी का पता है क्योंकि हर अखबार में यह बात आई है। इसी तरह से स्पीकर साहब, एक ट्यूबवैल को बिजली देने में तीन हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक खर्चा आता है। अब ये अन्दाजा लगाए कि कितने करोड़ रुपये बनता है। बिजली बोर्ड के पास मोहरे तो नहीं है कि वे नोटों पर लगा करके रुपया निकाल लेंगे। रुपया तो इसको चाहिए ही। फिर भी, हिन्दूस्तान में यह पहला बिजली बोर्ड है जिसने जैनरेशन पर खुद खर्च किया है। जितनी जनरेशन हो रही है उस पर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खुद अपना पैसा खर्च कर रहा है। स्पीकर साहब, इनके लिए क्रिटिसिज्म में भी कोई वजन नहीं था। क्योंकि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए ट्यूबवैल को बिजली देने के लिए इण्डस्ट्रीज को बिजली देने के लिए कई करोड़ रुपया लगेगा ही।

इसमे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बिजली बोर्ड ने जितना कर्जा लिया है हम उसको रि-पे की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने स्टेट में इतनी डिवलपमेंट कर दी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम तो सूबे में डिवलपमेंट चाहते हैं पैसा भले ही कितना खर्च हों। फिर इस पैसे को स्पीकर साहब, बैंक्स से लेते हैं और उनके हिसाब किताब के मुताबिक ही देते हैं। जिनका पैसा लिया है वह हम दे रहे हैं।

स्पीकर साहब, रौंग बिलिंग की भी यहा बात आई। यह बात दूरुस्त है कि कही कही रौंग बिलिंग हो जाती है लेकिन हमारे अफसर उसको ठीक भी करते हैं। जहां तक मीटर्ज की बात है, उनको टैस्ट करने के लिए लेबोरेटरी का प्रबन्ध किया गया है। अगर जमींदारों से कही ज्यादा पैसे लिए जाए तो उनको वापिस किए जाते हैं।

एक बात, स्पीकर साहब, बाबू गुलाब सिंह जैन जी ने एक एस.डी.ओ. की बाबत कहा। वह बहुत बुरी बात है। उसकी इन्क्वायरी कल ही इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिजिलेंस विंग को मार्क हो गई है। उसके ऊपर जल्दी से जल्दी ठीक ढंग से ऐक्शन लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी कि गलत बात यदि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के नोटिस में आ जाए तो वह उस पर कोई ऐक्शन न ले। उस पर ऐक्शन लेकर के उसे सही किया जाएगा।

स्पीकर साहब, अंत में मैं इलैक्ट्रिसिटी जैरनेशन के बारे में अर्ज करूंगा। इसके बारे में कई दफा यहां सवाल आ चुके हैं और उनका जवाब भी दिया गया है। हरियाणा में बिजली जनरेशन के बारे में थर्मल प्लांट फरीदाबाद और थर्मल प्लांट पानीपत के मुताल्लिक जिक्र आ चुका है। हम वैस्ट्रन हाईड्रो प्रोजैक्ट, ब्यास प्रोजैक्ट, बदरपुर प्रोजैक्ट और राणा प्रताप प्रोजैक्ट ये और दूसरी जगहों से भी बिजली प्राप्त करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ हरियाणा में नहीं है जहां पर फाल हो और इनडिपेन्डन्टली बिजली बन सके। इन शब्दों के साथ मैं बिजली बन सके। इन शब्दों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि हमने जो थर्मल प्लांट फरीदाबाद में लगाया है। उसके लिए 800 टन कोयला और पानीपत के लिए 1500 टन कोयले को पहले ही प्रबन्ध कर लिया है इस चीज का क्रेडिट हमारे बिजली बोर्ड को जाता है। हमारे बिजली बोर्ड की है। इन शब्दों से साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो गलत क्रिटिसिज्म है वह गलत ही है। हमारे बिजली बोर्ड के बराबर हिन्दूस्तान को किसी बिजली बोर्ड के काम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: इससे पहले कि मैं चौधरी राम लाल जी को कहूं कि वे हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन की रिपोर्ट के बारे में अपनी मोशन प्रस्तुत करें मैं आदेश देता हूँ कि चौधरी राम लाल जी ने हमारे विधान सभा के * * * * * के बारे

मे जो एसपर्शन किया था वे शब्द सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये जाए।

हरियाणा वित्त-निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों पर चर्चा

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir I beg to move—

That the Annual Report and account of the Haryana Financial Corporation for the year 1972-73 be discussed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा वित्त निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों पर चर्चा की जाए।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने सारी रिपोर्ट का पढ़ा है। कोई विशेष बात इसमें नहीं है। जिस पर खास तौर से जिक्र करने की आवश्यकता हों। पिछली रिपोर्ट भी हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन की पेश हुई थी। मैंने उस रिपोर्ट पर भी बोलते हुए कहा था कि हरियाणा फाईनैन्शियल कार्पोरेशन का काम अप-टू-मार्क तो नहीं लेकिन उत्साहजनक जरूर है।(विघ्न)

स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट पर लम्बी चोड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसमें कुछ प्वायंट है जिनको मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ और कार्पोरेशन भी इस

ओर ध्यान देगी। एक तो यह है कि जो लोन सैक्शनड हुए थे उनकी फिगरज इस रिपोर्ट के पेज नम्बर नौ पर हायी लाईट्स आफ आपरेशन के अन्दर दिये गये है। इसमे सन् 1971-72 तथा 1972-73 की फिगरज का आपस मे मिलान किया गया है। उसके अनुसार जो लोन सैक्शनड हुआ है वह सन् 1971-72 मे 384 यूनिटस का 4,37,49,600 रूपये हुआ है। इसके अगेन्सट सन् 1972-73 मे 303 यूनिटस को सैक्शनड हुआ है इन यूनिटस की तादाद कम हो गयी है। 303 यूनिटस को कुल अमाउन्ट 4,56,12,200 रूपया सैक्शनड हुआ है मगर जो नैट अमाउन्ट सन् 1972-73 मे सैक्शन हुआ है वह कम है। मुझे यह समझ नहीं आता कि यह फिगरज का टकराव कैसे हुआ है। इसमें जो ग्रास अमाउन्ट सन् 1972-73 मे 4,56,12,200 रूपये दिया और नैट 3,69,58,300 दिया हुआ है। इसमे डिफ्रैन्स क्यों है? ग्रास और नैट से क्या मुराद है? इनकी व्याख्या इसमे नहीं दी गयी है लेकिन बात यह है कि इस रिपोर्ट मे जहां सैक्शनड ग्रास और नैट दिया है। वहा डिस्टर्स्ट भी दिया हुआ है। इस सैक्शनड को देने का इस रिपोर्ट मे क्या फायदा है जब पूरी तरह से लोन नहीं दिया गया तो यहां पर केवल डिस्टर्स्ट ही देना चाहिए था। खाली करकरदगी बढ़ाने का क्या फायदा है? जितना लोन दिया है वही लिखना तो ठीक था।

सन् 1971-72 मे 384 यूनिटस को लोन सैक्शन हुआ लेकिन 124 यूनिटस को कर्जा दिया गया। इसी प्रकार सन्

1972-73 में 303 यूनिट्स को कर्जा सेक्शन्ड हुआ और 185 यूनिट्स को दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रगति की रफ्तार तेज नहीं है बल्कि कम है। इसी प्रकार से हमारी स्टेट बड़ी है जो दो ही बातों पर निर्भर करती हैं एक खेती पर और दूसरे इण्डस्ट्रीज पर। इण्डस्ट्रीज में ज्यादा डिवलपमेंट करने के लिए फाईनैन्शियल कार्पोरेशन को और ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए।

स्पीकर साहब, इसी पेज की जो आइटम नम्बर 6 है उसके अन्दर दिया है—

“Loans disbursed by the erstwhile Punjab Financial Corporation since its inception upto 31st March, 1967, in the areas now comprising Haryana.” इसके आगे दिया गया है सन् 1971-72 में 190 यूनिट्स को 5 करोड़ 33 लाख 13 हजार 150 रुपया सेक्शन्ड हुआ और सन् 1972-73 में 190 यूनिट्स को 5 करोड़ 33 लाख 13 हजार 150 रुपया सेक्शन्ड हुआ। Loans Disbursed since inception of Haryana financial Corporation i.e. 1967-68 to the end of the year. और इसमें आगे दिया गया है सन् 1972-73 में 416 यूनिट्स को 9,26,64,983 रुपया दिया गया। यह ठीक है कि वह पंजाब के वक्त दिया गा होगा लेकिन आज का मुकाबला करने को कोई कारण नहीं बनता। आज हरियाणा में जो लोन दिया जाता है वह हरियाणा के एरिया के लिए दिया जाता है उसक वक्त हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। हमारे साथ स्टैप मदरली यानी सौतेली मां जैसा व्यवहार रहा था। इसी लिए

हरियाणा के लोगो ने हरियाणा बनाने की मांग की थी। इसी कारण से हरियाणा बना। इसलिए यहा पर उन फिगरज को कोट करने का कोई ताल्लूक नही बनता। लेकिन जहां तक हरियाणा के 6-7 साल का ताल्लूक है। उसके अन्दर जितनी यूनिटस को कज्र दिया गया है उसकी अपेक्षा प्रगति की रफतार कम ही लगती है। फाईनन्शियल कार्पोरेशन भी इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ ही पेज 11 पर दिया गया है—

“Review of Operations during the year; position of applications” इसके आगे लिखा है—

“During the year under review, the Corporation received 393 applications for grant of loans totaling Rs. 7,22,96,180 as against 515 applications totaling Rs.7,30,30,640 received during the previous year. The applications received covered a variety of industries such as

पेज 13 पर लिखा है—

“The above mentioned statement reveals that during the year under review there was a slight decrease in the number of application, although the amount of loan applied for was almost the same as during previous”.

इन्होने यह माना है कि लोन लेने के लिये एप्लाकेशनज की रफतार कम रही है लेकिन इसका कारण नही बताया कि रफतार क्यों कम रही जब कि पिछले साल मे एप्लीकेशनज ज्यादा आयी

है। जब इण्डस्ट्रीज आगे डिवैल्प कर रही है तब इस फील्ड के अन्दर ऐप्लीकेशनज कम क्यो आती है आखिर इसका कोई तो कारण होगा?

श्री हरि सिंह: प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट मे लिखा हुआ है। कि ऐप्लीकेशनज कम क्यो आयी—

“The decline in the inflow of applications was mainly in respect of transport loans and this was owing to the scarce availability of chassis.”

The reason has been given here.

श्री अध्यक्ष: इसका तो मिनिस्टर साहब जवाब दे देगें।

चौधरी राम दास वधवा: जहां तक इण्डस्ट्री लगाने के बारे मे ऐप्लीकेशन का ताल्लूक है, फाईनैशियल कार्पोरेशन को इसके कारणों की खोज करनी चाहिए कि कमी क्यो हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा फाईनैशियल कार्पोरेशन से लोन लेकर फायदा उठा सके। इस रिपोर्ट के उसी पेज पर अगले पैरे मे यह लिखा है—

“During the year under review, the response from the small scale units was very encouraging. The Corporation received 217 loans application for Rs. 4,30,51,700 form the small scale units as against 153 for Rs. 6,67,93,790 received during the previous year. There was also an increase in the number of loan applications received form the units other than small scale... ..”

अदरदैन स्माल स्केल के लिये रपत ऱर भले ही बढी हो लेकिन स्माल स्केल यूनिटस के लिए घटी है जोकि इण्डस्ट्रीज का एक आधार है। लार्ज स्केल यूनिटस तो बहुत कम लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर लगाने वाले को अपने तरफ से भी बहुत सा रूपया लगाने की जरूरत होती है इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि स्माल स्केल यूनिटस जो है, वह ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिये और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इसके लिये फाईनैशियल कार्पोरेशन का उन कारणों की खोज करनी चाहिये जिनकी वजह से ऐप्लीकेशन कम आयी है ताकि स्माल स्केल के जो यूनिटस हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उटा सके।

श्री अध्यक्ष: चौधरी राम लाल जी, समय का ध्यान रखें। कई दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। स्माल स्केल यूनिटस के लिए कर्जा लेने के बारे में जो एक कारण या एक बात हो सकती है जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो वह शायद यह हो सकती है कि फाईनैशियल कार्पोरेशन का जो प्रोसीजर लोन लेने के लिये बना हो वह इतना सख्त हो कि स्माल स्केल यूनिटस के लिये जो लोग आना चाहते हों, वह पूरा नह कर सकते हों। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि फाईनैशियल कार्पोरेशन के रूलज बगैरा को देखकर यह पड़ताल करे कि कहीं यही कारण तो नहीं है ताकि अगर उनके अन्दर किसी प्रकार की मुश्किल पेश आती हो

तो उस के अन्दर आसानी पैदा की जा सके जिससे कि स्माल स्केल यूनिट्स लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।

श्री अध्यक्ष: चौधरी राम लाल जी, समय का ध्यान रखें। कई दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। स्माल स्केल यूनिट्स के लिए कर्जा लेने के बारे में जो एक कारण या एक बात हो सकती है जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो वह शायद यह हो सकती है कि फाइनेंशियल कार्पोरेशन का जो प्रोसीजर लोन लेने के लिए बना हो वह इतना सख्त हो कि स्माल स्केल यूनिट्स के लिए जो लोग आना चाहते हों, वह पूरा न कर सकते हो। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि फाइनेंशियल कार्पोरेशन के रूलज बगैरा को देखकर यह पड़ताल करें कि कहीं यही कारण तो नहीं है ताकि अगर उनके अन्दर किसी प्रकार की मुश्किल पेश आती हो तो उसके अन्दर आसानी पैदा की जा सके जिससे कि स्माल स्केल यूनिट्स लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोग लोन तो उसी हालत में लेने आयेंगे जबकि किसी इंडस्ट्री को लगाने के बाद, वह उस इंडस्ट्री में सफल हो सके। किसी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए उसको रा-मैटीरियल की जरूरत होती है। फाइनेंशियल कार्पोरेशन, यह ठीक है कि लोन देती है लेकिन मैं फाइनेंशियल कार्पोरेशन का जो बोर्ड है उससे कहूंगा कि वह एक सैल कायम करें ताकि जो

लार्ज स्केल या स्माल स्केल यूनिट्स के लिए लोन लेने के लिए आते हैं, जिनकी ऐप्लीकेशनज आती हैं या जिनका लोन सैंक्शन हो जाता है, अगर उनको किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह आवश्यकता पूरी हो सके। इंडस्ट्री जो लगायी जा रही है, उसकी डिटेल में जा करके, डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज वगैरा, और दूसरी जो उसके साथ लगती हुई संस्थायें हैं, इंस्टीच्यूशनज हैं, उनके साथ तालमेल रख करके, उस इंडस्ट्री को कामयाब करा सकें। इस रिपोर्ट के अन्दर पेज 24 पर इर-रैगुलर ऐकाउन्टस के हैडिंग के नीचे जो लिखा हुआ है, उसको इन डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता। उसके अन्दर एक बात तो यह है कि 14 केसिज जो 67.81 लाख रूपये के हैं, उनको कोर्ट के अन्दर डिस्प्यूट पेंडिंग है, चल रहा है। कर्जियों की डिग्री हुई पड़ी हैं, वसूली नहीं हुई। स्पीकर साहब, इस चीज का कारण यही हो सकता है कि फाईनैशियल कार्पोरेशन से जिन लोगों ने कर्जा लेकर काम किया है, उन लोगों को कर्जा लेने के बाद प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आयी है। मैंने डिटेल के साथ इस बारे में ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए जिकर किया था। मैं उसको अब दोहराना नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि फाईनैशियल कार्पोरेशन लोन देते वक्त इस बात की तसल्ली कर ले कि जो इंडस्ट्री लगनी है, वह पनपेगी और उसका रूपया सेफ है। यह ठीक तरह से वापस आना चाहिए। उन्हें ठीक समय पर रा-मैटीरियल मिलना चाहिए। इतनी ही बात मैं बोर्ड से कहना चाहता था। बाकी मैं फाईनैशियल कार्पोरेशन ने जो काम किया है, उसकी एक बार फिर प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हरियाणा फाईनैशियल कार्पोरेशन की रिपोर्ट जोकि 1972-73 से सम्बन्धित है, के बारे में मैं केवल दो-तीन बातें ही अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो यह कि फाईनैशियल कार्पोरेशन की रिपोर्ट के पेज 15 पर लिखा है: डिस्ट्रिक्टवाइज, क्लासिफिकेशन आफ लोनज। इसमें अम्बाला से 17, भिवानी से 9, गुड़गावों से 42, हिसार से 29, जीन्द से 4, करनाल से 14, कुरुक्षेत्र से 17, महेन्द्रगढ़ से 3, रोहतक से 10 और सोनीपत से 6 एप्लीकेशन को लोन सैक्शन किये गये हैं। 31 मार्च, 1973 तक इनको लोन दिये गये हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फाईनैशियल कार्पोरेशन के पास जो लोगों को लोन देने के लिए पैसा है और जो एप्लीकेशन कम आती है, इसका साफ मतलब यह है कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है वह इन्सैंटिव नहीं देता जिसकी बिना पर लोग इण्डस्ट्रीयलाईजेशन की ओर बढ़े इसलिए उनके दिमाग के इण्डस्ट्रीयलाईजेशन की बात नहीं आती। जब तक हमारे पास जमीन के अलावा रूरल एरियाज में रोजगार के दूसरे साधन नहीं होंगे तब तक देश से बेराजगारी भी दूर नहीं होगी और लोगों की शक्ति भी नहीं बढ़ेगी, जो पैदावार करने की है और उन्हें फिर साधन भी नहीं मिलेंगे। इसलिये मेरी गुजारिश, मिनिस्टर साहब से यह है कि हरियाणा फाईनैशियल कार्पोरेशन जहाँ लोन देती है, उसकी डिस्बर्समेंट भी ठीक हो, स्माल स्केल यूनिट्स के लिये एप्लीकेशन में कमी के कारण क्या है, इस के लिये एक स्टडी सरकल या स्टडी ग्रुप बनाया जाये ताकि वे अफसर जो डिस्ट्रिक्ट

हैडक्वार्टर्ज पर बैठे हुए हे। वे कम से कम देहातों मे जाकर यह बताये कि यह स्माल स्केल यूनिट लगाकर देखो, इसमे बहुत फायदार हो सकता है। इससे बहुत जल्दी पैसा मिलेगा। जब ऐसा करने से पैदावार बढेगी तो उसके साथ ही लोगो को ऐम्पलायमेंट भी मिलेगी। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का प्रबन्ध हो और जो फाईनैशियल कार्पोरेशन के डायरेक्टर साहब यहां बैठे है, वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से एक क्वार्टरली या मन्थली रिपोर्ट मांग लें। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जो लोग बैठे हुए है, जो लोग रूरल एरियाज मे है, वे लोगो को बताये कि फायनैशियल कार्पोरेशन से लोन लेकर छोटे उद्योग धन्धे शुरू करने से फायदा क्या है? लोग चाहते है कि इस तरह का काम शुरू किया जाये। लेकिन लोगो को पता ही नही लगता कि कोई ऐसी कार्पोरेशन भी है जिससे लोन मिल सकता है और जिससे छोटे उद्योग धन्धों से वे पैदावार के साधन बढा सकते हे। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि यहां फाईनैशियल कार्पोरेशन से लोन लेने के लिये जो एप्लीकैंटस आते है, उनको लोन मिल जाता हैं वहां निचे के स्तर पर भी इस चीज का इन्तजाम होना चाहियें ताकि लोगों को इसका पता लग सके।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात हो आज अन-यूजअल है कि गवर्नमेंट की एक अन्डरटेकिंग को हमारे जनसंघ के भाई ने बड़ा एप्रीशियेट किया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। (विघ्न) इसका मतलब यह है कि

इसको बड़े गौर से देखा गया मगर इसमें लूप-होलज मिलने की कोई गुंजाईश थी नहीं। हां, उसके बेटेज करना चाहिये था।(विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवा: चूंकि मैंने प्रशंसा कर दी इसलिए उसको भी ये क्रिटीसाईज करने लगे।(हंसी)

श्री राम सरन चन्द मित्तल: प्रशंसा फेस वैल्यू पर लेता हूं और चूंकि इन्होंने इस काम के अन्दर अच्छाई देखी है, ईश्वर इनको शक्ति दे कि ये इसी लाईट में हमारे और कामों को देखे(व्यवधान)। स्पीकर साहब, यह जो फाईनैशियल कार्पोरेशन है यह प्योरली स्टेट अन्डर टेकिंग नहीं है यह सैन्ट्रल एक्ट के तहत के तहत कायम है और इस रिपोर्ट के अन्दर इसकी वर्किंग, कम्पोजीशन, कांस्टीट्यूशन वगैरह हर चीज मिलेगी। आप पेज सात पर देखें इसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया, इण्डस्ट्रियल बैंक, शिडयूल्ड बैंक, कार्पोरेटिव बैंक, करीब-करीब सब से रिप्रजेन्टेटिव्स इसमें है। इसके मतलब यह है कि यह महज हरियाणा की तरफ से ही हो ऐसी बात नहीं है। इसका जो वर्क है उसका प्रोजेसर फिक्सड है और वह सैन्ट्रल एक्ट के तहत, सैन्ट्रल गवर्नमेंट की विशिज के मुताबिक काम होता है। इसको गवर्नमेंट डिस्करिज नहीं करती बल्कि अन्करिज करती हैं, सहूलियतें देती है। एक बात और कही गई कि हर जगह इसका सैल होना चाहिए इसके लिए इण्डस्ट्री का डायरेक्टोरेट हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और दूसरी जगह सैमीनार करता है और इसक बात के लिए ऐनकरेज करता है कि इण्डस्ट्रियलिस्ट्स जो सहूलियतें चाहे वह उन्हें दी

जाएगी। जहाँ तक फाईनेन्सल कार्पोरेशन का ताल्लूक है आप देखेंगे कि इसकी कैपिटल शुरू में एक करोड़ थी, उसमें पचास लाख रूपया और बढ़ाया जिसमें सै पच्चीस लाख रूपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और पच्चीस लाख रूपया और मिलना है। आप पेज 9 के आइटम 7 पर देखें लोन्ज आउडस्टैंडिंग एट दी एण्ड आफ दी ईयर 9,93,94,983 है। अब आप ही बताईए कि जिसकी कैपिटल डेढ करोड़ की हो और ग्रास इन्कम फार दी ईयर देखे वह है 83,85,992 और नैट प्राफिट सबजैक्ट टू टेक्सैशन 27,22,835 हैं रिजर्वज एट दी एण्ड आफ दी ईयर 53,17,880 रूपए हैं। इन्ही फिगर से आप इनकी साउन्ड पोजीशन और साउन्ड वर्किंग का अन्दाजा लगा सकते हैं। अग एक तरफ तो कहा जाता है कि लिटिगेशन न हो, डिफालकेशन न हो और दूसरी तरफ कहा जाता है कि एप्लीकेशंज और इन्वाइट की जानी चाहिए, कम क्यो आती हैं। मैं अपने दोस्तो को बताना चाहता हूं कि रूपए पैसे का जो मामला होता है वह काफी सोच विचार कर, एग्जामिन करके निपटाया जाता है, जो पेपर्ज आते हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है। जो कर्जा मांगते हैं उनकी पोजीशन देखी जाती है कि वह साउन्ड है या नहीं। इतनी माईनूट चैकिंग होते हुए भी आप यह देखेंगे कि कई लोगो ने डिफाल्ट किया है। लिटिगेशन वगैरह का अवाएड करने के लिए पहले ही देखा जाता है कि जो एप्लीकेंटस हैं उनकी पोजीशन साउंड है या नहीं है, जो काम वह करना चाहते हैं वह प्राफिटेबल है या नहीं, वर्कबल है, या नहीं। क्योकि पेसा बेकार नहीं जाना चाहिए। जो फिगरज पेज 9 पर दी

गई है। वह शायद मैम्बर साहब, को समझने में गलती हुई। 1971-72 में 384 यूनिट्स को लोन सैक्शन किया गया और 1972-73 में 303 यूनिट्स को लोन सैक्शन किया गया। मैं उनको इन फिगरज के बारे में के बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यह कहा गया कि ट्रांसपोर्ट आपरेटर्ज की एप्लीकेशन कम आई। इसके बारे में मैं बताऊ कि ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज नहीं है तो बढ़ती ही चली जाए। जब लोग यह देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट की कमी दूर हो गई है तो लोग कम एप्लाइ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए तो आप देखेंगे कि कार्पोरेशन ने खूब अनकरेज किया है इसमें साफ लिखा है कि इण्डस्ट्रीज को स्मालप इण्डस्ट्रीज को इस कार्पोरेशन ने खूब अनकरेज किया है। पेज 9 की पहली आइटम पर आप देखें कि उन यूनिट्स को 1971-72 में और 1972-73 में जितना लोन सैक्शन किया गया है उसकी कोरसपोडिंग फिगरज भी दी हुई है। इसके नीचे आइटम दो में नेट सैक्शन ड्यूरिंग दी ईयर की फिगरज दी हुई है। इस रिपोर्ट में बड़ी माइनुटली इन्फरमेशन दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वार्डज, इण्डस्ट्री वार्डज, ईयर वार्डज पूरी इन्फरमेशन दी गई है। हर एक चीज इसमें दी हुई है। श्री गौरी शंकर जी ने कहा कि काम सुस्ती से होता है मैं यह बताना चाहता हूँ कि चाहे कार्पोरेशन हो, चाहे इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, इनकी तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जा लें। लेकिन यह जरूरी है कि पैसों की सेफगार्ड देखी जाए। कर्जा देते वक़्त कई चीजों को पैसा कि मैंने पहले बताया है जांच करनी पड़ती है और इसी वजह

से कुछ देरी को सकती है। यह ठीक है कि जो बातें कही गई हैं उनका ध्यान रखा जाएगा—

चौधरी राम लाल वधवा: मेरी प्रशंसा पर राजी नहीं है यह अपनी प्रशंसा की मोहर लगायेगे।

श्री रामसरन चन्द मित्तल: इसकी प्रशंसा को आगे रखिए मैं अपनी प्रशंसा को पीछे रख लेता हूँ।(हंसी)

श्री अध्यक्ष: सदन कल प्रातः काल साढे नौ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

12.56 मध्याह्नोपरान्त

(तत्पश्चात् सभा 9.30 बजे पूर्वान्ह, शुक्रवार , 16 नवम्बर 1973 के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(कृपया डिबेट का पृष्ठ (4) 12 देखिए)

Primary Schools

***463. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state the District-wise number and names of the villages where new Primary Schools have been opened in the State during the years 1972-73 and 1973-74 separately?

शिक्षा मंत्री (चौधरी माडू सिंह मलिक):

वर्ष 1972-73 में खोले गये प्राइमरी स्कूल = 359

वर्ष 1973-74 में खोले गये प्राइमरी स्कूल = शून्य

जिलावार स्कूलों की संख्या तथा उन गांवों के नामों की सूची जहां वर्ष 1972-73 में नये प्राथमिक स्कूल खोले गये, संलग्न की जाती है।

1972-73 में खोले गये प्राइमरी स्कूलों की सूची

| जिला गुड़गांवा | |
|----------------|-------------|
| क्रमांक | गांव का नाम |
| 1 | घसोला |

| | |
|----|----------------|
| 2 | फरीदपुर |
| 3 | चान्द नगर |
| 4 | मोहम्मद हेड़ी |
| 5 | कुलिया का |
| 6 | सकतपुर |
| 7 | मोहम्मदपुर |
| 8 | खरोदा |
| 9 | टीकली कन्या |
| 10 | टठड कन्या |
| 11 | वीलाका |
| 12 | ब्रिज पुरा |
| 13 | हलीमण्डी कन्या |
| 14 | धीलावास |
| 15 | जटलाशाहपुर |
| 16 | मदन पुरी |

| | |
|----|----------------------|
| 17 | सरोंई |
| 18 | चावला कलोनी बल्लभगढ़ |
| 19 | शाहपुर खुर्द |
| 20 | नगला मातुका |
| 21 | रिवाज पुर |
| 22 | अगवान पुर |
| 23 | बादशाह पुर |
| 24 | गाजी पुर |
| 25 | पाखल |
| 26 | सैक्टर 15, फरीदाबाद |
| 27 | सैक्टर 9, फरीदाबाद |
| 28 | खेड़ी गुजरान |
| 29 | इन्दरा नगर |
| 30 | प्रतापगढ़ माजरा |
| 31 | पेहरक्का |

| | |
|----|---|
| 32 | बास |
| 33 | दोषपुर |
| 34 | मनीरगढी |
| 35 | डोकरा |
| 36 | बधौला कन्या |
| 37 | धतीर कन्या |
| 38 | चान्द हट कन्या |
| 39 | आया नगर |
| 40 | हरिजन बस्ती नं. 2 एन0आई0टी0 फरीदाबाद |
| 41 | नगला श्री नगर |
| 42 | नगला गवालन |
| 43 | सनहोली |
| 44 | सराय |
| 45 | सतवा गढी मुस्ताबाद |
| 46 | सुरजन का नगला |

| | |
|----|------------------|
| 47 | होडल हरिजन बस्ती |
| 48 | धीहडका |
| 49 | आन्धका |
| 50 | खेडली ब्राह्मण |
| 51 | अलब्राह्मण |
| 52 | छापरा |
| 53 | काकर खेड़ी |
| 54 | मरोड़ा |
| 55 | दोवाला |
| 56 | दरोन्ची |
| 57 | बडै लाकी |
| 58 | रणीयाका |
| 59 | बदोची |
| 60 | डालाबास |
| 61 | सुबाहेड़ी |

| | |
|---------------------|----------------|
| 62 | मण्डकोला कन्या |
| 63 | ढाबी मलियाणा |
| 64 | पाडा |
| 65 | गुजरपुर |
| 66 | हमीरपुर |
| 67 | बाबन खेड़ी |
| 68 | महापुर |
| 69 | रणियाली |
| 70 | रोहिड़ा |
| 71 | मुलाका |
| 72 | बन्धहोली |
| 73 | बन्चारी कन्या |
| जिला अम्बाला | |
| 1 | भतमाजरा |
| 2 | दराजपुर |

| | |
|----|------------|
| 3 | मच्छरपुरा |
| 4 | दरियापुर |
| 5 | महेशवरी |
| 6 | छोटी पावनी |
| 7 | नन्द गढ़ |
| 8 | गढीमाजरा |
| 9 | मगरपुरा |
| 10 | कंजाला |
| 11 | फतेहपुर |
| 12 | दूधगढ़ |
| 13 | दामला |
| 14 | चूतान |
| 15 | अलीपुर |
| 16 | दूधली |
| 17 | रतनगढ़ |

| | |
|----|--------------------|
| 18 | नगावां जागीर |
| 19 | परवालां |
| 20 | गधीलीकलां |
| 21 | पीरवाला |
| 22 | नवाशहर |
| 23 | मलिकपुर खादर |
| 24 | माजरी |
| 25 | नंगला |
| 26 | तेंगलपुर |
| 27 | कोटकलासिया (कन्या) |
| 28 | मिलक खास |
| 29 | ककड़ माजरा (कन्या) |
| 30 | भरौली (कन्या) |
| 31 | भुर्ड |
| 32 | अन्धेरी |

| | |
|--------------------|---------------------|
| 33 | कलाल माजरा |
| जिला भिवानी | |
| 1 | ढाणी फोगाट |
| 2 | हरिजन आश्रम दादरी |
| 3 | खेरपुरा |
| 4 | हरीपुरा |
| 5 | ढाणी नौरंगाबाद |
| 6 | ओबरा की ढाणी |
| 7 | शेरपुरा |
| 8 | खुदाना कन्या |
| 9 | नावां कन्या |
| 10 | शामपुरा कन्या |
| 11 | हरकड़ी कन्या |
| 12 | ढाणी गुजरांवा कन्या |
| जिला नारनौल | |

| | |
|----|------------------------|
| 1 | मोहल्ला खरकड़ी नारनौल |
| 2 | मोहल्ला नहलापुर नारनौल |
| 3 | धरसू कन्या |
| 4 | गोंद कन्या |
| 5 | वाछोद कन्या |
| 6 | वकरीजा |
| 7 | ढाणी अटाली |
| 8 | ढाणी वास कीरा रोड |
| 9 | ढाणी कोजिन्दा |
| 10 | ढाणी गुजरवास |
| 11 | हुडीना कन्या |
| 12 | खापुर कन्या |
| 13 | डेरोली अहीर कन्या |
| 14 | अकबरपुर सिरोही कन्या |
| 15 | नांगल नूनिया कन्या |

| | |
|----|----------------------|
| 16 | सिरोही वाहली कन्या |
| 17 | वारडा |
| 18 | डालन वास कन्या |
| 19 | माधोगढ़ कन्या |
| 20 | गागड़ वास कन्या |
| 21 | खोर्तो दंडा कन्या |
| 22 | बोरा वाली ढाणी कन्या |
| 23 | दुलोट अहीर कन्या |
| 24 | सुरजन वास कन्या |
| 25 | धनोन्दा कन्या |
| 26 | ढाणी भोजावास कन्या |
| 27 | नोताना कन्या |
| 28 | मुनिया खेड़ा कन्या |
| 29 | सिहोर कन्या |
| 30 | खेड़ी कन्या |

| | |
|----|----------------------|
| 31 | खेराना कन्या |
| 32 | भटैडा |
| 33 | गोवीन्द पुरी |
| 34 | बदववानी खेडा |
| 35 | जेना बाद (कन्या) |
| 36 | ढाणी सन्दरोज (कन्या) |
| 37 | गोवीन्दपुर वास |
| 38 | ढालिया वास |
| 39 | जालीया वास |
| 40 | खेडी मोहल्ला |
| 41 | जय सिंह पुरखेडा |
| 42 | धरचना |
| 43 | गाजी गोपाल पुर |
| 44 | ढाणी जाटसाना |
| 45 | मड हठ रिवाडी |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 46 | शादी पुर |
| 47 | सुनारिया |
| 48 | धनोडा |
| 49 | राजावास |
| 50 | चोकी |
| 51 | रतगन |
| 52 | निगानियावास |
| जिला हिसार | |
| 1 | लोहाखेड़ा |
| 2 | कमाल वाला |
| 3 | चन्द्र खुर्द |
| 4 | सलेम पुरी |
| 5 | बढई खेड़ा |
| 6 | ठरवी |
| 7 | रेलवे कालोनी नवीं बस्ती जाखल |

| | |
|----|--------------------|
| 8 | कासिम पुर |
| 9 | कोडे मोडेवाला |
| 10 | शंकरपुर |
| 11 | पलुवाला |
| 12 | देसु खुर्द |
| 13 | लहरी वाला |
| 14 | ढाणी सुख चैन |
| 15 | ख्योवाली |
| 16 | वुडी मेडी |
| 17 | मुसली |
| 18 | किसान पुरा |
| 19 | खेड़ करीवाली |
| 20 | ढाणी ठाकरिया |
| 21 | मेहूं वाला (कन्या) |
| 22 | ढाणी मजरा कन्या |

| | |
|------------------|-----------------|
| 23 | चाणक |
| 24 | काता खेड़ी |
| 25 | गदली |
| 26 | दरियापुर |
| 27 | ढाणी महताब सिंह |
| 28 | मलड |
| 29 | डिंगसरा (कन्या) |
| 30 | पालसर |
| 31 | नाईवाला |
| 32 | मिराण |
| 33 | टोड |
| 34 | खेरपुर |
| 35 | रोडन वाली |
| 36 | वालन वाली |
| जिला कुरुक्षेत्र | |

| | |
|----|------------|
| 1 | दौलतपुर |
| 2 | सीकन्दरा |
| 3 | मसदनगर |
| 4 | दाली |
| 5 | छोटा बान्स |
| 6 | अधोणी |
| 7 | माधराव |
| 8 | डेरा आबराव |
| 9 | वजीदपुर |
| 10 | रतन डेरा |
| 11 | बाजकी |
| 12 | करोलमाजरा |
| 13 | मुगलमाजरा |
| 14 | सन्दपुरा |
| 15 | बकाना |

| | |
|----|-----------|
| 16 | यारी |
| 17 | वाधम |
| 18 | जडौला |
| 19 | धिसारपुर |
| 20 | अदौली |
| 21 | खेडा |
| 22 | रामपुर |
| 23 | बींड |
| 24 | रामनगर |
| 25 | सुलतानपुर |
| 26 | भालर |
| 27 | खिडकी |
| 28 | सरीकगढ़ |
| 29 | नगल |
| 30 | सन्धोला |

| | |
|----|----------------------|
| 31 | लखी बान्स |
| 32 | पौअली |
| 33 | मन्दुश |
| 34 | डाला माजरा |
| 35 | कसौर कालोनी |
| 36 | प्रभात |
| 37 | लैन्डर |
| 38 | अन्धली |
| 39 | मुगलपुरा |
| 40 | सुस्ला |
| 41 | डेरा गोबिन्दपुरा |
| 42 | गदला (कालू की मण्डी) |
| 43 | सुरमी |
| 44 | बीबी पर कलां |
| 45 | सिहाली |

| | |
|----|-----------------|
| 46 | किला फारम |
| 47 | सोमला |
| 48 | गढी लांगरी |
| 49 | हिलना |
| 50 | घराडसी |
| 51 | धडी रोडो |
| 52 | पबला |
| 53 | खेडी साकरा |
| 54 | लूवं लवाज |
| 55 | खानपुर |
| 56 | निकानपुर |
| 57 | सिंहपुरा |
| 58 | सिदरपुरा |
| 59 | डेरा चान्दी राम |
| 60 | झिन्जर पुर |

| जिला जींद | |
|-----------|-----------------------|
| 1 | धाणी राम गढ़ |
| 2 | माण्डोखेड़ी |
| 3 | खुगा कोठी |
| 4 | बीबीपुर |
| 5 | मोलसरी खेड़ा |
| 6 | ललित खेड़ा |
| 7 | हथवाला |
| 8 | करसोला कन्या |
| 9 | वराहखुर्द कन्या |
| 10 | निढाणी कन्या |
| 11 | पीलूखेड़ा सम |
| 12 | निढाणा कन्या |
| 13 | दौरडसम |
| 14 | सिन्धवी खेड़ा (कन्या) |

| | |
|----|------------------------------|
| 15 | बैरों खेडा कन्या |
| 16 | सुन्दरपुर (ब्रहंकला) (कन्या) |
| 17 | धर्मगढ (कन्या) |
| 18 | मुसलाना |
| 19 | कन्डेला |
| 20 | रोज खेड़ा |
| 21 | उचाना खुर्द कन्या |
| 22 | खटकड़ कन्या |
| 23 | उदयपुर कन्या |
| 24 | दमाडा |
| 25 | धसो खुर्द कन्या |
| 26 | धसोकलां खुर्द |
| 27 | पीपलथा कन्या |
| 28 | ढाकल कन्या |
| 29 | दनौदा कलां कन्या |

| | |
|-------------------|----------------|
| 30 | रतन पुरा कन्या |
| 31 | धनौरी कन्या |
| 32 | उझाना कन्या |
| 33 | डंडोली कन्या |
| जिला करनाल | |
| 1 | टपरियां |
| 2 | हन्सु माजरा |
| 3 | शेखपुरा |
| 4 | कालरां |
| 5 | गांधी नगर |
| 6 | दातानपुर |
| 7 | रामपुर कटाबाग |
| 8 | बागपति |
| 9 | खासपुर |
| 10 | बडनपुर |

| | |
|----|----------------|
| 11 | वीडमाजरा |
| 12 | वीर राय तिखाना |
| 13 | छाजपुर |
| 14 | बापोली |
| 15 | जटीपुर |
| 16 | नूरवाला |
| 17 | बिचपडी |
| 18 | कुराना |
| 19 | जारासी |
| 20 | माण्डी |
| 21 | कहन्सू |
| 22 | डेरासाईवाल |
| 23 | खण्डा खेड़ी |
| 24 | झीण्डा |
| 25 | गोमदा वाड़ा |

| | |
|-------------------|--------------------|
| 26 | खेड़ा (छपरा जागीर) |
| 27 | खेड़ा डरा |
| 28 | बयाणीं |
| 29 | रतन गढ़ |
| 30 | लाल खेड़ा |
| 31 | उपली |
| 32 | भैन्सवाल |
| 33 | नीजामपुर |
| 34 | अजीजउलपुरा |
| 35 | भणी कलां |
| 36 | नया नाहड़ा |
| जिला रोहतक | |
| 1 | मदाना खुर्द |
| 2 | आजाद नगर |
| 3 | ढाणी सूनियान |

| | |
|----|-----------------------------|
| 4 | तलाव |
| 5 | वाजीदपुर |
| 6 | हुमायुपुर |
| 7 | भगवानपुर |
| 8 | मोहल्ला पटवाड़ा (बहादुरगढ़) |
| 9 | तितोडिया |
| 10 | वोडिया |
| 11 | माजरा (वादली) |
| 12 | कासनी |
| 13 | खरैटी |
| 14 | खेड़ी खुमार |
| 15 | उखलधना (कन्या) |
| 16 | खखराना |
| 17 | बस्ती रैनकपुरा |
| 18 | दिल्ली गेट झझर |

| जिला सोनीपत | |
|-------------|---------------|
| 1 | किशोरा |
| 2 | मनीपुर |
| 3 | हरसाना खुर्द |
| 4 | देवीपुरा |
| 5 | मिरजापुर खेडी |
| 6 | शामडी कन्या |